इंडिया एक्ज़िम बैंक

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

40 वर्षों से बढ़ता फ़लक

इंडिया एक्ज़िम बैंक

बढ़ते कदम
बढ़ता विश्वास

पिछले चार दशकों में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के वित्तपोषण, सुगमीकरण और संवर्धन में भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की अहम भूमिका रही है। एक्ज़िम बैंक, भारतीय कंपनियों को वैश्विक पटल पर उभरने में मदद करने के लिए अपने विभिन्न उत्पादों के जरिए व्यवसाय चक्र के हर चरण में मदद करता रहा है और एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। एक्ज़िम बैंक ने पॉलिसी बैंक के रूप में भारत सरकार की विकास साझेदारी में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मित्र देशों में न सिर्फ अच्छी साख बनी है, बल्कि भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में बहुतेरे अवसर भी सृजित हुए हैं। आज बैंक, अपने समस्त परिचालनों में संवहनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक्ज़िम बैंक के लिए यह सुखद संयोग है कि बैंक अपने परिचालनों के 40 वर्ष ऐसे समय में पूरे कर रहा है, जब भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बैंक ने इन 40 वर्षों में भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण के सपनों को साकार करने, भारत की विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने और देश में निर्यात अनुकूल परिवेश बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में हम बीते एक वर्ष की प्रगति के लेखे–जोखे के साथ अतीत में झांकते हुए बैंक की भावी भूमिका को देखते हैं।

विषय–सूची

इंडिया एक्ज़िम बैंक के बारे में / **02**

प्रबंध निदेशक का वक्तव्य / **06**

आर्थिक परिवेश / **10**

प्रमुख क्षेत्रों में भारत की निर्यात
निष्पादन स्थिति / **12**

निदेशकों की रिपोर्ट / **14**

भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों में
सहायता: बढ़ते कदम / **18**

व्यवसाय परिचालन / **20**

पर्यावरणीय, सामाजिक तथा
सुशासन पहलें / **40**

वित्तीय विवरण / **44**

संपर्क करें

वार्षिक रिपोर्ट
डाउनलोड करें

इंडिया एक्ज़िम बैंक के बारे में

एक्ज़िम बैंक देश की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था है। बैंक अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के जरिए उद्योगों और परियोजना निर्यातों के लिए विकास के इंजन के रूप में काम करता रहा है। साथ ही, बैंक भारत सरकार की विकास साझेदारी के प्रयासों में संस्थागत सहयोग प्रदान करता रहा है।

बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 के जरिए की गई। हमारे उत्पाद हमारे ग्राहकों को उनके वैश्वीकरण प्रयासों में मदद करते हैं। हम यह सहयोग वित्तपोषण, गारंटियों, सलाहकारी और मार्केटिंग सेवाओं के जरिए प्रदान करते हैं।

एक्ज़िम बैंक, पॉलिसी बैंक के रूप में संप्रभु सरकारों, विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ये ऋण–व्यवस्थाएं उधारकर्ता देशों के लिए भारत से विकास और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, वस्तुओं और सेवाओं के आयात को सुगम बनाती हैं। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण और रियायती वित्तपोषण योजना जैसे बैंक के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए भी हम भारत से उच्च मूल्य–वर्धित, प्रौद्योगिकी–गहन, वस्तुओं और उच्च–कुशलता वाली सेवाओं के निर्यातों में सहयोग करते हैं।

बैंक की वित्तीय सुविधाएं भारतीय निर्यातकों की जरूरतों के अनुसार होती हैं। इनमें अन्य के साथ–साथ प्रौद्योगिकी का आयात, निर्यात योग्य उत्पादों का विकास, विनिर्माण, मार्केटिंग, शिपमेंट और बाजार तक पहुंच और वैल्यू चेन लिंकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

बैंक के स्टेकहोल्डर बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न मूल्य–वर्धित सेवाओं से भी लाभान्वित होते हैं। इनमें शोध, मार्केटिंग में सहायता, ग्रासरूट स्तर की कंपनियों के लिए क्षमता विकास कार्यशालाएं और प्रशिक्षण तथा सेमिनारों, वेबिनारों और एक्ज़िम मित्र पोर्टल के जरिए सूचनाओं के प्रसार जैसी सेवाएं शामिल हैं।

हमारी विशिष्टताएं

उद्देश्य

देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार
के संवर्धन की दृष्टि से
माल एवं सेवाओं के निर्यात
और आयात का वित्तपोषण
करने वाली संस्थाओं के
कामकाज का समन्वय
करने के लिए एक प्रमुख
वित्तीय संस्था के रूप में
कार्य करना।

निदेशक मंडल

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक

श्री दम्मू रवि
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय

सुश्री रूपा दत्ता
प्रधान सलाहकार
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री रजत कुमार मिश्रा
अपर सचिव
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

श्री सुचीन्द्र मिश्र
अपर सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय

श्री विपुल बंसल
संयुक्त सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ

श्री अशोक कुमार गुप्ता
कर परामर्शदाता

संस्थानों तथा वाणिज्यिक बैंकों के निदेशक

श्री आर. सुब्रमणियन
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
ईसीजीसी लि.

श्री राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
आईडीबीआई बैंक लि.

श्री राजकिरन राय जी.
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

श्री ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

पूर्ण–कालिक निदेशक

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक

यथा 11 मई, 2022 को

प्रबंध निदेशक

का वक्तव्य

देश अमृत महोत्सव से अमृत काल की ओर बढ़ रहा है और टीम एक्ज़िम बैंक अपने परिचालनों के 40वें वर्ष में भारतीय कंपनियों की निर्यात महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने, भारत की विकास साझेदारी को बढ़ावा देने और निर्यातों के लिए अनुकूल परिवेश बनाने की दिशा में अपनी सशक्त प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

एक्ज़िम बैंक देश की निर्यात वृद्धि में योगदान संबंधी यात्रा के महत्त्वपूर्ण पड़ाव के रूप में इस वर्ष 40 साल पूरे कर रहा है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उत्सव के रूप में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे "आज़ादी का अमृत महोत्सव" का वर्ष भी है।

अपने परिचालनों के इन चार दशकों में, बैंक का ऋण पोर्टफोलियो प्रभावशाली रूप से कई गुना बढ़ा है। लेकिन केवल आंकड़े पूरी कहानी बयां नहीं करते हैं। गत वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने की दिशा में बैंक ने प्रमुख उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। साथ ही, बैंक ने भारतीय उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी बनने के साथ-साथ विकासशील मित्र देशों की विकास प्राथमिकताओं को सहयोग प्रदान किया है।

ऐसा रहा वर्ष 2021-22

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, दुनिया ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और वैश्विक सुरक्षा में कई तरह के संकट देखे। वैश्विक महामारी की एक के बाद एक लहरों ने न केवल लोगों के जीवन को अस्थिर किया और व्यवसायों को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। इसके साथ ही जैसे ही सामान्य स्थितियां बहाल होने की दिशा में आईं और आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं, बढ़ती मुद्रास्फीति ने विश्व को अपनी चपेट में ले लिया।

वैश्विक आर्थिक सुधार पर असर डालने वाली इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच, व्यापार ही एक ऐसा पहलू रहा, जो भारत सहित वैश्विक रूप से विकास के उल्लेखनीय कारक के रूप में उभरा। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वैश्विक वस्तु व्यापार और वाणिज्यिक सेवा व्यापार, दोनों में सुधार हुआ और दो अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के वस्तु निर्यात भी 422 बिलियन यूएस डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहे। इसमें श्रम-गहन और संसाधन-गहन वस्तुओं के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाई-टेक सामानों का उल्लेखनीय योगदान रहा। भारत से सेवा निर्यातों में भी वर्ष के दौरान उल्लेखनीय सुधार देखा गया।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही हमें महामारी की दूसरी लहर का सामना करना पड़ा, जो पहले की तुलना में बहुत गंभीर थी, इसके तुरंत बाद आखिरी तिमाही में तीसरी लहर भी आई। भारत सरकार द्वारा उठाए गए अनुकूल कदमों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगातार दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहन और अनुकूल मौद्रिक एवं वित्तीय स्थितियों को बनाए रखने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार परिलक्षित हुआ। राष्ट्रव्यापी सफल वैक्सीनेशन अभियान से भी अर्थव्यवस्था में सुधार को गति मिली और वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत 2021-22 के दौरान 8.7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज करते हुए रिकवरी की राह पर मजबूती से आगे बढ़ा। वर्ष के दौरान, कृषि क्षेत्र ने निरंतर मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज की। साथ ही कई उद्योगों में क्षमता उपयोग सामान्य स्तर के करीब आने से विनिर्माण क्षेत्र में अच्छी वृद्धि परिलक्षित हुई। हालांकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि में सुधार तो हुआ, किन्तु ये अभी भी महामारी के पूर्व स्तर तक नहीं पहुंच पाई है।

अर्थव्यवस्था में इन सकारात्मक संकेतों और आर्थिक परिवेश की चुनौतियों को दूर करने हेतु किए गए उपायों तथा न्यू-नॉर्मल को अपनाने के चलते बैंक के व्यवसाय में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।

वित्तीय एवं व्यावसायिक परिणाम

बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में 13.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से बैंक के पॉलिसी व्यवसाय और पुनर्वित्त पोर्टफोलियो के चलते रही। वर्ष के दौरान, आर्थिक गतिविधियों के गति पकड़ने के कारण बैंक का वाणिज्यिक ऋण पोर्टफोलियो भी बढ़ा। वर्ष के दौरान, बैंक के गैर-निधिक पोर्टफोलियो में भी 7.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गई परियोजना निर्यात संविदाओं में दी गई गारंटियां शामिल हैं।

चुनौतीपूर्ण परिवेश के बावजूद, बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता बनाए रखने की दिशा में बैंक ने कोई प्रयास नहीं छोड़ा। नए ग्राहकों के बारे में अपनाई गई मजबूत ड्यू-डिलिजेंस प्रक्रिया, बेहतर निगरानी व्यवस्था और वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने के चलते बैंक की गैर-निष्पादक आस्तियों में लगातार गिरावट दर्ज़ की गई। प्रतिभूति रसीदों की बिक्री संबंधी बैंक की पहल उद्योग में अपनी तरह की एक अनोखी पहल थी और इसने बैंक की वसूली व्यवस्था को एक नया आयाम दिया। 31 मार्च, 2022 को बैंक का सकल एनपीए अनुपात 31 मार्च, 2021 के 6.69 प्रतिशत से घटकर 3.56 प्रतिशत रहा। साथ ही स्लिपेज अनुपात भी 1.52 प्रतिशत से घटकर 0.24 प्रतिशत हो गया। निरंतर विवेकशील प्रावधानों को बनाए रखने के चलते बैंक का निवल एनपीए शून्य हो गया।

वर्ष के दौरान, बैंक का परिचालन लाभ 10.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 31.30 बिलियन हो गया, जो मुख्य रूप से बेहतर मार्जिन, शुल्क आधारित आय तथा प्रभावी दायित्व प्रबंधन के चलते रहा। बेहतर लाभप्रदता के चलते बैंक आस्थगित कर देयताओं के पुनर्निर्धारण के प्रभाव को वहन करने में सक्षम रहा और सफलता पूर्वक नई कर व्यवस्था को अपना सका।

31 मार्च, 2022 को भारत सरकार ने भारत विकास एवं आर्थिक सहायता योजना (आयडियाज़) दिशानिर्देशों के अंतर्गत सहयोगी देशों को प्रदान की जाने वाली ऋण-व्यवस्थाओं और रियायती ऋण योजना में संशोधन सहित इन्हें जारी रखने के संबंध में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी के अनुमोदन को सूचित किया। संशोधित योजना में प्रक्रियाओं को सुसंगत और अधिक मजबूत किया गया है, जिससे परियोजनाओं की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए इन्हें समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

31 मार्च, 2022 को बैंक द्वारा 66 देशों को कुल 310 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं, जिनके अंतर्गत कुल ऋण प्रतिबद्धताएं 31.96 बिलियन यूएस डॉलर की हैं। इस वर्ष बैंक ने अपने ऋण-व्यवस्था पोर्टफोलियो के अंतर्गत 1.90 बिलियन यूएस डॉलर के उच्चतम मूल्य की संविदाएं प्राप्त की हैं।

उभरते सितारे कार्यक्रम को काफी उत्साहजनक प्रतिसाद मिला और बैंक ने अब तक विभिन्न क्षेत्रों जैसे एयरोस्पेस एवं रक्षा, ऑटो एवं ऑटो कम्पोनेंट, फार्मास्युटिकल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपभोक्ता क्षेत्रों में काम कर रही 19 कंपनियों को सहयोग प्रदान किया। ये कंपनियां विशिष्ट प्रकार के उत्पादों, प्रक्रियाओं या

प्रौद्योगिकी के साथ काम कर रही हैं और संपोषी उद्योग क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। वर्ष के दौरान, श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री, भारत सरकार ने एक्ज़िम बैंक और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित उभरते सितारे फंड का उद्घाटन किया।

बैंक पूँजी निवेश के जरिए वर्षों से निरंतर सहयोग के लिए भारत सरकार का आभारी है। सरकार के निरंतर सहयोग से ही बैंक अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर अच्छी वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा बजट आवंटन के जरिए बैंक को ₹ 7.50 बिलियन की पूँजी प्राप्त हुई। बैंक को भारत सरकार द्वारा एनईआईए ट्रस्ट में ₹ 16.50 बिलियन के पूँजी निवेश से भी देश से निर्यातों के लिए मध्यम और लंबी अवधि के वित्तपोषण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिला है। इस तरह के सहयोग से हम भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ाने में निरंतर योगदान देते रहेंगे।

यथा 31 मार्च, 2022 को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) 30.49 प्रतिशत (31 मार्च, 2021 को 25.89 प्रतिशत) रहा। हालांकि, यह भारत सरकार द्वारा गारंटित ऋण–व्यवस्था/रियायती वित्तपोषण योजना संबंधी ऋणों के लिए शून्य–जोखिम भारिता पर आधारित है। तथापि, 50 प्रतिशत के जोखिम भार पर, समायोजित सीआरएआर 20.61 प्रतिशत (31 मार्च, 2021 को 18.30 प्रतिशत की तुलना में) होगी, जो बहुत अच्छी स्थिति है और वृद्धि के अवसर प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में तमाम बाजारों में आर्थिक प्रोत्साहन और समायोजन नीतियों के माध्यम से व्यापक सुधार के लिए निरंतर सहयोग देखा गया। किन्तु, वर्ष की दूसरी छमाही के बाद से वैश्विक क्रेडिट स्प्रेड में काफी अस्थिरता देखी गई। बैंक विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से कुल 2.41 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाकर, वर्ष के दौरान ऐसी बाजार स्थितियों से निपटने में कामयाब रहा। वर्ष के दौरान, बैंक ने 5 वर्षीय 500 मिलियन सीएनएच बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया, जो सीएनएच में सबसे कम कूपन दर पर भारत का सबसे बड़ा सीएनएच निर्गम रहा। बैंक ने 435 मिलियन डॉलर का अपना पहला हांगकांग डॉलर बॉन्ड भी जुटाया और इस प्रकार मुद्राओं और निवेशकों का विविधीकरण किया। इस तरह बैंक वर्ष के दौरान, बेहतर दायित्व प्रबंधन के जरिए 700 मिलियन यूएस डॉलर की उच्च लागत वाली अपनी देयता को कम लागत वाली देयता में बदलने में सफल रहा। परिणामस्वरूप, लागत में कमी आई।

30 जून, 2023 के बाद यूएसडी लाइबोर के गैर–प्रतिनिधिक हो जाने पर और लाइबोर अंतरण के लिए आरबीआई के रोडमैप को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) को अपनाया। वर्ष के दौरान, बैंक ने आईएसडीए 2020 आईबोर फॉलबैक प्रोटोकॉल का भी पालन किया और इस प्रकार परिवर्तन के जोखिम को कम किया। बैंक ने अपने आईटी सिस्टम्स को भी बेहतर बनाया ताकि इस ट्रांजिशन के दौरान विशेष रूप से डेरिवेटिव और ऋण लेने संबंधी संव्यवहारों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।

संपोषी विकास को सुदृढ़ करना

संपोषी विकास सभी व्यवसायों की आधारशिला बनता जा रहा है। बैंक यह मानता है कि आज पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन व्यवस्था आज अधिक मजबूत हुई हैं और यह आज केवल पर्यावरणीय मुद्दों तक ही सीमित नहीं रही है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क को और सुदृढ़ किया है। वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप यह फ्रेमवर्क हमारे स्टेकहोल्डरों के साथ पारदर्शिता और संचार को बढ़ाएगा। यह फ्रेमवर्क बैंक की व्यवसाय रणनीति के अनुरूप, पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण संबंधी संपोषी ट्रांजैक्शन करने के बैंक के प्रयोजन को रेखांकित करता है। सेकेंड पार्टी ओपिनियन (एसपीओ) प्रदाता ने छह हरित और चार सामाजिक क्षेत्रों में पात्रता मानदंड के साथ, इस फ्रेमवर्क के 'विश्वसनीय और प्रभावशाली' होने के रूप में पुष्टि की है।

इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए बैंक ने एक संपोषी वित्तपोषण समिति का भी गठन किया है, जिसमें बैंक के परिचालन समूह के साथ–साथ अनुपालन एवं विधिक समूह के सदस्य हैं। मार्च 2022 में बैंक ने संपोषी विकास और उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण के लिए अपनी ईएसजी नीति को मजबूत बनाया है।

ग्रासरूट स्तर पर सहयोग, सामुदायिक उत्थान

महामारी, ग्रासरूट उद्यमों के लिए विशेष रूप से कठिन रही है। समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने की अपनी रणनीति के तहत बैंक ने ग्रासरूट उद्यमों के लिए डिजाइन, उत्पाद और पैकेजिंग कार्यशालाओं के माध्यम से वर्ष के दौरान अपना सहयोग जारी रखा। वर्ष के दौरान, बैंक ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और आजीविका विकास जैसे क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहलें भी कीं। सीएसआर के अंतर्गत एक चौथाई सहायता स्वास्थ्य और पोषण परियोजनाओं के लिए दी गई और इस तरह बैंक ने बेहतर जनस्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में निरंतर प्रगतिशील राष्ट्र के प्रयासों में अपना योगदान दिया।

शोध अध्ययनों के माध्यम से नीतिगत विकास में सहयोग

वर्ष के दौरान, बैंक ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश से संबंधित प्रासंगिक विषयों पर 18 शोध प्रकाशन प्रकाशित किए। एक बार फिर समान विचारधारा वाले देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने के भारत सरकार के फोकस को ध्यान में रखते हुए बैंक ने इस विषय पर दो शोध अध्ययन किए। साथ ही, यूरोपीय संघ, यूके तथा कनाडा जैसे देशों / क्षेत्रों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश करारों से भारत के लिए बनने वाले अवसरों पर शोध अध्ययन करने के लिए बैंक, वाणिज्य विभाग के संपर्क में है।

बैंक के इन-हाउस विकसित एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) मॉडल का उपयोग करते हुए भारत के तिमाही निर्यात पूर्वानुमान की गणना भी निर्यात के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में एक बार फिर काफी सटीक रही। इसने बैंक को निकट भविष्य में भारत के संभावित निर्यातों का पता लगाने के लिए सूचना के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थापित किया है।

राज्य स्तर पर निर्यातों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंक राज्य स्तरीय निर्यात निष्पादन और निर्यात संभाव्यता का मूल्यांकन करने और राज्यों में व्यापार स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर रणनीतियां भी तैयार करता रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम राज्यों के संबंध में शोध के माध्यम से अपने इन प्रयासों को जारी रखा।

निदेशक मंडल से मार्गदर्शन

बैंक को अपने उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में अपने निदेशक मंडल से सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा है और बैंक, अपने निदेशक मंडल के रूप में विशेषज्ञता का धनी है। बैंक अपने निदेशक मंडल में भारत सरकार के प्रतिनिधियों श्री दम्मू रवि, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; सुश्री रूपा दत्ता, प्रधान सलाहकार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री सुचीन्द्र मिश्र, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मार्गदर्शन के प्रति आभारी है। बैंक के निदेशक मंडल में विभिन्न संस्थाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं, जिनमें श्री आर. सुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड; श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक और सीईओ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड; श्री ए.एस. राजीव, प्रबंध निदेशक और सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र; श्री राजकिरन राय जी., प्रबंध निदेशक और सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के प्रति भी हम विनम्र आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही बैंक में हमारे सहयोगी श्री एन. रमेश, उप प्रबंध निदेशक के सहयोग के लिए भी हम आभारी हैं। हम इस अवसर पर कर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त निदेशक श्री अशोक कुमार गुप्ता का भी स्वागत करते हैं और बैंक की उपलब्धियों को नए आयाम प्रदान करने के लिए उनके मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित उपलब्धियां इन सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं थीं।

बैंक के निदेशक मंडल में परिवर्तन भी हुए हैं। ये परिवर्तन श्री राहुल छाबड़ा, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; श्री रजत सच्चर, प्रधान सलाहकार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री के. राजारमन, अपर सचिव (निवेश), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री पंकज जैन, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; और श्री डेविड रस्कीना, प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक, के पदभार में परिवर्तन होने या अधिवार्षिता आयु पूरी होने, यथा लागू अनुसार, अपने निदेशक पद से त्यागपत्र देने के चलते हुए हैं। बैंक निदेशकों के रूप में इनके अमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञ है और हमेशा इनका ऋणी रहेगा।

मैं और निदेशक मंडल में मेरे सहयोगी, श्री डेविड रस्कीना के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने बैंक को 36 वर्षों की अपनी विशिष्ट और बहुमूल्य सेवाएं दीं और वह चार वर्ष तक बैंक के प्रबंध निदेशक भी रहे। उनके मार्गदर्शन और सहयोग से बैंक को उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने में मदद मिली है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल सेवानिवृत्त जीवन की कामना करते हैं।

आगे की राह

बैंक गत चार दशकों की अपनी यात्रा में बदलते परिवेश के मुताबिक अपने को ढालते हुए स्टेकहोल्डरों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्पादों और सेवाओं को विकसित करता रहा है। महामारी के चलते वैश्विक वित्तपोषण में कमी आई है और बैंक ने वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त को बढ़ावा देने के लिए दो नए कार्यक्रम- व्यापार सहायता कार्यक्रम और फैक्टरिंग शुरू किए हैं। व्यापार सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य ट्रेड इन्स्ट्रूमेंट्स को क्रेडिट इनहान्समेंट सुविधा प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों को सहायता देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की मदद करना है। जबकि फैक्टरिंग का उद्देश्य विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के निर्यातकों की पोस्ट-शिपमेंट वित्तीय जरूरतों को सहयोग प्रदान करना है।

बैंक यह मानता है कि संपोषी विकास इसकी संस्थागत प्रतिबद्धताओं और मजबूत व्यवसाय पद्धतियों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

देश अमृत महोत्सव से अमृत काल की ओर बढ़ रहा है और टीम एक्ज़िम बैंक अपने परिचालनों के 40वें वर्ष में भारतीय कंपनियों की निर्यात महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने, भारत की विकास साझेदारी को बढ़ावा देने और निर्यातों के लिए अनुकूल परिवेश बनाने की दिशा में अपनी सशक्त प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

हर्षा बंगारी

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

आर्थिक परिवेश

वैश्विक आर्थिक परिवेश

वास्तविक जीडीपी वृद्धि

उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं

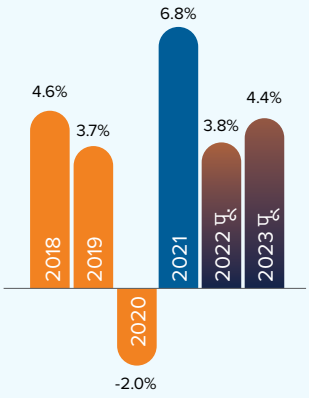

उन्नत अर्थव्यवस्थाएं

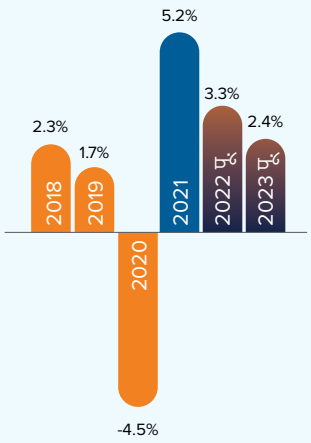

विश्व

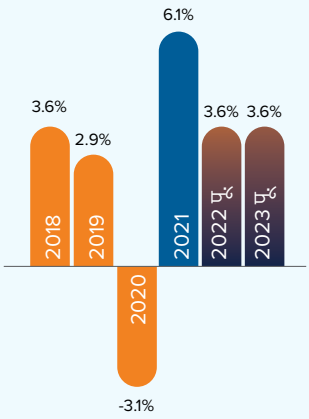

नोट: पू. – पूर्वानुमान
स्रोत: विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईओ), अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अप्रैल 2022

वैश्विक निर्यात वृद्धि

कुल वस्तु निर्यात

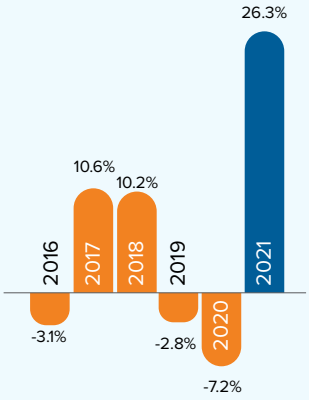

कुल सेवा निर्यात

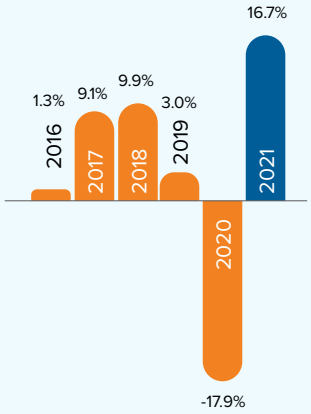

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

भारतीय आर्थिक परिवेश

भारत की अनुकूलनीय आर्थिक वृद्धि

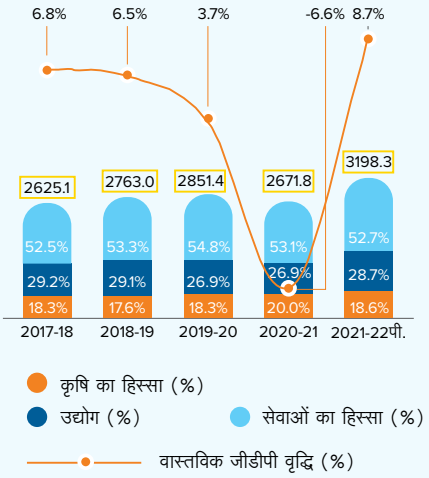

नोट: पीले रंग के बॉक्स के आंकड़े बिलियन यूएस डॉलर में नॉमिनल जीडीपी को दर्शाते हैं
पी. – अनंतिम आकलन
स्रोत: आईआईएफ और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

भारत का वस्तु व्यापार

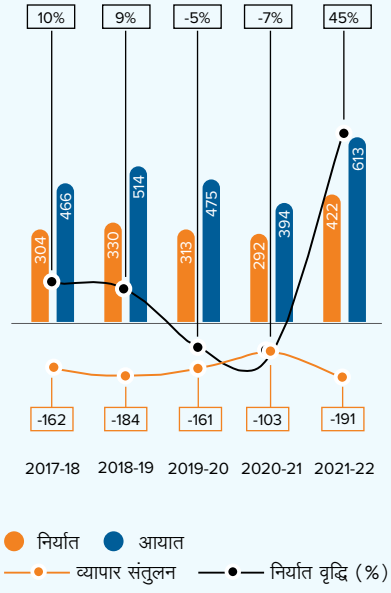

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

भारत का सेवा व्यापार

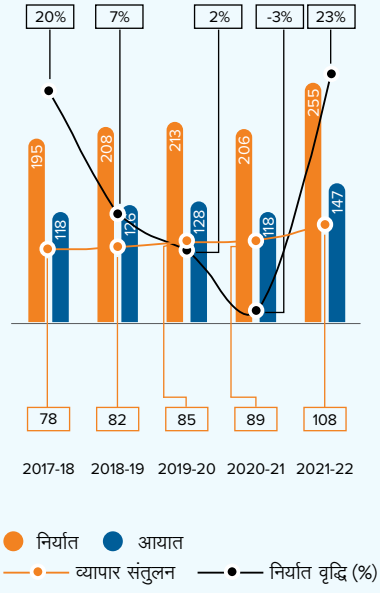

स्रोत: आरबीआई

नोट: निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन बिलियन यूएस डॉलर में हैं

भारत के शीर्ष 10 वस्तु निर्यात

(बिलियन यूएस डॉलर)

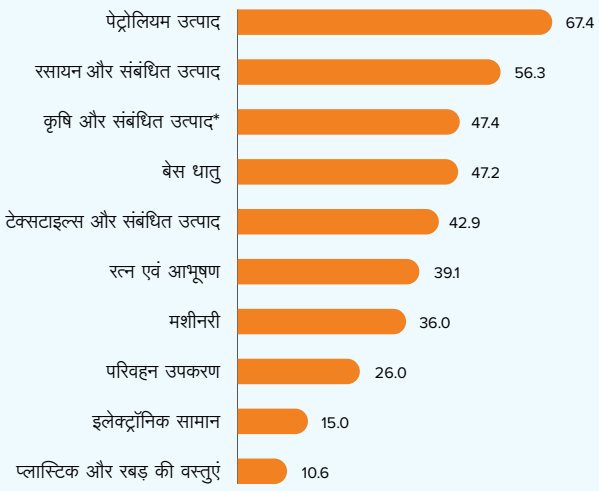

*नोट: *कृषि और संबंधित उत्पादों में चाय, कॉफ़ी और समुद्री उत्पाद भी शामिल हैं*
स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

भारत के शीर्ष 10 वस्तु आयात

(बिलियन यूएस डॉलर)

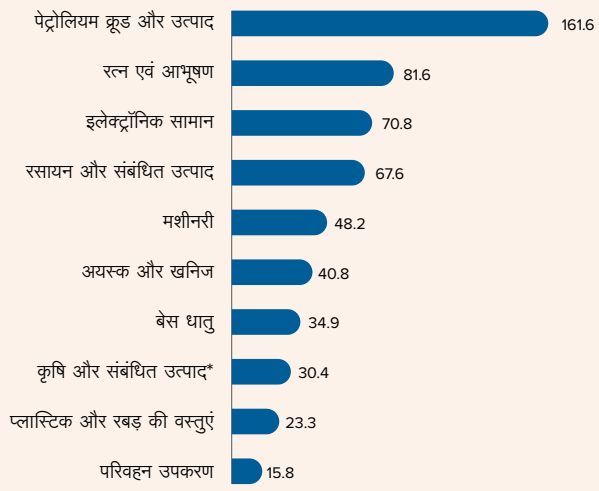

*नोट: *कृषि और संबंधित उत्पादों में चाय, कॉफ़ी और समुद्री उत्पाद भी शामिल हैं*
स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

प्रमुख क्षेत्रों में भारत की निर्यात निष्पादन स्थिति

ऑटोमोटिव उत्पाद

हिस्सा 2021-22 **4.8%**

(बिलियन यूएस डॉलर में)

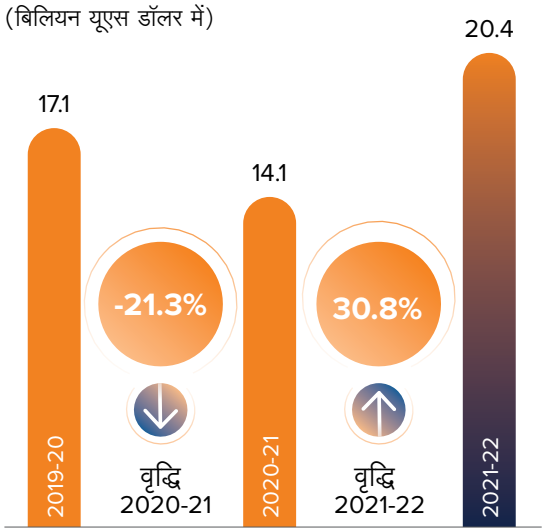

टेक्सटाइल्स एवं संबंधित उत्पाद

हिस्सा 2021-22 **10.2%**

(बिलियन यूएस डॉलर में)

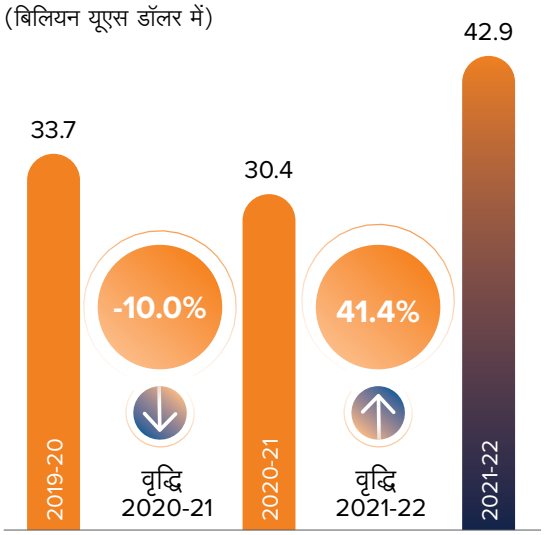

पूँजीगत वस्तुएं

हिस्सा 2021-22 **8.5%**

(बिलियन यूएस डॉलर में)

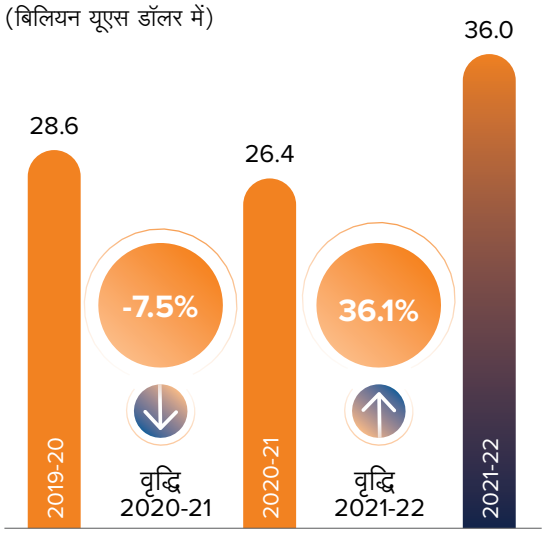

इलेक्ट्रॉनिक्स

हिस्सा 2021-22 **3.6%**

(बिलियन यूएस डॉलर में)

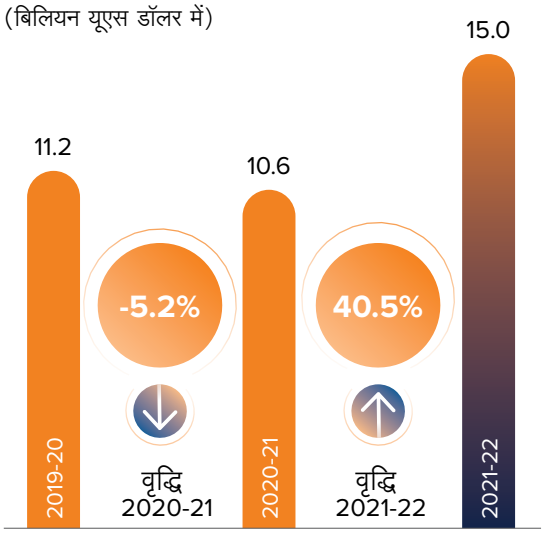

पेट्रोलियम उत्पाद

हिस्सा 2021-22 **16.0%**

(बिलियन यूएस डॉलर में)

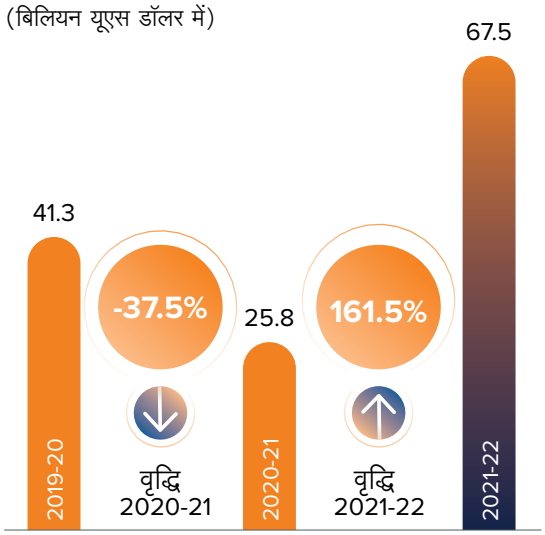

रसायन और संबंधित उत्पाद

हिस्सा 2021-22 **13.4%**

(बिलियन यूएस डॉलर में)

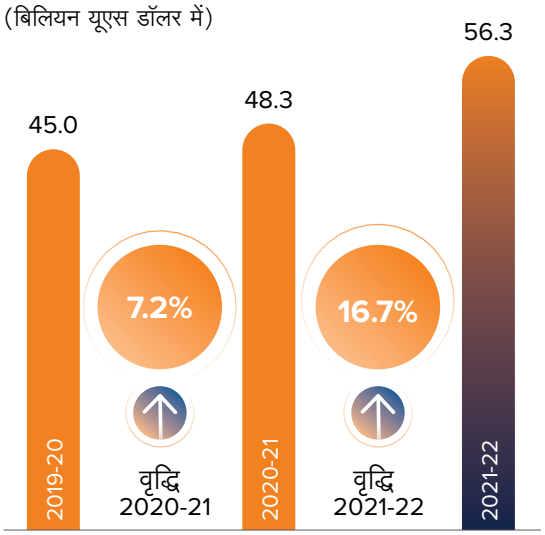

दवाइयां और फार्मासूटिकल्स

हिस्सा 2021-22 **5.6%**

(बिलियन यूएस डॉलर में)

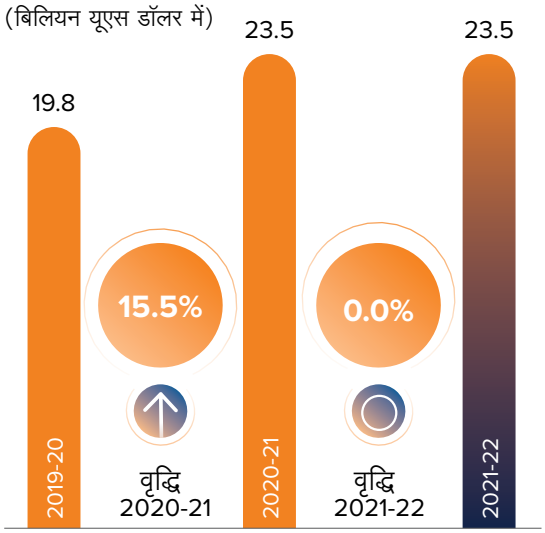

कृषि उत्पाद*

हिस्सा 2021-22 **9.0%**

(बिलियन यूएस डॉलर में)

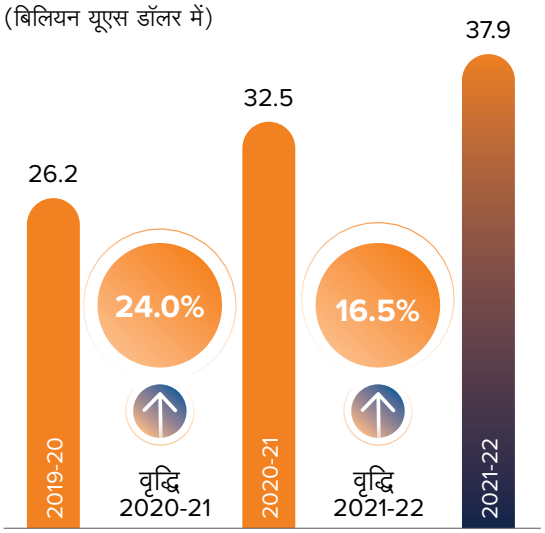

*कृषि उत्पादों में प्लांटेशन और समुद्री उत्पाद शामिल नहीं हैं।
स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस)

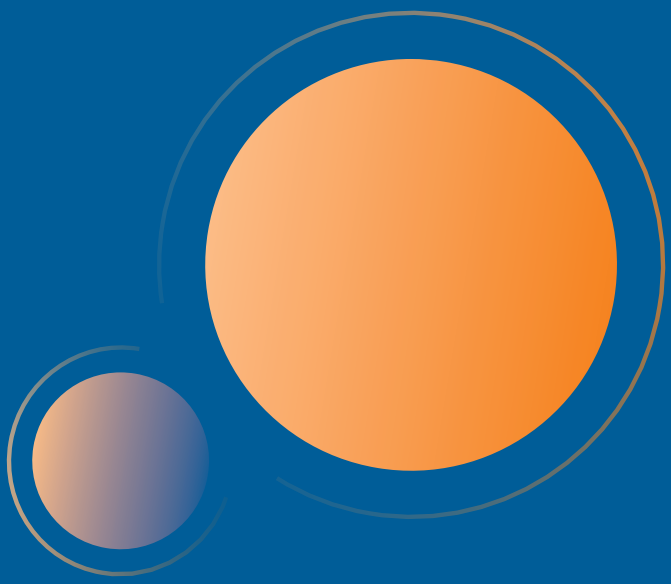

निदेशकों
की रिपोर्ट

परिचालनों तथा वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

ऋण आस्तियां

एक्ज़िम बैंक ने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के ₹ 365.21 बिलियन के ऋण के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 548.08 बिलियन का ऋण अनुमोदित किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के ₹ 341.22 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने ₹ 522.71 बिलियन का ऋण संवितरण किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण चुकौती की राशि जहां ₹ 248.54 बिलियन थी, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 423.90 बिलियन रही। यथा 31 मार्च, 2022 को निवल ऋण आस्तियां ₹ 1,176.19 बिलियन की रहीं, जिनमें गत वर्ष की तुलना में 13.26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। यथा 31 मार्च, 2022 को रुपया राशि के ऋण और अग्रिम, निवल ऋण आस्तियों के 23 प्रतिशत रहे, वहीं शेष 77 प्रतिशत विदेशी मुद्रा में रहे। यथा 31 मार्च, 2022 को अल्पावधि ऋण, निवल ऋणों तथा अग्रिमों के 18 प्रतिशत रहे।

गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की ₹ 64.22 बिलियन राशि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 140.55 बिलियन की गैर-निधिक ऋण सुविधाएं मंजूर की गईं। इनमें परियोजना गारंटियां, वित्तीय गारंटियां और साख-पत्र शामिल रहे। यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक का कुल गैर-निधिक पोर्टफोलियो, यथा 31 मार्च, 2021 के ₹ 142.29 बिलियन की तुलना में ₹ 152.47 बिलियन का रहा, जिसमें गारंटियां, साख-पत्र एवं आपाती साख-पत्र शामिल रहे। इसमें गत वर्ष की तुलना में 7.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 30.71 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 39.84 बिलियन की गारंटियां जारी की गईं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गत वर्ष के ₹ 3.70 बिलियन की तुलना में ₹ 9.35 बिलियन के साख-पत्र जारी किए गए। बैंक की बहियों में गारंटियां यथा 31 मार्च, 2021 को ₹ 139.67 बिलियन की तुलना में, यथा 31 मार्च, 2022 को ₹ 145.37 बिलियन की रहीं। वहीं, साख पत्र, यथा 31 मार्च, 2021 के ₹ 2.62 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2022 को ₹ 7.10 बिलियन के रहे।

आय/व्यय

बैंक ने सामान्य निधि लेखे में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 3.56 बिलियन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 21.50 बिलियन का कर पूर्व लाभ दर्ज किया। आयकर के लिए ₹ 14.12 बिलियन के प्रावधान के बाद, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कर पश्चात लाभ ₹ 7.38 बिलियन का रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह ₹ 2.54 बिलियन का रहा था। इस लाभ में ₹ 6.64 बिलियन की राशि आरक्षित निधि में अंतरित की गई। शेष ₹ 0.74 बिलियन की राशि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के प्रावधान के अनुसार भारत सरकार को अंतरित की गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निर्यात विकास कोष का संचयी कर पूर्व और कर पश्चात लाभ, दोनों वर्ष 2020-21 के ₹ 93.65

मॉरिटानिया में नौकशोट से नौधिबाउ तक ट्रांसमिशन लाइनों के डिजाइन, आपूर्ति और असेंबली के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर की बीसी-एनईआईए सुविधा प्रदान की गई।

केन्या सरकार को लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए पूँजीगत वस्तुओं और इंजीनियरी सामान की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग संबंधी परियोजना के लिए 15 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई।

मिलियन की तुलना में ₹ 123.46 मिलियन के रहे। ₹ 919.15 मिलियन का लाभ अगले वर्ष के लिए ले जाया गया।

ऋणों पर ब्याज, विनिमय कमीशन, ब्रोकरेज और शुल्क आदि को मिलाकर कारोबारी आय वित्तीय वर्ष 2020-21 की ₹ 46.09 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 46.67 बिलियन की रही। निवेश आय, बैंक जमा राशियों पर ब्याज सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 की ₹ 39.68 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 36.97 बिलियन की रही। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ब्याज व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 5.34 बिलियन कम होकर ₹ 49.57 बिलियन का रहा। प्रशासनिक खर्च वित्तीय वर्ष 2020-21 के 4.54 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान को छोड़कर) 5.27 प्रतिशत रहा।

उधारियां

यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक की कुल उधार राशियां ₹ 1,074.77 बिलियन की रहीं, जो यथा 31 मार्च, 2021 की ₹ 1,096.17 बिलियन की तुलना में 1.95 प्रतिशत कम रहीं, जो सुदृढ़ देयता प्रबंधन को दर्शाती हैं।

संसाधन

वर्ष के दौरान, बैंक को बजटीय आवंटन के जरिए भारत सरकार से ₹ 7.50 बिलियन की पूँजी प्राप्त हुई। यथा 31 मार्च, 2022 को ₹ 159.09 बिलियन की चुकता पूँजी तथा ₹ 33.18 बिलियन की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन ₹ 1,267.05 बिलियन के रहे।

बैंक के संसाधन आधार में अन्य के साथ-साथ रुपया बॉन्ड, जमा प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक पत्र, सावधि जमा राशियां, विदेशी मुद्रा बॉन्ड, विदेशी मुद्रा ऋण तथा दीर्घावधि स्वॉप आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने [वर्ष के दौरान जुटाई गई तथा चुकाई गई कुल ₹ 373.48 बिलियन की राशि को छोड़कर] विभिन्न परिपक्वता अवधियों के संसाधन जुटाए। इसमें ₹ 190.46 बिलियन के रुपया संसाधन तथा 2.41 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं। 133.38 मिलियन यूएस डॉलर के विदेशी मुद्रा संसाधन बॉन्डों के जरिए, 1.91 बिलियन यूएस डॉलर द्विपक्षीय/ क्लब/ सिंडिकेटेड ऋणों के जरिए और 368.63 मिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य स्वॉप ऋणों के जरिए जुटाए गए। यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक के पास कुल 11.58 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन और ₹ 451.25 बिलियन की बकाया रुपया उधारियां रहीं। यथा 31 मार्च, 2022 को बाजार उधारियां, कुल उधारियों की 100 प्रतिशत तथा बैंक के कुल संसाधनों की 86 प्रतिशत रहीं।

विदेशी मुद्रा संसाधन

बैंक द्वारा विभिन्न मुद्राओं और अपने संबंधित स्वॉप कर्व्स को निरंतर ट्रैक किया जाता रहा है। यूएसडी / सीएनएच स्वॉप कर्व के तुलनात्मक रूप से आकर्षक स्तर के चलते, मुद्रा और निवेशक विविधीकरण के उद्देश्य से बैंक ने जीएमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत लंदन शाखा के माध्यम से प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जून 2021 में 500 मिलियन सीएनएच का 5 वर्षीय बॉन्ड जारी किया। यह भारत का सबसे बड़ा सीएनएच निर्गम था। इसके अलावा, बैंक ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 3 वर्ष तक की अवधि के लिए 435 मिलियन

बैंक ने 1 बिलियन यूएस डॉलर के अपने 10 वर्षीय बॉन्ड को अफ्रीनेक्स में लिस्ट किया। इस दौरान मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ उपस्थित रहे।

हांगकांग डॉलर (एचकेडी) का बॉन्ड जारी किया। यह एचकेडी में बैंक का पहला बॉन्ड है। वर्ष के दौरान, बैंक ने विदेशी बैंकों से द्विपक्षीय ऋणों के जरिए भी निधियां जुटाईं।

बैंक द्वारा अब तक विभिन्न मुद्राओं में विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए जा चुके हैं। यूएस डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानी येन के अलावा बैंक द्वारा अब तक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, हांगकांग डॉलर, मेक्सिकन पेसो, ऑफशोर रेन्मिन्बी, सिंगापुर डॉलर, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, स्विस फ्रैंक और तुर्किश लीरा में संसाधन जुटाए जा चुके हैं।

अपने निवेशक आधार को और विविध करने के लिए बैंक ने 25 अक्टूबर, 2021 को अफ्रीनेक्स के उद्घाटन समारोह के दौरान अपने 1 बिलियन यूएस डॉलर के बॉन्ड को वर्चुअल लिस्टिंग में अफ्रीनेक्स पर लिस्ट किया, जो जनवरी 2021 में जारी किया गया था। इस लिस्टिंग के साथ, बैंक अफ्रीनेक्स की सिक्योरिटीज़ ऑफिशियल लिस्ट पर पहला निर्गमकर्ता रहा, जो मॉरीशस स्थित अखिल अफ्रीकी एक्सचेंज है।

लाइबोर से वैकल्पिक संदर्भ दर में परिवर्तन

बैंक की बैलेंस शीट का बड़ा हिस्सा डॉलरीकृत है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यूएसडी लाइबोर से संबद्ध है। 30 जून, 2023 के बाद यूएसडी लाइबोर के गैर-प्रतिनिधिक हो जाने पर और लाइबोर अंतरण के लिए आरबीआई के रोडमैप को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। बैंक ने लाइबोर से संबद्ध अपनी आस्तियों, देयताओं और डेरिवेटिव एक्सपोज़र को मैप किया है और संबंधित ब्याज तथा बेंचमार्क पुनर्निर्धारण के लिए परिवर्तित दरें अपनाने की प्रक्रिया में है।

इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए बैंक ने अगस्त 2021 में आईएसडीए 2020 आईबोर फॉलबैक्स प्रोटोकॉल का भी पालन किया है। इससे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वैकल्पिक बेंचमार्क अपनाने का जोखिम न्यूनतम रहने की उम्मीद है। बैंक ने इस परिवर्तन से सामने आने वाली संभावित समस्याओं, विशेषकर डेरिवेटिव, उधार

और ऋण संबंधी लेनदेनों के समाधान के लिए अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया है, जिससे बैंक एआरआर से संबद्ध नए ट्रांज़ैक्शन भी कर सकता है। बैंक द्वारा निर्धारित समयसीमा में ही एआरआर–आधारित उत्पाद प्रदान किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। बैंक द्वारा जुलाई 2021 में ओवरनाइट सोनिया (स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट) से लिंक्ड मूल्य पर एक जीबीपी ऋण ट्रांज़ैक्शन किया गया। इस ट्रांज़ैक्शन के साथ ही बैंक भारत में सोनिया–लिंक्ड ट्रांज़ैक्शन करने वाले प्रथम कुछ बैंकों में से एक हो गया। अपने मौजूदा ग्राहकों को इस परिवर्तन की जानकारी देने और नए ग्राहकों को सहयोग देने के अपने प्रयास में, बैंक ने लाइबोर परिवर्तन के बारे में एफएक्यू अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किए हैं।

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय रेटिंग

बैंक को मूडीज द्वारा बीएए3 (स्थिर), एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा बीबीबी– (स्थिर), फिच रेटिंग्स द्वारा बीबीबी– (स्थिर) तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बीबीबी+ (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग हैं, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समान हैं। बैंक के घरेलू ऋण लिखतों को क्रिसिल और इक्रा रेटिंग एजेंसियों से दीर्घावधि ऋण लिखतों के लिए उच्चतम रेटिंग अर्थात 'एएए (स्थिर)' और अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए ए1+ रेटिंग प्रदान की गई है।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस ऋण/ कर्ज को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हो। यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां ₹ 43.47 बिलियन की रहीं, जो बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 3.56 प्रतिशत है। प्रावधान कवरेज अनुपात 100 प्रतिशत रहा, इसलिए अनर्जक आस्तियां (प्रावधानों को घटाकर) यथा 31 मार्च, 2022 को शून्य रहीं।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियां' वे होती हैं, जिनका ब्याज और/अथवा मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया होता है। ऐसी अवमानक आस्तियां यदि 12 माह से अधिक अवधि तक अनर्जक आस्ति के रूप में बनी रहती हैं, तो उन्हें 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियां' वे होती हैं जो वसूली योग्य नहीं समझी जातीं। यथा 31 मार्च, 2022 को सकल अनर्जक आस्तियों में 0.64 प्रतिशत की अवमानक आस्तियां रहीं, जो उच्च गुणवत्ता वाली नई आस्तियों और स्लिपेज अनुपात पर अच्छे नियंत्रण की ओर संकेत करती हैं तथा संदिग्ध आस्तियां 99.36 प्रतिशत रहीं। यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक की कोई हानि आस्तियां नहीं रहीं।

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के मुकाबले यथा 31 मार्च, 2022 को 30.49 प्रतिशत रहा। यथा 31 मार्च, 2021 को यह 25.89 प्रतिशत था। ऋण–इक्विटी अनुपात यथा 31 मार्च, 2021 के 6.15 की तुलना में यथा 31 मार्च, 2022 को 5.59 रहा।

अधिकतम ऋण सीमा (एक्सपोज़र) मानदंड

आरबीआई ने अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 31 मार्च, 2002 से एकल उधारकर्ताओं के लिए अधिकतम ऋण सीमा वित्तीय संस्था की कुल पूँजी निधियों (टीसीएफ) की 15 प्रतिशत और उधारकर्ता समूहों के लिए टीसीएफ की 40 प्रतिशत निर्धारित की है। बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष मामलों में यह सीमा टीसीएफ की 5 प्रतिशत तक और बढ़ाई जा सकती है अर्थात एकल उधारकर्ताओं के लिए यह सीमा टीसीएफ की 20 प्रतिशत तक और उधारकर्ता समूहों के लिए टीसीएफ की 45 प्रतिशत तक हो सकती है। एकल उधारकर्ताओं और उधारकर्ता समूहों के लिए इस अधिकतम ऋण सीमा (क्रमशः 20 प्रतिशत और 45 प्रतिशत) को क्रमशः अतिरिक्त 5 प्रतिशत बिंदुओं (अर्थात टीसीएफ की 5 प्रतिशत) और 10 प्रतिशत बिंदुओं (अर्थात टीसीएफ की 10 प्रतिशत) तक और बढ़ाया जा सकता है (अधिकतम सीमा क्रमशः 20 प्रतिशत और 45 प्रतिशत के अतिरिक्त), बशर्ते कि बढ़ाई गई सीमा भारत में बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हो। यथा 31 मार्च, 2022 को एकल उधारकर्ताओं तथा उधारकर्ता समूहों पर बैंक का ऋण एक्सपोज़र आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहा। यथा 31 मार्च, 2022 को एक उधारकर्ता पर कुल पूँजी निधि के 15 प्रतिशत से अधिक का एक्सपोज़र रहा, जिसके लिए निदेशक मंडल से अनुमोदन ले लिया गया था।

आरबीआई ने वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को ऋण सहायता के लिए अपनी आंतरिक सीमाएं निर्धारित करें, ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का समान रूप से वितरण हो सके। यथा 31 मार्च, 2022 को वैयक्तिक उद्योग क्षेत्रों के लिए बैंक का कोई भी एक्पोज़र उसके कुल उद्योग एक्सपोज़र के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों में सहायता:
बढ़ते कदम

यह मानचित्र केवल सांकेतिक प्रयोजन के लिए है।

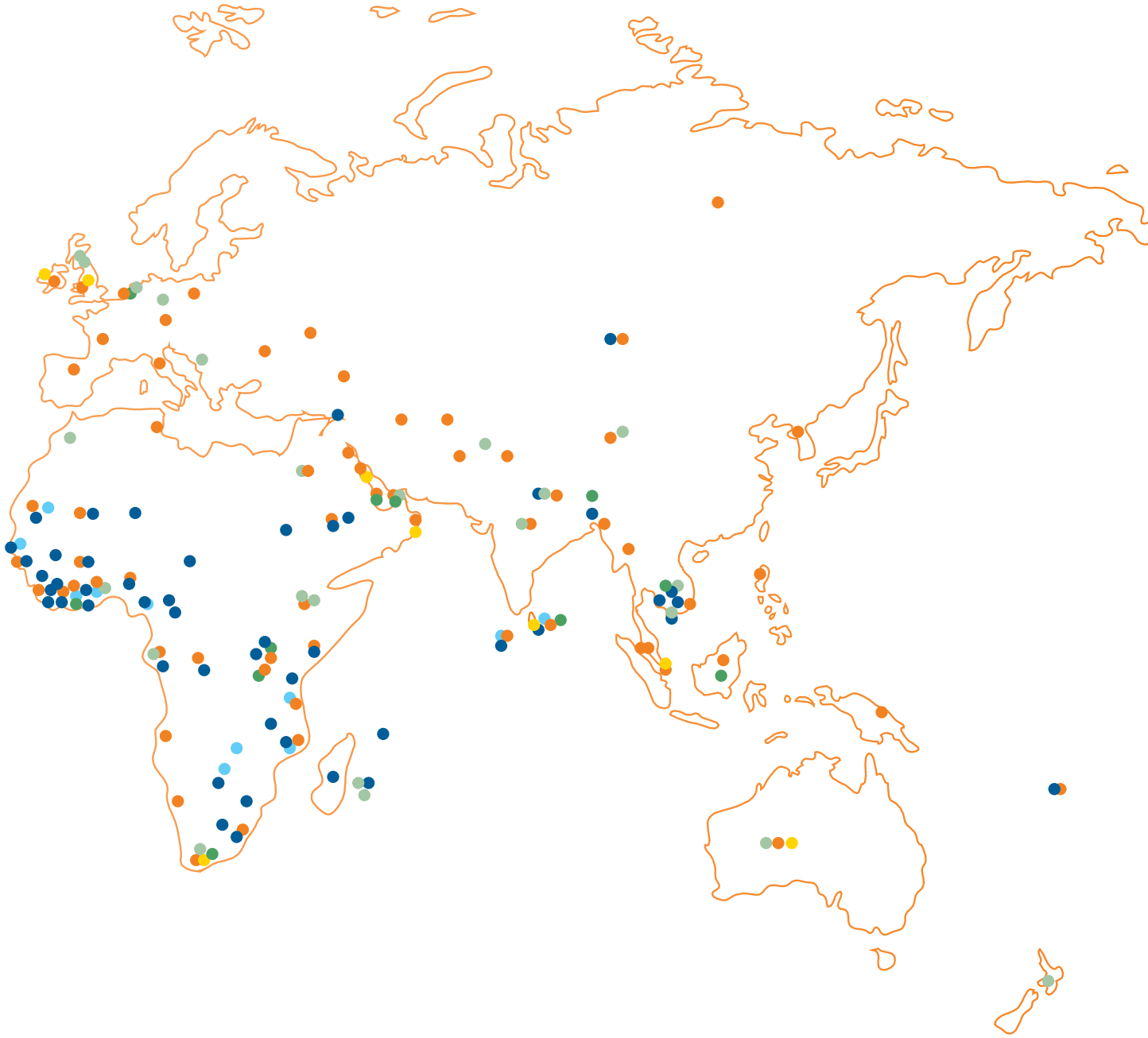

व्यवसाय परिचालन

एक्ज़िम बैंक, निर्यातों के वित्तपोषक के रूप में

एक्ज़िम बैंक निर्यातों के सुगमकर्ता के रूप में

एक्ज़िम बैंक निर्यातों के संवर्धक के रूप में

एक्ज़िम बैंक की संस्थागत आधारभूत अवसंरचना

परियोजनाओं, उत्पादों और सेवाओं का निर्यात

बैंक अनेक तरह के निर्यात ऋण उत्पाद प्रदान करता है जैसे परियोजनाओं के निर्यात और परामर्शदात्री सेवाओं के लिए वित्त, पूँजी उपकरण वित्त, निर्यात परियोजना नकदी प्रवाह घाटा वित्त और गारंटियां। बैंक वित्तपोषित समर्थन और परियोजना संबंधी गारंटी सुविधाओं सहित, भारतीय परियोजना निर्यातकों को व्यापक वित्तपोषण पैकेज पेश करने के लिए सुसज्जित है।

निर्यात कॉन्ट्रैक्ट

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एशिया–प्रशांत, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका तथा सीआईएस क्षेत्रों के 39 देशों में 17 भारतीय कंपनियों द्वारा हासिल किए गए 4.50 बिलियन यूएस डॉलर के 86 परियोजना निर्यात कॉन्ट्रैक्टों (डीम्ड निर्यातों सहित) के लिए सहायता दी गई। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कुछ प्रमुख परियोजना निर्यात कॉन्ट्रैक्टों में निम्नलिखित शामिल रहे:

- इथियोपिया में निष्पादित की जा रही 60 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के डिजाइन और निर्माण संबंधी परियोजना।
- कुवैत में निष्पादित की जा रही प्रमुख ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों और 400 केवी की ओवरहेड लाइनों की आपूर्ति और इंस्टॉलेशन संबंधी परियोजना।
- तंज़ानिया में निष्पादित की जा रही 280 किलोमीटर लंबी 400 केवी की डबल सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए संयंत्र की खरीद, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग संबंधी परियोजना।
- जॉर्जिया में निष्पादित की जा रही सिंगल सर्किट (400 केवी) और डबल सर्किट (500 केवी) की ट्रांसमिशन लाइनों के डिजाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग संबंधी परियोजना।

एसबीएम (मॉरीशस) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लि. को मॉरीशस में फ्लड पंपों की आपूर्ति सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की गई।

- उज़्बेकिस्तान में निष्पादित की जा रही 2x220 केवी की ओवरहेड लाइन के डिजाइन, आपूर्ति और इंस्टॉलेशन संबंधी परियोजना।
- ऑस्ट्रेलिया को इस्पात स्ट्रक्चरों की आपूर्ति की जा रही है।
- यूएई में नए स्टील प्लांट और हॉट स्ट्रिप मिल हेतु इंजीनियरी सेवाओं के लिए निष्पादित किया जा रहा परामर्शी कॉन्ट्रैक्ट।
- बोलिविया में निष्पादित की जा रही 230 केवी की ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए कंडक्टरों की आपूर्ति और अधिग्रहण प्रक्रिया के निष्पादन संबंधी कॉन्ट्रैक्ट।

निर्यात ऋण और गारंटियां

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने परियोजना निर्यातों के लिए भारतीय निर्यातकों को क्रेता ऋण और निधिक / गैर–निधिक सहायता के जरिए कुल ₹ 103.19 बिलियन के निर्यात ऋणों और गारंटियों का अनुमोदन किया। वर्ष के दौरान ₹ 42.08 बिलियन के संवितरण किए गए और कुल ₹ 19.11 बिलियन की गारंटियां जारी की गईं। ये गारंटियां विदेशों में मुख्य रूप से ईपीसी सेवाओं, इंजीनियरिंग माल, पूँजीगत वस्तुओं, कृषि और खाद्य उत्पादों, निर्माण, विद्युत, खनन और खनिजों जैसे क्षेत्रों की परियोजनाओं से संबंधित रहीं। क्रेता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत घाना, सेनेगल, नाइजीरिया, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, यूएई आदि देशों को निर्यातों के लिए ₹ 8.83 बिलियन के संवितरण किए गए। वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों को सुगम बनाने और सामाजिक–आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के क्रम में एशिया और अफ्रीका में बैंकों को लगभग 160 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइनें भी प्रदान कीं।

ऋण–व्यवस्थाएं

भारत सरकार की 'भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना' (आयडियाज़) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण–व्यवस्थाएं, मित्र देशों में आर्थिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने, उन देशों में सामाजिक–आर्थिक सकारात्मक बदलाव लाने, वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और क्षमता विकास तथा कौशल हस्तांतरण में सहायता देने के लिए मित्र देशों के साथ भारत के विकास अनुभव साझा करने का महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं। एक्ज़िम बैंक मित्र देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को भारत सरकार की ओर से तथा भारत सरकार के सहयोग से ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत से परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों को सहयोग के उद्देश्य से 1.13 बिलियन यूएस डॉलर की 6 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान कीं। वर्ष के दौरान, गयाना, किर्गिज़ रिपब्लिक, मेडागास्कर, म्यांमार, फिलिस्तीन और श्रीलंका की सरकारों को ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की गईं। इन ऋण–व्यवस्थाओं से सौर विद्युत जैसी अक्षय ऊर्जा, पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और विकास तथा संपोषी परियोजनाओं के निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा। बैंक द्वारा कुल 31.96 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धताओं के साथ भारत सरकार की ओर से 310 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये ऋण–व्यवस्थाएं बढ़ती पहुंच के दृष्टिकोण के साथ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका,

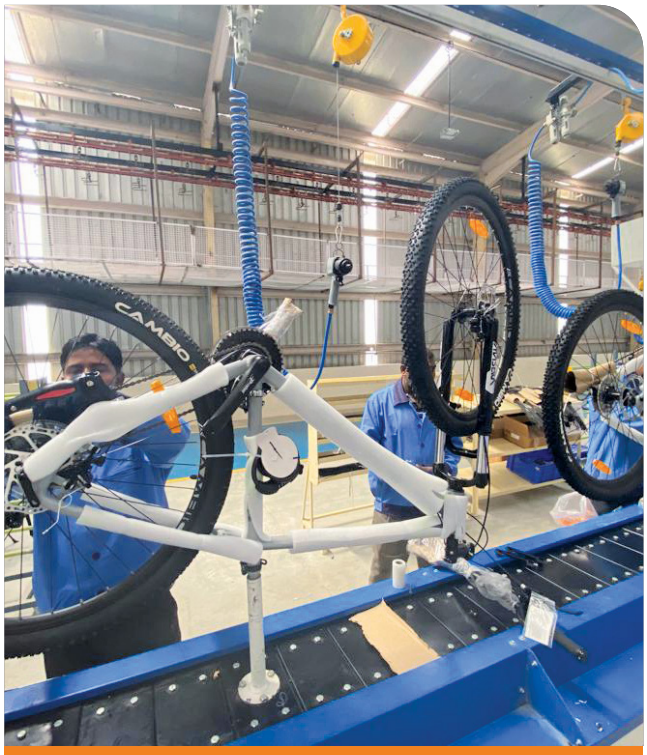

बैंक ने एवन न्यूएज साइकल्स प्रा. लि. को इसकी विनिर्माण इकाइयों के विस्तार के लिए मीयादी ऋण प्रदान किया।

ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में 66 देशों के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ऋण–व्यवस्थाओं के अंतर्गत वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं से मित्र देशों को अपनी विकास प्राथमिकताएं हासिल करने में मदद मिली। साथ ही, उच्च मूल्य–वर्धित तथा प्रौद्योगिकी–गहन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर भी बने। मॉरीशस में सामाजिक आवासीय परियोजना ऐसी ही एक परियोजना है, जिससे मॉरीशस में मध्य वर्ग की आबादी को किफायती दामों पर आवास मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। 956 आवासीय इकाइयों के निर्माण और संबद्ध बुनियादी ढांचागत कार्य से संबंधित परियोजना को एसबीएम मॉरीशस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को प्रदान की गई 500 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत 25 मिलियन यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता से लगाया गया। इस परियोजना का उद्घाटन भारत और मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया।

नेपाल में मोदी–लेखनाथ परियोजना, ऋण–व्यवस्थाओं के जरिए सकारात्मक बदलाव वाले विकास का एक और उदाहरण है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य नेपाल में न्यू मोदी को लेखनाथ से जोड़ने के लिए 42 किलोमीटर लंबी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन और न्यू मोदी, लाहा चौक और लेखनाथ में संबद्ध सबस्टेशनों का निर्माण कार्य शामिल है। इस परियोजना से इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति की सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्ष के दौरान, परियोजना के हिस्से के रूप में बनाए गए तीन सबस्टेशनों का उद्घाटन किया गया। यह भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। ये सबस्टेशन नेपाल सरकार को 250 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत वित्तपोषित थे।

भारत सरकार ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आयडियाज़ 2022) के लिए 31 मार्च, 2022 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को और सुगम बनाना तथा गुणवत्तापूर्ण आस्तियों की तीव्र डिलीवरी सुनिश्चित करना है। आयडियाज़ 2022 में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव किए गए हैं– (i) 10 मिलियन यूएस डॉलर और इससे अधिक की परियोजनाओं (आपूर्ति कॉन्ट्रैक्टों को छोड़कर) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की अनिवार्य नियुक्ति; (ii) उधारकर्ता सरकार के लिए परियोजना के कमीशन होने और वारंटी अवधि पूरी होने की तारीख से तीन से पांच साल की अवधि का व्यापक रखरखाव कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी; (iii) ऋण–व्यवस्था के संबंध में विभिन्न समय–सीमाओं को सुव्यवस्थित करना; (iv) परियोजना पूरी होने पर ऋण–व्यवस्था की 0.50 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग ऋणदाता बैंक या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।

रियायती वित्तपोषण योजना

बैंक ने बांग्लादेश के बागरहाट जिले के रामपाल में टर्नकी आधार पर 1320 मेगावाट (2*660 मेगावाट) की रणनीतिक अल्ट्रा सुपर–क्रिटिकल मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना के वित्तपोषण के लिए 1.60 बिलियन यूएस डॉलर का मीयादी ऋण प्रदान किया है। यह ऋण बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, बांग्लादेश और एनटीपीसी लिमिटेड, भारत की 50:50 की हिस्सेदारी वाली संयुक्त उद्यम कंपनी 'बांग्लादेश–इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' को प्रदान किया गया है। इस टर्नकी परियोजना का कार्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मिला था। इस परियोजना को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का चयन किया गया है। तैयार होने के बाद

नेपाल सरकार को दी गई 250 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत निधिक मोदी–लेखनाथ ट्रांसमिशन लाइन परियोजना।

मॉरीशस सरकार को दी गई 100 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत मॉरीशस पुलिस बल को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित यात्री डोर्नियर विमान की आपूर्ति की गई।

मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना बांग्लादेश की सबसे बड़ी विद्युत परियोजनाओं में से एक होगी। यह विद्युत संयंत्र बांग्लादेश सरकार की बुनियादी ढांचागत विकास, विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजना का हिस्सा है। इस परियोजना से बांग्लादेश में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर देश में बिजली की कमी को दूर किया जाएगा। इस संयंत्र से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और परियोजना क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था में भी सुधार आएगा। इस परियोजना का 80 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। यथा 31 मार्च, 2022 को इसके अंतर्गत 1.26 बिलियन यूएस डॉलर की राशि का संवितरण किया जा चुका है।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता–ऋण

बैंक द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी–एनईआईए) के तहत यथा 31 मार्च, 2022 को 3.29 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 34 परियोजनाओं के लिए 3.01 बिलियन यूएस डॉलर की राशि को मंजूरी प्रदान की गई। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एनईआईए में ₹ 16.50 बिलियन की अतिरिक्त पूँजी डालने की मंजूरी दी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 7.44 बिलियन की पूँजी डाली जा चुकी है। बैंक द्वारा सहयोग प्राप्त परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल रहीं:

- श्रीलंका, युगांडा और कैमरून में जल परियोजनाएं;
- मोज़ाम्बिक़ में एलपीजी भंडारण सुविधा;
- कोत दि'वार, सेनेगल और तंज़ानिया को वाहनों तथा पुर्जों की आपूर्ति;
- कैमरून, मॉरिटानिया, सेनेगल, ज़ाम्बिया और गिनी में ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं;
- घाना में रेलवे लाइन परियोजना;
- घाना और मेडागास्कर में कृषि परियोजनाएं;
- सूरीनाम में सिंचाई परियोजना;
- मालदीव, ज़ाम्बिया तथा घाना में सड़क परियोजनाएं; और
- मालदीव में आवासीय परियोजनाएं।

बैंक ने अनेक अग्रणी भारतीय परियोजना निर्यातकों के अनुरोध पर बीसी–एनईआईए के तहत, 3.41 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 24 परियोजनाओं को सहयोग करते हुए कुल 2.93 बिलियन यूएस डॉलर राशि के लिए सिद्धांतत: प्रतिबद्धता भी दी है।

निर्यात स्पर्धात्मकता का सृजन

बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई वित्तपोषण कार्यक्रमों के जरिए सहयोग प्रदान करता है। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाने के अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल ₹ 157.02 बिलियन के ऋणों को मंजूरी प्रदान की गई। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत ₹ 81.63 बिलियन की राशि का संवितरण किया गया।

निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) को ऋण

निर्यातोन्मुख इकाइयों को एक्ज़िम बैंक के ऋणों के जरिए भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताओं में सुधार लाने और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलती है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 23 निर्यातोन्मुखी इकाइयों को ₹ 43.09 बिलियन के मीयादी ऋणों को अनुमोदन प्रदान किया। ₹ 9.37 बिलियन का संवितरण किया गया। उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत, 8 निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरण के अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए ₹ 5.27 बिलियन की राशि मंजूर की गई और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 4.00 बिलियन की राशि का संवितरण किया गया। 14 कंपनियों को ₹ 27.76 बिलियन की राशि के दीर्घावधि

कार्यशील पूँजी ऋणों को मंजूरी प्रदान की गई और ₹ 10.42 बिलियन की राशि का संवितरण किया गया।

निर्यातोन्मुख इकाइयों को ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक द्वारा सौर पीवी मॉड्यूल और सेल विनिर्माण खंड में क्षमता सृजन के लिए वित्तपोषण किया जा रहा है। इससे भारत के हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने के लक्ष्य में योगदान दिया जा सकेगा और देश को वैश्विक रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक और बेहतर आपूर्ति आधार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। बैंक ने मूंदड़ा, सेज़ में 2,000 मेगावाट के सौर पीवी मॉड्यूल और सेल विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए सर्विस पुर्जों सहित उपकरण और पूँजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए साख पत्र / आपाती साख पत्र जारी किए हैं।

निर्यातोन्मुख इकाइयों को ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक की सहायता मुख्य रूप से देश से विनिर्माण निर्यातों को बढ़ाने पर केंद्रित है और इससे प्रायः अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से भी निर्यातों को बढ़ावा मिलता है। सिंदरी, झारखंड में उर्वरक इकाई की स्थापना की लागत के आंशिक वित्तपोषण के लिए दी गई सहायता ऐसा ही एक उदाहरण है। इससे देश के पूर्वी इलाके में खेती के लिए यूरिया की उपलब्धता बढ़ेगी, क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी और इस क्षेत्र से कृषि क्षेत्र से निर्यात के लिए सरप्लस उत्पादन हो सकेगा। इसके अलावा, इस सहायता के जरिए यूरिया के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने, इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता हासिल करने और इन उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

बैंक, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत परियोजनाओं की पात्रता निर्धारण को अनुमोदित करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सब्सिडी जारी करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसियों में से एक है। यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक ने ₹ 192.57 बिलियन की लागत वाली कुल 236 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। टीयूएफएस के अंतर्गत अनुमोदित ऋणों और संवितरणों की राशि क्रमशः ₹ 69.94 बिलियन और ₹ 76.56 बिलियन रही। टीयूएफएस के अंतर्गत बैंक द्वारा वस्त्र उद्योग को प्रदान किया गया सहयोग वस्त्र विनिर्माण के विभिन्न खंडों और भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है।

विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम

भारत के जावक निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक का एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें इक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियां और सलाहकारी सेवाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 16 कंपनियों को 8 देशों में उनके विदेशी निवेशों के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ₹ 24.94 बिलियन की निधिक और गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। बैंक द्वारा अब तक 78 देशों में 483 कंपनियों द्वारा स्थापित 652 उद्यमों को वित्त प्रदान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सहयोग प्रदान किए गए विदेशी निवेशों में खाद्य पदार्थों की सामग्री के विनिर्माण के लिए यूएसए में एकीकृत ग्रीनफील्ड इकाई की स्थापना; फिलीपींस में एक रसायन इकाई लगाने के लिए वित्त; यूके में रसोई और स्नानघरों के लिए सॉलिड सरफेस उत्पादों के विनिर्माण में संलग्न कंपनी के अधिग्रहण के लिए वित्त; और यूके में डेटा और नेटवर्क सॉल्यूशंस प्रदाता के अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण शामिल रहे। बैंक द्वारा विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुल ₹ 637.54 बिलियन की सहायता प्रदान की गई, जिसमें फार्मासूटिकल्स, घरेलू साज-सज्जा, सिले-सिलाए कपड़े, निर्माण, कागज, टेक्सटाइल्स, गारमेंट, रसायन, रंजक (डाई), कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी सामान, स्वास्थ्य सेवा, प्राकृतिक संसाधन, धातु तथा धातु प्रसंस्करण, खनन और खनिज, कृषि तथा कृषि आधारित उत्पाद, तेल और गैस आदि क्षेत्र शामिल हैं।

आपाती साख-पत्र (एसबीएलसी)/साख-पत्र

निर्यातोन्मुखी इकाइयों के व्यापार को सुगम बनाने के लिए बैंक, मुख्यतः बैंक द्वारा वित्तपोषित आयातों के लिए साख पत्र (एलसी) जारी करता है। बैंक निर्यातोन्मुखी इकाइयों को उनके विदेशी उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाने के लिए गारंटियों/आपाती साख पत्रों के जरिए वित्तीय गारंटियां भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 20.73 बिलियन की वित्तीय गारंटियां जारी कीं। बैंक का वित्तीय गारंटी पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2021 के ₹ 13.62 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2022 को ₹ 67.97 बिलियन का रहा। वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 9.35 बिलियन के 86 साख पत्र जारी किए। बैंक निर्यात दस्तावेजों के निगोशिएशन/कलेक्शन संबंधी कार्य भी संभालता है। बैंक ने ₹ 97.49 बिलियन के 1,340 निर्यात दस्तावेज संभाले।

बैंक के उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत सेडेमैक मेकैट्रॉनिक्स प्रा. लि. को आर एंड डी गतिविधियों के लिए आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण दिया गया।

श्रीलंका के नैशनल वॉटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड को 164.90 मिलियन यूएस डॉलर की बीसी-एनईआईए सुविधा के अंतर्गत वित्तपोषित अलुथगमा, माथुगमा और अगलवत्ता एकीकृत जल आपूर्ति परियोजना।

उभरते सितारे कार्यक्रम

उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) में ऐसी भारतीय कंपनियों को चिह्नित किया जाता है, जिनमें निर्यातों की अच्छी संभावनाएं हैं और जो उन्नत तकनीक, उत्पाद या प्रोसेस के लिहाज से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी कंपनी के रूप में उभरने के लिए अपनी क्षमताओं का दोहन नहीं कर पा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय और सलाहकारी सेवाओं, दोनों प्रकार का सहयोग दिया जाता है। यह सहयोग ऋण (निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं), इक्विटी / इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश और तकनीकी सहायता के जरिए प्रदान किया जाता है।

यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत 19 कंपनियों को ₹ 3.88 बिलियन की निधिक और गैर-निधिक ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी और ₹ 1.54 बिलियन का संवितरण किया। ये मंजूरियां एरोस्पेस और रक्षा, ऑटो और ऑटो पुर्जे, फार्मासूटिकल, इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़े के उत्पाद, उपभोक्ता वस्तुएं और प्लास्टिक के उत्पाद आदि जैसे विविध क्षेत्रों के लिए दी गई हैं। यूएसपी के अंतर्गत दी गई सहायता के जरिए बैंक इन कंपनियों की क्षमताएं बढ़ाने, उनके मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो का विविधीकरण करने और विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करने में योगदान देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार, चिह्नित कंपनियों के समग्र विकास में योगदान देते हुए बैंक रोजगार सृजन तथा भारत के निर्यातों को बढ़ाने और उनके विविधीकरण में अपना योगदान देगा।

इस कार्यक्रम के तहत अगस्त 2021 में माननीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा एक्ज़िम बैंक और सिडबी द्वारा सह-प्रवर्तित उभरते सितारे फंड (यूएसएफ) नामक एक वैकल्पिक निवेश निधि की शुरुआत की गई। यूएसएफ का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा उद्योगों में लघु और मध्यम आकार की ऐसी कंपनियों को चिह्नित करना और उनमें इक्विटी तथा इक्विटी जैसे उत्पादों के जरिए निवेश करना है, जिनमें निर्यातों की अच्छी संभावनाएं हैं और जो भावी निर्यात चैंपियन हो सकती हैं। 16 मार्च, 2022 को यूएसएफ का पहला क्लोज़ घोषित किया गया और यथा 31 मार्च, 2022 को विभिन्न बैंकों / संस्थाओं से यूएसएफ के अंतर्गत कुल प्रतिबद्धताएं ₹ 2.95 बिलियन की रहीं।

व्यवसाय परिचालन

एक्ज़िम बैंक, निर्यातों के वित्तपोषक के रूप में

एक्ज़िम बैंक निर्यातों के सुगमकर्ता के रूप में

एक्ज़िम बैंक निर्यातों के संवर्धक के रूप में

एक्ज़िम बैंक की संस्थागत आधारभूत अवसंरचना

एक्ज़िम बाज़ार

ग्रासरूट उद्यमों और दस्तकारों को दिए जाने वाले सहयोग को बढ़ाने के क्रम में, बैंक ने दस्तकारों के लिए मार्केटिंग प्लैटफॉर्म के रूप में 2017 में 'एक्ज़िम बाज़ार' नाम से एक नई पहल शुरू की। आज एक्ज़िम बाज़ार बैंक का एक प्रमुख कार्यक्रम बन चुका है। 'एक्ज़िम बाज़ार' भारत की पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प के पुनरुद्धार करने का बैंक का एक और प्रयास है।

एक्ज़िम बाज़ार के पूर्व आयोजनों को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया और सफलता को देखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान अहमदाबाद और मुंबई में क्रमशः सातवें और आठवें एक्ज़िम बाज़ार का आयोजन किया। इस बाज़ार में हिस्सा लेने वाले दस्तकारों के उत्पादों की न केवल बिक्री हुई, बल्कि कॉर्पोरेट और रिटेल खरीदारों से संपर्क भी बने। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें आने वाले लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न कलाओं के बारे में भी जानने का मौका मिला।

इसमें मधुबनी चित्रकारी, चमड़े की कठपुतली, वारली चित्रकारी, पिछवाई चित्रकारी, फुलकारी फेब्रिक्स, पट्टचित्र चित्रकारी, फड़ चित्रकारी, बनारसी रेशमी कपड़े, लाख की चूड़ियां, कावड चित्रकारी, कलमकारी, चंदेरी बुनाई, सरैमिक ब्लू पॉटरी, डोकरा कला के साथ–साथ अन्य हस्तकलाएं प्रदर्शित की गईं। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उत्सव के रूप में विभिन्न राज्यों के 75 ग्रासरूट उद्यमों और दस्तकारों ने इस बाज़ार में हिस्सा लिया।

मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं

बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों को सफलता शुल्क आधार पर अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए विदेश में वितरक / क्रेता / भागीदार तलाशने में मदद कर उनके वैश्वीकरण प्रयासों में सहायता करता है।

एक्ज़िम मित्र

बैंक के एक्ज़िम मित्र पोर्टल ने व्यापार वित्त तक पहुंच को आसान और सरल बनाया है। यह पोर्टल व्यापार संबंधी तमाम सूचनाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराता है। इसे बैंक के संस्थागत संबंधों और निर्यात संवर्धन के अनुभव का सदुपयोग करते हुए विकसित किया गया है।

यह पोर्टल विभिन्न उत्पादों की विभिन्न बाजारों में मांग; बाजार के मानदंडों, सैनिटरी / फायटोसैनिटरी अपेक्षाओं से संबंधित सूचनाएं; अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में नियम और विनियम निर्यात संबंधी विभिन्न सूचनाएं; विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी प्रोत्साहन; सहायक एजेंसियों के संपर्क विवरण; दुनियाभर से शिपमेंट की लागत और उसमें लगने वाली अवधि; और देशों की रेटिंग जैसी तमाम सूचनाओं के अभाव को दूर करने में योगदान देता है।

12 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर यह पोर्टल सुगमकर्ता के रूप में काम करता है। भावी निर्यातक इसके जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर ऋण आवेदनों से संबंधित प्रारंभिक जानकारी हासिल करते हैं। ये विवरण उन बैंकों के साथ स्वतः ही साझा हो जाते हैं। यह पोर्टल आपूर्तिकर्ताओं और व्यापार वित्त के उपयोक्ताओं के बीच एक जरूरी मध्यस्थ का काम करता है।

मुंबई में एक्ज़िम बाज़ार का उद्घाटन महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा किया गया।

एक्ज़िम मित्र पोर्टल पर बैंक की हेल्पलाइन पर विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों से यथा 31 मार्च, 2022 को 1050 अनुरोध मिले। इनमें से मिले अधिकांश अनुरोध श्रम गहन क्षेत्रों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निर्यातकों से मिले हैं, जिन्हें अनुसंधान एवं विकास में सूचना संबंधी संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है।

बैंक इस पोर्टल के रजिस्टर्ड उपयोक्ताओं को मासिक न्यूज़लेटर एक्ज़िम कनेक्ट भी भेजता है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सभी नवीनतम जानकारियां एक जगह मिल जाती हैं।

व्यवसाय उत्कृष्टता वार्षिक पुरस्कार

वर्ष 1994 में बैंक और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियों (टीक्यूएम) के लिए सीआईआई–एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार के माध्यम से भारतीय कंपनियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए साथ आए। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (ईएफक्यूएम) मॉडल पर आधारित है। 2021 में उन्नीस कंपनियों को अलग–अलग स्तरों पर पुरस्कृत किया गया। किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड (डोल्वी वर्क्स), गोदरेज कंस्ट्रक्शन एंड गोदरेज प्रिसिशन इंजीनियरिंग (गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड) को व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए सीआईआई–एक्ज़िम बैंक पुरस्कार के लिए चुना गया।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार

बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध और डॉक्टरेट डिग्री को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार के अंतर्गत ₹ 350,000 की राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 की पुरस्कार विजेता डॉ. संजना गोस्वामी रहीं। उन्हें यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयोगसिद्ध अध्ययन शीर्षक वाली उनकी डॉक्टोरल थीसिस के लिए प्रदान किया गया। डॉ. गोस्वामी ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इर्विन, यूएसए से 2020 में अपनी डिग्री हासिल की थी।

ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार

वर्ष 2016 में ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत भारत की अध्यक्षता के दौरान बैंक ने 'ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार' (ब्रिक्स पुरस्कार) की स्थापना की। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए प्रासंगिक समसामयिक विषयों पर केंद्रित उन्नत डॉक्टोरल शोध को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कारस्वरूप एक प्रशस्ति पत्र और बैंक द्वारा प्रायोजित ₹1.50 मिलियन की सम्मान राशि प्रदान

माननीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती निर्मला सीतारामन ने लखनऊ में 'उभरते सितारे फंड' का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं निर्यात संवर्धन मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी उपस्थित रहे।

बैंक के ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार के विजेता डॉ. राहुल सिंह को बैंक द्वारा आयोजित ब्रिक्स वित्तीय फोरम के दौरान पुरस्कृत किया गया।

की जाती है। यह पुरस्कार ब्रिक्स के पांचों देशों के नागरिकों द्वारा किए गए उनके उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार डॉ. राहुल सिंह को 'उदारीकरण के बाद के भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर आलेख' शीर्षक की उनकी थीसिस के लिए दिया गया। डॉ. सिंह ने बेंगलूरु स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान से 2020 में अपनी डिग्री हासिल की थी।

व्यवसाय परिचालन

एक्ज़िम बैंक, निर्यातों के वित्तपोषक के रूप में

एक्ज़िम बैंक निर्यातों के सुगमकर्ता के रूप में

एक्ज़िम बैंक निर्यातों के संवर्धक के रूप में

एक्ज़िम बैंक की संस्थागत आधारभूत अवसंरचना

शोध एवं विश्लेषण

बैंक का शोध एवं विश्लेषण समूह अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश के विभिन्न पहलुओं पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव शोध तकनीकों के जरिए शोध अध्ययन करता है। ये शोध अध्ययन मुख्य रूप से क्षेत्रीय, उद्योग खंड और नीति संबंधी श्रेणियों के अंतर्गत किए जाते हैं और इन्हें प्रासंगिक आलेखों तथा कार्यकारी आलेखों, पुस्तकों आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

स्टेकहोल्डरों के साथ चर्चा और शोध के आधार पर बैंक ने वर्ष के दौरान कई क्षेत्र–विशिष्ट अध्ययन प्रकाशित किए। इनमें खेल वस्तु उद्योग, संपोषी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण सौर तथा सृजनात्मक उद्योग जैसे क्षेत्र, परियोजना निर्यातों जैसे बैंक के परिचालनों से संबंधित प्रमुख क्षेत्र और कृषि तथा झींगों एवं प्रॉन्स और डेयरी जैसे संबद्ध क्षेत्रों पर शोध शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न देशों / क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों पर भी शोध अध्ययन किए। इनमें ब्रिक्स और कैरिफोरम जैसे समूहों, भारत के व्यापार एवं निवेश के लिए बढ़ते महत्त्व वाले यूके, यूएई तथा ऑस्ट्रेलया जैसे देशों और अफ्रीका तथा मध्य एशिया जैसे रणनीतिक महत्त्व के क्षेत्रों के साथ संभावित सहयोग पर किए गए शोध शामिल हैं।

समान विचारधारा वाले देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करने पर भारत सरकार के फोकस को को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न शोध अध्ययन किए। "मुक्त व्यापार करारों में भारत की तत्परता: आगे की राह" शीर्षक वाले अध्ययन में भारत के प्रमुख व्यापार करारों और भारत के व्यापार पर इनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। बैंक ने विभिन्न देशों पर केंद्रित शोध अध्ययन भी किए हैं, जिनमें भारत के लिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश करारों के अवसरों का मूल्यांकन किया गया है। प्रस्तावित भारत–यूके एफटीए का विश्लेषण भारत–यूके द्विपक्षीय संबंध: रुझान, अवसर और आगे की राह शीर्षक वाले शोध अध्ययन में किया गया है। आरबीआई और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा इसकी सराहना भी की गई। बैंक द्वारा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर अन्य देशों / क्षेत्रों के लिए इसी प्रकार के एफटीए प्रभावों के विश्लेषण पर भी काम किया जा रहा है।

'भारत–जापान व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए संभावनाएं' शीर्षक प्रकाशन का विमोचन श्री दम्मू रवि, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया।

बैंक ने व्यापार नीति का पुनर्भिमुखीकरण: भारत के लिए एकीकृत व्यापार और निवेश फ्रेमवर्क शीर्षक से एक विशेष प्रकाशन भी प्रकाशित किया। इस अध्ययन में देश में निवेश और औद्योगिक नीतियों संबंधी फ्रेमवर्क का आकलन करने के साथ–साथ भारत की व्यापार नीति का विश्लेषण किया गया है। तदनुसार, व्यापार नीति को निवेश नीति से एकीकृत करने और इसे फाइन–ट्यून करने के लिए अध्ययन में उपयुक्त रणनीतियों के साथ–साथ नीतिगत उपाय चिह्नित किए गए हैं। अध्ययन में चिह्नित किए गए ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मासूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, सोलर पैनल और चमड़ा जैसे कुछ क्षेत्रों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

वर्ष के दौरान, 18 शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए, जो निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय खेल वस्तु उद्योग: निर्यात संभाव्यताओं को भुनाने के लिए रणनीतियां
2. भारतीय सौर क्षेत्र: संवृद्धि और संपोषी विकास को प्रोत्साहन
3. भारतीय डेयरी उद्योग: रुझान और बेहतर निर्यात उन्मुखीकरण के लिए संभावनाएं
4. भारत से परियोजना निर्यात: बदलते परिदृश्य में संभावनाओं का पता लगाना
5. सतत निर्यात के लिए भारत का सृजनात्मक उद्योग
6. भारत से झींगों और प्रॉन्स के निर्यातों की संभावनाएं
7. ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंध: हालिया रुझान और संभावनाएं
8. सुदृढ़ अफ्रीका का निर्माण: भारत का बढ़ता सहयोग
9. भारत–यूके संबंध: रुझान, अवसर और आगे की राह
10. भारत–कैरिफोरम आर्थिक संबंधों और सहयोग को बढ़ाना
11. भारत और मध्य एशिया को में संपर्क बढ़ाना: व्यापार और निवेश में वृद्धि की संभावनाएं
12. यूएई के साथ भारत का व्यापार बढ़ाना
13. ब्रिक्स सहयोग बढ़ाना: आगे की राह
14. भारत, उदारीकरण के बाद: अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निबंध
15. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयोगसिद्ध अध्ययन
16. व्यापार नीति का पुनर्भिमुखीकरण : भारत के लिए एकीकृत व्यापार और निवेश फ्रेमवर्क
17. मुक्त व्यापार करारों में भारत की तत्परता: आगे की राह
18. उत्तर प्रदेश से निर्यात: रुझान, अवसर और नीतिगत परिप्रेक्ष्य

श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री ने वाणिज्य सप्ताह के क्रम में बैंक द्वारा मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निर्यातकों से चर्चा की।

निर्यात संवर्धन के लिए राज्यों को सहयोग

राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए और भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के अपने मैंडेट के अनुरूप, एक्ज़िम बैंक राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्य स्तर पर निर्यात निष्पादन और संभावनाओं का मूल्यांकन करता रहा है। साथ ही, राज्यों की व्यापार स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए रणनीतियां बनाता रहा है। बैंक द्वारा अब तक उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, सिक्किम और मिज़ोरम के लिए रणनीति शोध पत्र तैयार किए जा चुके हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ, व्यापार स्पर्धात्मकता बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, निर्यात वित्त की उपलब्धता को बढ़ाने, उत्पादन चक्र में मूल्य वर्धन को बढ़ाने, क्षमता सृजन, निर्यातों के संबंध में जागरुकता बढ़ाने, राज्यों के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बढ़ाने तथा निर्यातों को उच्चतर स्तर तक ले जाने के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

बैंक ने 2021-22 के दौरान 'उत्तर प्रदेश से निर्यातः रुझान, अवसर और नीतिगत परिप्रेक्ष्य' शीर्षक से एक शोध अध्ययन भी प्रकाशित किया। इसका विमोचन श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा लखनऊ में किया गया।

आंध्र प्रदेश सरकार ने भी बैंक के साथ मिलकर राज्य से निर्यातों को बढ़ाने के लिए एक रणनीति संबंधी शोध पत्र पर काम किया। इस क्रम में, बैंक ने वर्ष के दौरान राज्य से विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ कई दौर की चर्चाएं कीं।

एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स

बैंक ने भारत के निर्यातों में आने वाले उतार-चढ़ावों का पूर्वानुमान लगाने और उनका ट्रैक रखने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) तैयार करने के लिए एक आंतरिक मॉडल विकसित किया है। ईएलआई देश के निर्यातों का आकलन करता है। इस मॉडल को देश के निर्यातों पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न बाह्य एवं घरेलू कारकों को ध्यान में रखते हुए देश के वस्तु निर्यातों और गैर-तेल निर्यातों में तिमाही आधार पर वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए विकसित किया गया है।

ईएलआई मॉडल के आधार पर बैंक ने पूरे वर्ष (अर्थात 2021-22) के लिए कुल वस्तु निर्यातों का पूर्वानुमान जारी किया। इसके अनुसार, 42.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वस्तु निर्यात 414.8 बिलियन यूएस डॉलर और 32.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ गैर-तेल निर्यात 353.4 बिलियन यूएस डॉलर के रहने का पूर्वानुमान रहा। वित्तीय वर्ष 22 की चौथी तिमाही में जारी किए गए ये पूर्वानुमान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वास्तविक आकलन के अनुरूप रहे, जिसके अनुसार कुल वस्तु निर्यात 417.8 बिलियन यूएस डॉलर और गैर-तेल वस्तु निर्यात 352.8 बिलियन यूएस डॉलर के रहे। वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक (संशोधित) वस्तु निर्यात 421.9 बिलियन यूएस डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहे और गैर-तेल निर्यात और 354.4 बिलियन यूएस डॉलर के रहे और इनमें क्रमशः 44.6 प्रतिशत और 33.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक के ये पूर्वानुमान हर तिमाही में पूर्ववर्ती तिमाही के लिए जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च के पहले सप्ताह में जारी किए जाते हैं। इस मॉडल से प्राप्त परिणाम अन्य के साथ-साथ नीति निर्माताओं, शोधार्थियों और निर्यातकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के क्रम में भारतीय निर्यातकों को जानकारियां प्रदान करने के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के समन्वय और उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व बैंक के एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र (ईसीएल) पर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ईसीएल द्वारा निर्यातकों के लिए 19 सेमिनारों का आयोजन किया गया। ये सेमिनार मुख्य रूप से निर्यात क्षमता सृजन, व्यवसाय अवसर, उद्योग, देश और क्षेत्रगत फोकस तथा भारतीय राज्यों की निर्यात संभाव्यताओं जैसे विषयों पर केंद्रित रहे। महामारी के कारण, इनमें से अधिकांश सेमिनार वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए।

भारत सरकार द्वारा एनईआईए ट्रस्ट की राशि को बढ़ाए जाने का लाभ निर्यातक समुदाय को प्रदान करने और भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सुगम बनाने के क्रम में, 'भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए वैश्विक अवसर बढ़ाना' विषय पर मुंबई, हैदराबाद और इंदौर में लोकसंपर्क सेमिनार आयोजित किए गए। बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनैशनल कोऑपरेशन और

भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद के साथ मिलकर टीका विनिर्माताओं और फार्मा कंपनियों के साथ एक वेबिनार भी आयोजित किया, जिसमें नवोन्मेषी निधिक संरचनाओं पर चर्चा की गई।

ईसीएल बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ मिलकर उनके द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर संयुक्त रूप से सेमिनारों का आयोजन करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ मिलकर दो ऑनलाइन चर्चापरक कार्यशालाओं का आयोजन किया। ये कार्यशालाएं एडीबी द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर की गईं।

बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निर्यात जागरूकता बढ़ाने और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय चैंबरों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ मिलकर सेमिनार किए। बैंक के विभिन्न कार्यक्रमों, विशेष रूप से उभरते सितारे कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्थानों पर लोकसंपर्क सेमिनार आयोजित किए गए। बैंक ने कृषि और रसायन उद्योग के लिए क्षेत्र विशेष पर केंद्रित सेमिनार भी किए। भारतीय निर्यातकों और निर्यात संवर्धन परिषदों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों ने इन सत्रों में हिस्सा लिया। क्षेत्र–केंद्रित दो वेबिनार भी आयोजित किए गए। ये वेबिनार 'बढ़ता भारत–आसियान सहयोग' और 'भारत–जापान साझेदारीः व्यापार और सहयोग के अन्य क्षेत्र' विषयों पर आयोजित किए गए।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था और व्यापार–संबंधी नीतियों आदि से संबंधित मामलों के बारे में जानने के इच्छुक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के क्रम में, बैंक ऑनलाइन शिक्षण सत्रों का आयोजन भी करता है। इन सत्रों को 'एक्ज़िम बैंक की मास्टर क्लास' नाम दिया गया है। ये मास्टर क्लास 'अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए व्यवसाय और परिचालन उत्कृष्टता' और 'प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रीय बजट का प्रभाव' जैसे विषयों पर आयोजित की गईं। इनके लिए बैंक से अर्थशास्त्रियों और बाहरी विशेषज्ञों को वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया।

संस्थागत संबद्धताएं

देश के व्यापार एवं निवेश हेतु अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद के लिए बैंक ने बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्धन निकायों और निवेश संवर्धन बोर्डों के साथ अपने संस्थागत संबंधों का एक नेटवर्क विकसित किया है।

ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र

ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत बैंक, भारत की ओर से एक नामित सदस्य विकास बैंक है। बैंक ने 8 सितंबर, 2021 को ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र की वार्षिक बैठक और वित्तीय फोरम के साथ–साथ संबंधित बैठकें ऑनलाइन आयोजित की।

एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम

बैंक ने 1996 में एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम (एईबीएफ) के गठन की पहल की। एईबीएफ का उद्देश्य अपनी सदस्य संस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना और मजबूत संस्थागत संबंध स्थापित करना है, ताकि एशियाई एक्ज़िम बैंक समुदाय में दीर्घकालिक संबंध स्थापित किया जा सकें। इस फोरम में वर्तमान में 11 सदस्य संस्थाएं हैं और एशियाई विकास बैंक स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है।

एईबीएफ की 26वीं वार्षिक बैठक का आयोजन नवंबर 2021 में तुर्क एक्ज़िम बैंक की मेजबानी में वर्चुअल रूप से किया गया था। वार्षिक बैठक का विषय 'एशिया में व्यापार प्रवाहों और निवेशों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव और संभावित परिणाम' था।

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी–नेक्सिड) की स्थापना बैंक तथा अन्य सार्वजनिक विकास बैंकों की पहल पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) के तत्त्वावधान में 2006 में जेनेवा में की गई थी। विभिन्न विकासशील देशों के एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से इसकी स्थापना की गई। इस नेटवर्क के जरिए दक्षिण–दक्षिण व्यापार और निवेश तथा सहयोग तथा परियोजना वित्त को बढ़ाने के प्रयास किए गए।

महामारी के चलते वार्षिक आम सभा 10 नवंबर, 2021 को ऑनलाइन आयोजित की गई। नेटवर्क ने मार्च से मई 2021 तक 'ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी' पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जी–नेक्सिड सदस्यों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान संपोषी वित्त पर एक क्षमता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया। जी–नेक्सिड ने विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम किए, जिनमें अन्य के साथ–साथ, अंतः जी–नेक्सिड कोविड–19 संवाद; लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ट्रांजैक्शनल कनेक्टिविटी के जरिए व्यापार वित्त तक पहुंच बढ़ाना; ग्रीन सुकुक और उप–सहारा अफ्रीका में संपोषी बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन; परिवहन अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी); लाइबोर परिवर्तन; और व्यापार वित्त में धोखाधड़ीः हालिया मामले और इरादतन चूक जैसे मामलों को रोकने के उपाय जैसे विषय शामिल रहे। अंकटाड और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग ने जी–नेक्सिड के साथ मिलकर कोविड–19 के तहत व्यापार वित्त संवाद का आयोजन किया, जिसमें विकासशील देशों के विकास बैंकों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए। इसमें इंडिया एक्ज़िम बैंक ने भी हिस्सा लिया। इस विमर्श का परिणाम 2022 की संपोषी विकास के लिए वित्तपोषण संबंधी विकास रिपोर्ट के अंतर–एजेंसी कार्य बल के रूप में परिलक्षित होगा।

व्यवसाय परिचालन

एक्ज़िम बैंक, निर्यातों के वित्तपोषक के रूप में

एक्ज़िम बैंक निर्यातों के सुगमकर्ता के रूप में

एक्ज़िम बैंक निर्यातों के संवर्धक के रूप में

एक्ज़िम बैंक की संस्थागत आधारभूत अवसंरचना

मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक के स्टाफ में प्रबंधन स्नातक, सनदी लेखाकार, बैंकर, अर्थशास्त्री, विधि, पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण विशेषज्ञ, इंजीनियर, भाषाविद, मानव संसाधन, मार्केटिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल हैं। बैंक अपने स्टाफ के कौशल का निरंतर उन्नयन करने के लिए विभिन्न सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। अधिकारियों को विशिष्ट पोर्टफोलियो संभालने के लिए उनके कौशल विकास के उद्देश्य से उन्हें ई-लर्निंग सहित विशिष्ट समूह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों के लिए नामित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के 236 अधिकारियों ने 79 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम क्रेडिट रेटिंग, भारतीय ट्रेजरी बाजार, डिस्ट्रेस्ड आस्तियों का समाधान, प्रोक्योरमेंट नीति फ्रेमवर्क, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बॉन्ड गणित, क्लाउड सिक्योरिटी, वेंचर इक्विटी और ऑडिट और धनशोधन निवारण जैसे बैंक के परिचालनों से संबंधित विषयों पर थे। स्टाफ को तनाव प्रबंधन, वर्क-लाइफ बैलेंस, समय प्रबंधन और व्यक्तिगत प्रभाविता पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ट्रेजरी

बैंक की एकीकृत ट्रेजरी सरप्लस निधियों के निवेश, मुद्रा बाजार, फॉरेक्स परिचालनों तथा प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री सहित निधि प्रबंधन का कार्य देखती है। बैंक ने फ्रंट / मिडल/ बैक ऑफिस कार्यों को अलग-अलग किया है और आधुनिकतम डीलिंग रूम बनाया हुआ है। बैंक की ट्रेजरी अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा विनिमय सौदे, निर्यात दस्तावेजों की वसूली/ परक्रामण, अंतरदेशीय / विदेशी साख-पत्र/ गारंटियां, संरचित ऋण आदि विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करती है। बैंक अपने बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से न्यून लागत पर निधियां जुटाने और बैलेंस शीट एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए वित्तीय डेरिवेटिव संव्यवहारों का भी उपयोग करता है। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क का सदस्य है और बैंक को प्रमाणीकरण प्राधिकरण, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी का दर्जा प्राप्त है।

बैंक को आरबीआई के निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट के जरिए सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त है। यह भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूतियां तथा विदेशी मुद्रा लेनदेन मुख्यतः भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा प्रदान की गई गारंटित निपटान सुविधा के जरिए किए जाते हैं। बैंक ट्राय-पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम (ट्रेप्स) और सीसीआईएल के रेपो डीलिंग सिस्टम्स क्लियर कॉर्प ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (क्रोम्स) का सदस्य है। बैंक सीसीआईएल के फॉरेक्स डीलिंग सिस्टम एफएक्स-क्लीयर सेग्मेंट का सदस्य भी है। बैंक में लंदन शाखा से कनेक्टिविटी के साथ केन्द्रीकृत स्विफ्ट सुविधा भी है, जो 'मल्टिपल बैंक आइडेंटिफायर कोड्स' को संभालने में सक्षम है।

बैंक ने राल्सन टायर्स लि. को रेडियल टायरों के विनिर्माण के लिए बड़ी औद्योगिक इकाई लगाने हेतु आंशिक वित्तपोषण के रूप में सहायता प्रदान की।

वर्ष के दौरान बैंक को विनियामक द्वारा फॉरेक्स डेरिवेटिव और क्रेडिट डेरिवेटिव सहित चुनिंदा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में मार्केट मेकर का दर्जा प्रदान किया गया। तद्नुसार, बैंक अपने ग्राहकों को ऑफरिंग सहित डेरिवेटिव से संबंधित गतिविधियां बढ़ाने के लिए अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक कार्यक्रम को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य-योजना के जरिए कार्यान्वित किया गया। इस संबंध में बैंक के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने राजभाषा कार्यान्वयन में प्रगति की तिमाही आधार पर समीक्षा की।

अधिकारियों को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं तथा ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही, प्रख्यात वक्ताओं के व्याख्यानों के आयोजन, आज का शब्द/ विचार, चाय पे चर्चा, तीन सवाल प्रतियोगिता, राजभाषा संवाद और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के जरिए अधिकारियों को हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

अधिकारियों की हिन्दी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें कार्यसाधक ज्ञान / प्रवीणता प्राप्त कराने हेतु प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। अधिकारियों को हिन्दी सीखने और बैंक के कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक में एक प्रोत्साहन योजना लागू है। बैंक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों, कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं में सक्रियता से हिस्सा लिया तथा अंतर बैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया।

बैंक की ई-पत्रिका 'एक्ज़िम स्पर्श' को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली से प्रथम पुरस्कार मिला।

बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट और एक्ज़िम मित्र पोर्टल दोनों हिन्दी और अंग्रेजी में हैं। वार्षिक कार्यक्रम में निर्देशित अनुसार, बैंक के परिचालनों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित साहित्य के अलावा, बैंक के न्यूजलेटर 'एक्ज़िमिअसः निर्यात लाभ' तथा द्विमासिक प्रकाशन 'कृषि निर्यात लाभ' के सभी अंकों को हिन्दी में भी प्रकाशित किया गया। बैंक की गृह पत्रिका 'एक्ज़िमिअस' में हिन्दी खंड भी है। बैंक के नई दिल्ली कार्यालय से प्रकाशित ई-पत्रिका 'एक्ज़िम स्पर्श' को दिल्ली बैंक नराकास से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। हिन्दी महोत्सव के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों और बैंक के स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम 'बाल वाटिका' का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान बैंक के प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय, बेंगलूरु और हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय एवं चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय को राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में सराहनीय कार्य हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने व्यवसाय की बढ़ती जरूरतों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी के ढांचे में निवेश करना जारी रखा और अपने सभी कार्यालयों में नेटवर्क, डाटा सेंटर, कंप्यूटिंग तथा अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणों का उन्नयन करना जारी रखा। सिस्टम्स को कोर बैंकिंग सिस्टम, बिज़नेस इंटेलीजेंस, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोमैटिक वर्कफ्लो, नेटवर्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा की दृष्टि से अपग्रेड किया गया। बैंक ने आईटी गवर्नेंस के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए अपनी पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया।

मुंबई में बैंक का अत्याधुनिक डेटा सेंटर (डीसी) और बेंगलूरु में आपदा बहाली स्थल (डीआर) है। डीसी और डीआर का सक्रिय सेट-अप है और इनमें रिमोट मॉनिटरिंग क्षमताएं हैं। इससे रिकवरी समय और पॉइंट ऑब्जेक्टिव (आरटीओ एवं आरपीओ) से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित होता है। प्राथमिक और डीआर डेटा सेंटर आईएसओ 27001 प्रमाणित हैं। बैंक ने सुरक्षित रिमोट एक्सेस आधारित प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्रियान्वित किया है, जिससे अधिकारियों को कार्यालय से काम को घर से काम में तब्दील करने में आसानी हुई। क्लाउड और डिवाइस-आधारित ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से वर्ष के दौरान सभी स्टेकहोल्डरों के बीच व्यवसाय संबंधी बैठकें अबाधित रूप से जारी रहीं।

बैंक ने व्यवसाय की बढ़ती जरूरतों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जारी रखा और अपने सभी कार्यालयों, डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग तथा अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणों के लिए नेटवर्क को अपग्रेड किया। बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम और भुगतान चैनलों (आरटीजीएस/ एनईएफटी और स्विफ्ट) के बीच एकीकरण से बेहतर निधि प्रबंधन और निधियों का रियल टाइम में बेहतर विनियोजन होता है।

बैंक ने आस्तियों की निगरानी के लिए पूर्व चेतावनी संकेत प्रणाली को क्रियान्वित किया है। सिस्टम में विभिन्न बाह्य और आंतरिक डेटाबेस के साथ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित एकीकरण है, जिससे उधारकर्ताओं/ उद्योग से संबंधित मैक्रो/सूक्ष्म घटनाओं/प्रकरणों को ट्रैक किया जाता है और सिस्टम बैंक के स्कोरिंग मैट्रिक्स के अनुसार अलर्ट करता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने मध्यम अवधि की एक आईटी रणनीति तैयार की, जिसका उद्देश्य सूचनाओं की सुलभ उपलब्धता, विश्लेषणपरक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना और अपने सभी स्टेकहोल्डरों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सुविधाएं प्रदान करना है। आईटी रणनीति को ऑटोमेशन, एकीकरण और डिजिटलीकरण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए, इसमें फाइलों का 100 प्रतिशत डिजिटल फ्लो, प्लग-एन-प्ले बाह्य डेटा सोर्सिंग के लिए एपीआई-आधारित ओपन आर्किटेक्चर और नई सुविधाओं के लिए क्लाउड फर्स्ट मॉडल अपनाना शामिल हैं।

ई-गवर्नेंस और ई-भुगतान

व्यवसाय परिचालनों, एमआईएस, व्यवसाय आसूचना, दस्तावेज प्रबंधन, वर्कफ्लो, नेटवर्क और सुरक्षा के लिए बैंक में सिस्टम्स लागू हैं। बैंक ने कागजी काम को न्यूनतम बनाने और न्यूनतम मैनुअल काम के साथ सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित 'ई-नोट' प्रक्रिया विकसित की है। बैंक नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज

बैंक ने फिलीपींस में आरएम केमिकल्स प्रा. लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को सहायता प्रदान की, जो घरेलू साज-सज्जा, सौंदर्य प्रसाधनों और लॉन्ड्री उत्पादों की विनिर्माता है।

लिमिटेड (एनईएसएल) का सदस्य है। बैंक ने निगेटिव लिस्ट और केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो से प्राप्त सूचनाओं का आंतरिक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया है। ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान इन सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। बैंक विभिन्न देशों के बीच वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों के सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए स्विफ्ट अलायंस एक्सेस सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। ये संदेश फिनैकल ऐप्लिकेशन (कोर और ट्रेजरी) में बनाए जाते हैं और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के जरिए स्विफ्ट ऐप्लिकेशन को भेजे जाते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के जोखिम प्रबंधन समूह के सहयोग से बाजार जोखिम की निगरानी और प्रबंधन का कार्य देखती है। एल्को द्वारा लिक्विडिटी/ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक एएलएम/लिक्विडिटी नीतियों के अनुसार किया जाता है। एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई/बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक लिक्विडिटी तथा ब्याज दर संवेदनशीलता की स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और ब्याज दर जोखिम के आधार पर एक उपयुक्त एएलएम रणनीति तैयार करना शामिल है। ब्याज दर जोखिम को ब्याज दर में उतार-चढ़ाव की तुलना में अवधि अंतराल विश्लेषण के जरिए (क) निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता के विश्लेषण और (ख) आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता से मापा जाता है। मुद्रा-वार लिक्विडिटी स्थिति के दबाव परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं और प्रत्येक मुद्रा की उपलब्धता में कमी की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर आकस्मिक फंडिंग योजना बनाई जाती है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों के 'हेल्ड फॉर ट्रेडिंग' तथा 'अवेलेबेल फॉर सेल' पोर्टफोलियो के लिए जोखिम मूल्य की गणना की जाती है। निधि प्रबंधन समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और वर्ष के दौरान समीक्षित निधि प्रबंधन / संसाधन योजना के अनुसार निवेशों / विनिवेशों तथा संसाधन जुटाने के संबंध में निर्णय लेती है।

जोखिम प्रबंधन

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों की निगरानी और उनका प्रबंधन करने के साथ-साथ ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिमों के संबंध में एकीकृत जोखिम प्रबंधन हेतु नीति और रणनीति संबंधी कार्य देखती है।

जोखिम प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिमों (पोर्टफोलियो, नकदी, ब्याज दर, तुलन-पत्र से इतर और परिचालनगत जोखिमों) के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करती है। साथ ही एल्को, एफएमसी, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के परिचालनों की देखरेख भी करती है, जिनमें से सभी का क्रॉस-फंक्शनल प्रतिनिधित्व होता है। एल्को जहां बैंक में एएलएम नीति और प्रक्रियाओं से संबधित विषयों को देखती है और बैंक के समग्र बाजार जोखिम (लिक्विडिटी, ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है, वहीं सीआरएमसी, बैंक के ऋण जोखिमों का विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है। बैंक में एक उन्नत ऋण जोखिम प्रबंधन मॉडल (सीआरएम) है, जिससे (क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटरों के जरिए) बैंक

उन्नत इमेजिंग और सेंसर प्रणालियों की विनिर्माता टोंबो इमेजिंग इंडिया प्रा. लि. को इसके द्वारा हासिल किए गए निर्यात और डीम्ड निर्यात कॉन्ट्रैक्टों के निष्पादन के लिए बैंक के 'उभरते सितारे कार्यक्रम' के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई।

को बेहतर ऋण मूल्यांकन संबंधी निर्णय लेने और ऋण जोखिमों के आधार पर उधारकर्ताओं की आंतरिक ऋण ग्रेडिंग करने में मदद मिलती है। यह मॉडल किसी उधारकर्ता के उद्यम स्तर पर तथा इकाई की प्रतिभूति के आधार पर इकाई स्तर पर जोखिम का मूल्यांकन करने में मदद करता है।

संबंधित प्रस्तावों के लिए ऋण अधिकारियों द्वारा दी गई रेटिंग की समीक्षा एक रेटिंग समिति द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है। ओआरएमसी बैंक में परिचालन संबंधी जोखिमों की समीक्षा करती है और पुनः ऐसा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति करती है। साथ ही यह बैंक की आईटी आस्तियों से संबंधित/ उत्पन्न होने वाले परिचालन जोखिमों को चिह्नित करने, उनका मूल्यांकन करने और/अथवा मापने, निगरानी करने और नियंत्रित करने/जोखिमों को कम करने का काम भी करती है। बैंक व्यवसाय निरंतरता और अपने सभी कार्यालयों की डिजास्टर रिकवरी योजनाओं की भी वार्षिक समीक्षा करता है। जोखिमों के प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक योजना की भली-भांति जांच की जाती है कि ये योजनाएं संकट की स्थिति में व्यवसाय निरंतरता बनाए रखने के लिए कितनी कारगर हैं और जोखिम से सुरक्षा के उपाय कैसे हैं।

जोखिम वहन नीति

बैंक ने अपने रणनीतिक, वित्तीय व परिचालन लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन नीति को अपनाया है। जोखिम वहन विवरण के भाग के रूप में प्रमुख आयामों में पूँजी पर्याप्तता, लाभप्रदता, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम, परिचालन जोखिम, प्रतिष्ठा एवं अनुपालन जोखिम सम्मिलित है। इन जोखिम आयामों के अधीन प्रत्येक पैरामीटर हेतु निर्धारित टॉलरैंस सीमा सहित जोखिम वहन पैरामीटर होते हैं। जोखिम वहन पैरामीटर के मापदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और बैंक के जोखिम प्रबंधन समिति को अर्ध-वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। 31 मार्च, 2022 तक बैंक द्वारा जोखिम-वहन विवरण में निर्धारित लक्ष्यों का पूर्ण अनुपालन किया गया है और किसी भी जोखिम-वहन मानदंड में टॉलरैंस सीमाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

विशेष परिस्थिति समूह

तनावग्रस्त ऋण खातों की निगरानी और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के वसूली उपायों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक में अलग से एक विशेष परिस्थिति समूह (एसएसजी) है। यह समूह बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण निगरानी एवं वसूली नीति के अनुसार वसूली के लिए सक्रियता से कदम उठाता है। साथ ही ऐसी अनर्जक आस्तियां, जिन्हें अर्जक बनाना व्यवहार्य हो, उन्हें अर्जक बनाने के उपाय करता है और उन अनर्जक खातों से वसूली पर फोकस करता है, जहां कानूनी कार्रवाई की जानी हो। एसएसजी में एक आंतरिक समिति द्वारा अनर्जक आस्तियों की मासिक समीक्षा की जाती है। अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए बैंक बहुआयामी रणनीति के जरिए अनर्जक आस्तियों की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस रणनीति में रीस्ट्रक्चरिंग, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट रिसीवर के जरिए आस्तियों की बिक्री, निगोशिएशन, एकबारगी निपटान, अनर्जक आस्तियों का अंतरण/समनुदेशन, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत आस्तियों पर कब्जा लेना और उनकी बिक्री करना तथा उधारकर्ता कंपनी के मामले को शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में ले जाना शामिल है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने नवोन्मेषी वसूली उपायों के जरिए अपनी अनर्जक आस्तियों को कम किया। एक खाते के मामले में उधारकर्ता ने एकबारगी निपटान (ओटीएस) का प्रस्ताव रखा था। इस मामले में बैंक ने ओटीएस को स्वीकार करने के बजाय अपने लाभ में प्रतिभूति दस्तावेज़ों में उल्लिखित क्लॉज़ का इस्तेमाल किया और अपने प्रतिभूति हित का प्रवर्तन किया। इसके अलावा, उसकी सहायक कंपनियों में से एक के जरिए समनुदेशित की गई प्राप्य राशियों से भी वसूली के विकल्प तलाशे गए और वसूली की गई। एक अन्य खाते में बैंक ने विशिष्ट पुनर्रचना के जरिए अधिकतम वसूली की। अन्य खातों में, प्रतिभूति रसीदों की बिक्री, स्विस चैलेंज पद्धति के जरिए प्रतिभूति के प्रवर्तन, जिन खातों में अन्यथा समाधान संभव नहीं था, उनमें ओटीएस, भारतीय और विदेशी कानूनों के माध्यम से कार्रवाई कर समाधान किया गया।

संयुक्त उद्यम

वर्ष 1996 में निजी क्षेत्र की संस्था के रूप में स्थापित और प्रवर्तित जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड, एक्ज़िम बैंक तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य 9 प्रतिष्ठित कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है। जीपीसीएल एक अग्रणी अवधारणा थी, जिसकी स्थापना कृषि, ऊर्जा, उद्योग, खनन, परिवहन, जल संसाधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी अग्रणी कंपनियों की भागीदारी में की गई थी। जीपीसीएल ने गत वर्ष अपनी प्रोक्योरमेंट सेवाओं के दायरे को बढ़ाया है, जिनमें बिड परामर्श, प्रोक्योरमेंट प्रशिक्षण, ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन, परियोजना को चिह्नित करना, पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करना, विभिन्न रिपोर्टें तैयार करना और उनकी समीक्षा करना, ऋणदाता के इंजीनियर के रूप में काम करना, परियोजना की सम्यक जांच करना, परियोजना की निगरानी करना, मूल्यांकन, क्षमता निर्माण तथा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण एजेंसियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 50.34 मिलियन की आय के साथ कंपनी का कर पूर्व लाभ ₹ 11.74 मिलियन दर्ज किया गया।

व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए सीआईआई-एक्ज़िम बैंक पुरस्कार 2021 के विजेता।

श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा 'भारतीय खेल वस्तु उद्योगः निर्यात संभाव्यताओं को भुनाने के लिए रणनीतियां' और 'उत्तर प्रदेश से निर्यातः रुझान, अवसर तथा नीतिगत परिप्रेक्ष्य' शीर्षक प्रकाशनों का विमोचन किया गया।

बैंक ने अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत महाराष्ट्र के पालघर में दयानंद अस्पताल में नवजातों के लिए आईसीयू बनाने हेतु सहायता प्रदान की।

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी), मॉरीशस, अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फायनैंशल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) समूह और आरएसबीजीआई लि., यूके के साथ मिलकर इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा सह–प्रायोजित एक अन्य संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसकी स्थापना अफ्रीका में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में भारतीय भागीदारी को सुगम बनाने के उद्देश्य से की गई थी। आईएल एंड एफएस की पूँजी के अंशदान में अक्षमता को देखते हुए इंडिया एक्ज़िम बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से आईएल एंड एफएस के हिस्से का अंशदान करने का निर्णय लिया और यथा 31 मार्च, 2022 को इसमें बैंक का हिस्सा बढ़कर 36.36 प्रतिशत हो गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, आरएसबीजीआई लि. 0.50 मिलियन यूएस डॉलर के निवेश के साथ इसकी शेयरधारक बन गई और इसका हिस्सा 9.09 प्रतिशत रहा। केपीडीसी को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 0.86 मिलियन यूएस डॉलर की हानि हुई।

पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन पहलें

बैंक इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि संपोषी विकास एक संस्थागत प्रतिबद्धता है और यह सुविचारित कॉर्पोरेट नागरिकता तथा अच्छी व्यवसाय पद्धतियों का अभिन्न हिस्सा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं, और परिचालनों में पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) को एकीकृत करने के लिए कई उपाय किए हैं।

पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन फ्रेमवर्क

वैश्विक निवेशक समुदाय, निवेश के पारंपरिक निवेश उपागमों पर लगातार पुनर्विचार कर रहा है और इसका मूल्यांकन कर रहा है कि उनके निवेशों का लंबी अवधि में क्या संपोषी प्रभाव पड़ने वाला है। बैंक सतत वित्तपोषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संबंध में, बाजार की अपनी समकक्षी संस्थाओं से आगे रहा है। मार्च 2015 में, बैंक ने यूएस डॉलर मूल्यवर्ग में भारत का पहला 5 वर्षीय रेग एस ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। यह उस वर्ष एशिया में जारी किया गया पहला बेंचमार्क–साइज ग्रीन बॉन्ड भी था, जो अप्रैल 2020 में परिपक्व हुआ था। 2019 में, बैंक ने यूएस डॉलर मूल्यवर्ग में सामाजिक उत्तरदायित्व वाला अपना पहला बॉन्ड जारी किया।बैंक ने अपने परिचालनों को वैश्विक ईएसजी पद्धतियों के अनुरूप बनाने और अपने स्टेकहोल्डरों के साथ पारदर्शिता तथा संपर्क बढ़ाने के प्रयास में अपना ईएसजी फ्रेमवर्क बनाया है। यह फ्रेमवर्क हरित, सामाजिक या संपोषी बॉन्ड और ऋण जारी करने के लिए बनाया गया है। यह फ्रेमवर्क 6 हरित और 4 सामाजिक क्षेत्रों में पात्रता मानदंडों को परिभाषित करता है। इनमें अक्षय ऊर्जा, सतत जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन, बिजली की न्यूनतम खपत, आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा और संपोषी खाद्य प्रणाली, एमएसएमई वित्तपोषण और किफायती आवास जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इस फ्रेमवर्क की समीक्षा एक सेकंड पार्टी ओपिनियन (एसपीओ) प्रदाता – 'सस्टेनलिटिक्स' द्वारा की गई है। एसपीओ ने पुष्टि की है कि यह फ्रेमवर्क 'विश्वसनीय और प्रभावशाली' है और 'सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड गाइडलाइन्स 2021', ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत 2021 और सामाजिक बॉन्ड सिद्धांत 2021 के अनुरूप है तथा अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजार संघ (आईसीएमए), एवं हरित ऋण सिद्धांत 2021 और सामाजिक ऋण सिद्धांत 2021 द्वारा प्रशासित है। साथ ही, लोन मार्केट एसोसिएशन (एलएमए), एशिया पैसिफिक लोन मार्केट एसोसिएशन (एपीएलएमए) और ऋण सिंडिकेशन और ट्रेडिंग एसोसिएशन (एलएसटीए) द्वारा भी प्रशासित है। एसपीओ ने यह भी कहा कि बैंक परियोजनाओं से जुड़े सामान्य पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों से निपटने के लिए समुचित उपाय करने की स्थिति में है।

ईएसजी बॉन्डों / ऋणों के लिए इस तरह के अंब्रेला फ्रेमवर्क को निवेशकों / ऋणदाताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि उन्हें संदेश गया है कि बैंक बाजार के अनुरूप पद्धतियां अपनाता है और हरित, सामाजिक तथा संपोषी बॉन्ड बाजार में विस्तार कर रहा है। इस तरह के बॉन्ड / ऋणों की आय का उपयोग खास तौर पर आईसीएमए सिद्धांतों के अनुरूप नई या मौजूदा पात्र हरित और / या सामाजिक परियोजनाओं के पूर्ण या आंशिक वित्तपोषण (जारी वर्ष और अगले 2 वर्षों तक) या पुनर्वित्तपोषण (गत तीन वर्ष) के लिए किया जाना ज़रूरी है। बैंक ने एक संपोषी वित्तपोषण समिति (एसएफसी) भी गठित की है, जिसमें बैंक के परिचालन, अनुपालन और विधिक समूहों के

यशलोक वेलफेयर फाउंडेशन की आजीविका पहलों और मुंबई पुलिस के 2000 कर्मियों को रेनकोट प्रदान करने के लिए सहायता दी।

प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगी, जो इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र हो सकती हैं। साथ ही, यह समिति किसी ईएसजी बॉन्ड / ऋण से प्राप्य राशियों द्वारा सहायता दी गई परियोजनाओं की वार्षिक समीक्षा भी करेगी। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट या ईएसजी / सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाने से पहले, प्रत्येक बॉन्ड / ऋण से प्राप्य राशियों के आवंटन की वार्षिक रिपोर्टिंग की समीक्षा एसएफसी द्वारा की जाएगी।

ईएसजी नीति

मार्च, 2022 में बैंक ने बोर्ड से अनुमोदित अपनी ईएसजी नीति – 'संपोषी विकास / उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन नीति' को और सुदृढ़ किया। इसके अंतर्गत कवरेज के विस्तार के लिए इस नीति को संशोधित किया गया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कंपनियों की ईएसजी स्पर्धात्मकता को बढ़ाना; सरकार के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना; सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना; और ईएसजी जोखिमों के आकलन तथा प्रबंधन के जरिए बैंक के वित्तपोषण संबंधी निर्णयों की तर्कसंगतता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। संपोषी वित्त के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को सुविचारित तरीके से सुदृढ़ करने के अलावा, संशोधित नीति को बैंक की ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया से एकीकृत किया गया है और उसमें ईएसजी जोखिम मूल्यांकन जोड़ा गया है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक प्रस्ताव की जांच एक 'एक्सक्लूज़न लिस्ट' से की जाती है और बैंक की एसएफसी द्वारा उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है।

ग्रासरूट उद्यम विकास

बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) के जरिए विशेष रूप से ऐसी ग्रासरूट पहलों और नवाचारों (जैसे प्रौद्योगिकी में) को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनमें निर्यात की

संभावनाएं हों। साथ ही, दस्तकारों, उत्पादक समूहों, क्लस्टरों, लघु उद्यमों और गैर–सरकारी संगठनों को उनके उत्पादों के सही मूल्य दिलाने और इन इकाइयों से निर्यातों को सुगम बनाने में मदद करता है। ग्रिड कार्यक्रम का उद्देश्य इन इकाइयों की परिचालनात्मक क्षमताएं बढ़ाना, उच्चतर मूल्य वर्धन प्राप्त करना और हस्तशिल्प/ हथकरघा/ कृषि आधारित उत्पादों को भारत तथा विदेश में वृहत्तर बाजारों तक पहुंचाना है।

बैंक ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पकारों, बुनकरों, क्लस्टरों, स्वयं सहायता समूहों, गैर–सरकारी संगठनों, ग्रासरूट और सूक्ष्म उद्यमों को डिजाइन, कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यशालाओं के जरिए क्षमता विकास तथा मार्केटिंग गतिविधियों में सहायता करता रहा है। अपने इस प्रयास के क्रम में, बैंक ने वाराणसी, यूपी में 'सिल्क एन टच' के 30 बुनकरों के लिए डिजाइन विकास' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायता दी। बैंक ने 'वारली हस्तकला ग्रुप' महाराष्ट्र के 20 दस्तकारों के लिए 'उत्पाद और डिज़ाइन विकास' में 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, कौशल विकास, जीविकोपार्जन गतिविधियों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में छह राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में 12 परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की। इनमें से कई ऐसे जिलों में थीं, जहां इन परियोजनाओं की महती आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने महामारी के बीच इस तरह की सहायता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 'स्वास्थ्य एवं पोषण' थीम पर फोकस किया। स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता पहलों के अंतर्गत असम के तेज़पुर और झारखंड के रांची में अस्पतालों के लिए रेडियोग्राफी उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई। महाराष्ट्र के पालघर के एक अस्पताल के वार्डरूम को नवजात गहन चिकित्सा केंद्र में बदलने हेतु भी सहायता प्रदान की गई। राजस्थान के सिरोही जिला अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता दी गई। बैंक की सीएसआर सहायता के जरिए लद्दाख के लेह जिले में सभी मौसमों के अनुकूल शौचालयों का निर्माण किया गया और महिलाओं की एक कोऑपरेटिव संस्था के प्रशिक्षण हॉल की मरम्मत कराई गई।

शिक्षा संबंधी पहलों के अंतर्गत बैंक ने मिज़ोरम में बुनकर समुदाय की पांच महिला छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम की फीस के लिए सहायता दी। महाराष्ट्र के सोलापुर में 20 स्कूलों के बुनियादी ढांचागत विकास के लिए सहायता दी और मुंबई में वंचित बच्चों के लिए शिक्षण तथा चिकित्सा संबंधी पहलों पर काम करने वाले एक गैर–लाभकारी संगठन को सहायता दी।

बैंक ने अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और आजीविका संबंधी सहयोग के क्रम में, एक सामाजिक उद्यम को सहायता दी। यह उद्यम छोटे किसानों को प्रशिक्षण देते हुए ऑर्गेनिक शहद की मार्केटिंग के जरिए गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम कर रहा है। बैंक द्वारा एक अन्य गैर–लाभकारी संस्था को सहायता प्रदान की गई। इस क्रम में, बैंक ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में अतिथियों / उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के स्वागत में संस्था द्वारा जारी डोनेशन प्रमाण पत्र भेंट किए। यह संस्था वंचित छात्रों को राशन, शिक्षण सामग्री, पुस्तकों और स्वच्छता संबंधी उत्पादों की आपूर्ति करती है। बैंक ने रायगढ़ में दो गांवों को भी गोद लिया और उनमें विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए सहायता दी। समाज के वंचित वर्गों, जिन्हें कोविड–19 के कारण आजीविका और आय संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके साथ काम करने वाले एक एनजीओ को सहायता के क्रम में, बैंक ने मुंबई पुलिस के 2000 कर्मियों को रेनकोट प्रदान किए।

बैंक ने पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय महत्त्व की परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण संबंधी एक संस्था को भी सहायता दी।

शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्तियां

विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के छात्रों में अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक ने भारत में चुनिंदा शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्तियां स्थापित की हैं। बैंक द्वारा डॉ. बी.आर. आंबेडकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, बैंगलोर; भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली; कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ओडिशा; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, नई दिल्ली; नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अरुणाचल प्रदेश; मणिपुर विश्वविद्यालय; मिज़ोरम विश्वविद्यालय; सिक्किम (मणिपाल) विश्वविद्यालय; तेज़पुर विश्वविद्यालय, असम; नगालैंड विश्वविद्यालय; नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय; त्रिपुरा विश्वविद्यालय और सिक्किम विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियां स्थापित की गई हैं।

कॉर्पोरेट अभिशासन

बैंक अपने सभी संबंधित पक्षों को पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना प्रदान करता है और पारदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करता है। बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन की उत्कृष्ट पद्धतियों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सदैव तत्पर रहता है। इस पर समुचित नियंत्रण के लिए बैंक ने एक व्यवस्था विकसित की है तथा इसकी उपादेयता की निरंतर समीक्षा करता रहता है। व्यवसाय / वित्तीय निष्पादन से संबंधित मामलों, विश्लेषणात्मक आंकड़ों / सूचना आदि को निदेशक मंडल / निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी) को समीक्षा के लिए आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक अनुपालन नीति लागू है और सभी कानूनों, विनियमों और अन्य प्रक्रियाओं तथा भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक, अन्य विनियामकों, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुपालन के संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी उत्तरदायी हैं, जो किसी भी प्रकार के विचलन को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की पांच तथा प्रबंध समिति की छह बैठकें हुईं।

अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक की सेवा में कुल 341 स्टाफ सदस्यों में 37 अनुसूचित जाति (एससी), 24 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 55 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से रहे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के इन स्टाफ सदस्यों को बैंक द्वारा समान अवसर और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

"कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति

बैंक में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामले में जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाई गई है। बैंक में उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के संबंध में नीति लागू है। बैंक के सभी कर्मचारियों ने बैंक द्वारा कार्यान्वित इस नीति को पढ़ लिया है, स्वीकार किया है तथा वे इससे अवगत हैं।

इस अधिनियम के अनुपालन में, बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी घटनाओं की शिकायतों पर विचार करने के लिए अधिनियम में परिभाषित अनुसार आंतरिक समितियों का गठन किया है। इन समितियों की नियमित बैठकें हुई हैं और बैंक के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए इस संबंध में ऑनलाइन जागरूकता सत्रों का आयोजन भी किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आंतरिक शिकायत समितियों को कोई शिकायत नहीं मिली।

लेखा परीक्षा समिति

बैंक के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों के लिए मार्गदर्शन देती है, ताकि एक प्रबंधन माध्यम के रूप में इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो और वह सांविधिक/बाहरी/ आंतरिक/संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे। बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें हुईं।

केवाईसी, एएमएल एवं सीएफटी उपाय

बैंक में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) मानदंडों, 'धनशोधन निवारण' (एएमएल) मानकों और 'आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध' (सीएफटी) पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है। केवाईसी, एएमएल तथा सीएफटी नीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) ग्राहक स्वीकार्यता नीति;
(ख) जोखिम प्रबंधन;
(ग) ग्राहक पहचान प्रक्रिया; और
(घ) संव्यवहारों की निगरानी।

बैंक द्वारा बैंकरों के एक्युटी डेटाबेस का उपयोग किया जाता है, जो ऑनलाइन डेटाबेस सेवा है। एक्युटी की ग्लोबल वॉचलिस्ट काफी व्यापक है और यह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व के सभी प्रमुख निकायों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय नियामकों की चेतावनी सूचियों का संग्रह है। बैंक के सभी ग्राहकों को केवाईसी मानकों के अधीन लाया जाता है। इससे स्वाभाविक/ कानूनी व्यक्ति और 'हितकारी स्वामित्व' की पहचान में मदद मिलती है।

केवाईसी नीतियों तथा प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं, सावधि जमा खाताधारकों, प्रतिनिधि बैंकों और भर्ती हुए नए स्टाफ सदस्यों की पहचान करना शामिल है। बैंक अपने काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा केवाईसी मानदंडों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पद्धति के अनुरूप वुल्फ्सबर्ग ग्रुप एएमएल प्रश्नावली के माध्यम से अपेक्षित डाटा प्राप्त करता है। बैंक, आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं तथा तरीकों के अनुसार, कतिपय संव्यवहारों के संबंध में जानकारियों का रिकॉर्ड भी रखता है। ये रिकॉर्ड, संव्यवहार की प्रकृति के अनुसार व्यवसाय संबंध समाप्त होने की तारीख से न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक में मुख्य महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बैंक के केवाईसी, एएमएल तथा सीएफटी उपायों के लिए उत्तरदायी हैं। केवाईसी, एएमएल और सीएफटी नीति का सारांश बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

ऋणदाताओं के लिए आचार संहिता

बैंक में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋणदाताओं के लिए आचार संहिता के संबंध में नीति विद्यमान है, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। यह संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार, एक्ज़िम बैंक एक लोक प्राधिकरण है और इस अधिनियम का अनुपालन करता है। भारतीय नागरिक, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए बैंक के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा बैंक के भारत स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपने आवेदन भेज सकते हैं। इनका विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक ने सरकारी प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक को कुल 143 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार, 30 दिनों की समयसीमा के भीतर इनके जवाब दिए गए। इसके साथ ही बैंक ने www.dsscic.nic.in पोर्टल पर त्रैमासिक आरटीआई रिटर्न भी दाखिल किए।

केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स)

केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम है। इसे मंत्रालयों/ विभागों/भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा शिकायतों के शीघ्र निपटान और प्रभावी निगरानी के लिए विकसित किया गया है। बैंक में एक समुचित शिकायत निवारण व्यवस्था है और उधारकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी का विवरण बैंक की वेबसाइट पर दिया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक को सीपीग्राम्स पोर्टल पर 3 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनका जवाब निर्धारित अवधि के भीतर दे दिया गया था।

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारतीय निर्यात–आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2022 को तुलन–पत्र एवं लाभ और हानि लेखे तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त लेखा विवरण भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14 (i) तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं और यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वित्तीय निष्पादन स्थिति तथा नकदी प्रवाह स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में आगे 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीए द्वारा जारी नैतिक संहिता और विशिष्ट वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से जुड़ी नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

विषयवस्तु पर बल

हम 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में वित्तीय विवरण के नोट संख्या 28 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जारी अनिश्चितताओं को देखते हुए, बैंक के परिचालनों और वित्तीय स्थिति पर वैश्विक महामारी का कितना प्रभाव पड़ेगा, यह इस प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपायों और अन्य विनियामकीय उपायों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

इस मामले के संबंध में हमारी राय इससे भिन्न नहीं है।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले वे हैं, जो हमारे प्रोफेशनल निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के रहे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में, संपूर्णता पर हमारा अभिमत बनाने के रूप में देखा गया और हम उन मामलों के संबंध में अलग से अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में नीचे दिए गए मामलों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों के रूप में वर्णित करने का निर्णय लिया है:

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
1	**अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधानीकरण:** अग्रिम, बैंक की आस्तियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इन अग्रिमों की गुणवत्ता को, बैंक के सकल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक अग्रिमों ("एनपीए") के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यथा 31 मार्च, 2022 को, बैंक के ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा, कुल आस्तियों का 86.02 प्रतिशत रहा और सकल एनपीए अनुपात 3.56 प्रतिशत है। भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों में एनपीए तथा ऐसी आस्तियों के लिए न्यूनतम प्रावधान का निर्धारण और वर्गीकरण करने के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मानदंड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कारकों का प्रयोग करते हुए एनपीए का निर्धारण करने और उनके लिए अपेक्षित प्रावधान करने के संबंध में बैंक पर भी लागू होते हैं। एनपीए का निर्धारण कुछ निश्चित क्षेत्रों में स्ट्रेस और लिक्विडिटी जैसे कारकों से प्रभावित होता है। निर्धारित एनपीए के लिए प्रावधानीकरण, उन एनपीए के कालिक क्षय और वर्गीकरण, वसूली अनुमान, सिक्योरिटी के मूल्य और अन्य क्वालिटेटिव कारकों के आधार पर आकलित किया जाता है तथा यह प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त, बैंक, कुछ निश्चित क्षेत्रों में अग्रिमों और एनपीए हो जाने की आशंका वाले चिह्नित अग्रिमों अथवा समूह अग्रिमों सहित उन एक्सपोज़रों के लिए भी प्रावधान करता है, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। इन्हें आकस्मिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने इस संबंध में अपनी लेखा नीति में, नोट I (iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के अंतर्गत "महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां" में विवरण दिया है। चूंकि एनपीए का निर्धारण और अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण में महत्त्वपूर्ण आकलन अपेक्षित होता है और समग्र लेखा परीक्षा में इसके महत्त्व को देखते हुए, हमने एनपीए के निर्धारण और प्रावधानीकरण को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामला माना है।	**हमने अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई हैं:** – एनपीए निर्धारण और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की नीतियों को ध्यान में रखना तथा आईआरएसी मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करना। – मौजूदा आईआरएसी दिशानिर्देशों के आधार पर ह्रासित खातों का निर्धारण करने के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना और उनकी परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन तथा परीक्षण करना। – यथोचित प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की गई और बैंक की निगरानी प्रक्रिया के अनुसार की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं तथा आरबीआई निरीक्षण की टिप्पणियों के संबंध में अनुपालन की जांच की गई। – चिह्नित उधारकर्ताओं के लेखा विवरणों और अन्य संबंधित जानकारियों की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जोखिम कारकों के आधार पर समीक्षा करना। – बैंक द्वारा तनावग्रस्त ऋण खातों को चिह्नित करने के लिए बनाई गई पूर्व चेतावनी रिपोर्टों की जांच करना। – जहां कहीं भी ऋण जोखिम माना गया, उन मामलों में बैंक के प्रबंधन के साथ विशिष्ट चर्चा करना और जोखिमों को कम करने के उपाय करना। – हमने एनपीए के संबंध में, संबंधित लेखा मानकों और आरबीआई की अपेक्षाओं के एवज में प्रकटीकरण की सुसंगतता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया। साथ ही, विनियामकीय पैकेज और समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण का भी मूल्यांकन किया। **अग्रिमों के प्रावधानीकरण के संबंध में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाईं:** – अग्रिमों के प्रावधानीकरण के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में एक समझ बनाई। – आरबीआई विनियमों के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा की गई गणना तथा प्रावधानीकरण के लिए आंतरिक स्तर पर निर्धारित की गई नीतियों की सैंपल आधार पर जांच की गई। – ऐसे ऋण खातों के लिए, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं और बैंक ने उनके लिए प्रावधान किए हैं, हमने उन प्रावधानों के लिए बैंक के मूल्यांकन की समीक्षा की।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
2	**आयकर के लिए आकस्मिक देयता:** बैंक में कुछ महत्त्वपूर्ण कर मामले चल रहे हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जो विवादित हैं और उन विवादों में संभावित परिणाम के लिए निर्णय महत्त्वपूर्ण होगा। चूंकि इन कर मामलों के मूल्यांकन में महत्त्वपूर्ण स्तर का निर्णय अपेक्षित है, इसलिए हमने इसे लेखा संबंधी प्रमुख मामलों में शामिल किया।	– कर देयताएं और कर प्रावधान निर्धारित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में समझ बनाना। – रिपोर्टिंग की तारीख को कर मामलों के संबंध में कानूनी वरीयता, अन्य निर्णयों और नई जानकारी पर विचार करने के बाद महत्त्वपूर्ण कर जोखिमों के लिए देयता की संभावना और उसके स्तर के मूल्यांकन को समझने के लिए बाहरी कर विशेषज्ञों को शामिल किया। – कर प्राधिकारों के साथ हुए पत्राचार सहित संबंधित दस्तावेजीकरण का संदर्भ लेते हुए कर मांग की समीक्षा की गई। – इस संबंध में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया गया। – हमने विवादित आयकर देयताओं के प्रावधानीकरण पर बैंक के मत को रेखांकित किया। बैंक तथा बाह्य कर विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चा के आधार पर आयकर के लिए आकस्मिक देयता के तहत ₹ 0.50 बिलियन का प्रकटीकरण किया गया है।

अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय परिचालन, प्रबंधन और कॉर्पोरेट अभिशासन (गवर्नेंस) शामिल हैं, किन्तु इनमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में कोई आश्वासन / निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर चिह्नित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना है कि यह अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है, या लेखा परीक्षा में ली गई हमारी जानकारी या अन्यथा कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व में हमें मिली अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते समय, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कहीं कुछ गलत बयानी है तो हम उन मामलों को गवर्नेंस संबंधी प्राधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

अन्य मामले

भारत में बैंक के दस क्षेत्रीय कार्यालय हैं, विदेश में बैंक की एक शाखा और आठ कार्यालय स्थित हैं। भारत और विदेश स्थित कार्यालयों के लिए बैंक की वित्तीय लेखा प्रणालियां केंद्रीकृत हैं। हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में, हमने देश में स्थित केवल 3 कार्यालयों का दौरा किया है। हम कोविड-19 महामारी के चलते अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों और विदेश स्थित शाखा का दौरा करने में असमर्थ रहे और लेखा विवरणों और इस शाखा / क्षेत्रीय कार्यालयों से मिले जवाबों (रिटर्न्स) पर निर्भर रहे। इन्हें इन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा समीक्षा बैंक के पिछले स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई थी जिन्होंने 18 मई, 2021 की अपनी रिपोर्ट के जरिए इस पर कोई अलग अभिमत प्रदान नहीं किया था।

इस मामले के संबंध में हमारी राय इससे भिन्न नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन विरचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने तथा प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन से रहित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन, बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है। गवर्नेंस से जुड़ा प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना है कि ये वित्तीय विवरण, पूर्ण रूप में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन से रहित हैं और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा, यदि कोई महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन है तो सदैव उसका पता लगा लेगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और उन्हें तब महत्त्वपूर्ण माना जाता है, जब अलग–अलग या सकल रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना रखते हों। लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान प्रोफेशनल संशयात्मकता रखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, वित्तीय विवरणों के महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी के चलते बनने वाले महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि के चलते होने वाले मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करना।

- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।

- परिचालन जारी रखने के लेखांकन आधार और हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना, कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के परिचालन जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढांचे और सामग्री का मूल्यांकन करना, और देखना कि वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं और घटनाएं इस रूप में हैं कि उचित प्रस्तुति प्रदर्शित करती हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी महत्त्वपूर्ण विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना जा सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

तुलन–पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 की अनुसूचियों I, II और III के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं किः

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- इस रिपोर्ट में लिए गए तुलन–पत्र, लाभ और हानि लेखा विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं।
- बैंक के कार्यालयों और विदेश स्थित शाखा से प्राप्त लेखांकन विवरण, जानकारी और रिटर्न हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त वित्तीय विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

कृते **जीएमजी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 103429W

सीए अतुल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097
यूडीआईएन: 22037097AITRFS5650

स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 11 मई, 2022

यथा 31 मार्च, 2022 को तुलन–पत्र

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2022 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2021 को) ₹
देयताएं	**अनुसूचियां**		
1. पूँजी	I	159,093,663,881	151,593,663,881
2. आरक्षित निधियां	II	33,182,168,229	26,543,243,671
3. लाभ और हानि खाता	III	737,600,000	253,900,000
4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर		911,445,743,000	965,345,341,400
5. देय बिल		-	-
6. जमा राशियां	IV	1,774,864,091	2,051,739,943
7. उधार राशियां	V	161,553,999,474	128,772,977,903
8. चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		47,758,579,490	33,014,055,544
9. अन्य देयताएं		51,868,672,455	40,441,231,470
योग		**1,367,415,290,620**	**1,348,016,153,812**
आस्तियां			
1. नकदी एवं बैंक शेष	VI	32,733,783,010	144,922,665,318
2. निवेश	VII	109,025,261,755	100,172,242,817
3. ऋण एवं अग्रिम	VIII	1,145,615,812,525	1,024,413,455,089
4. भुनाए गए/पुनः भुनाए गए विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	30,575,800,000	14,100,000,000
5. अचल आस्तियां	X	3,689,339,694	3,959,149,600
6. अन्य आस्तियां	XI	45,775,293,636	60,448,640,988
योग		**1,367,415,290,620**	**1,348,016,153,812**
आकस्मिक देयताएं			
i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व		138,112,009,528	136,925,745,884
ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर		-	1,504,006,991
iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर		-	-
iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं		178,279,005	180,035,910
v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		5,081,997,787	7,752,500,000
vi) संग्रहण के लिए बिल		-	-
vii) सहभागिता प्रमाण–पत्रों पर		-	-
viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल		-	-
ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है		15,076,162,871	5,580,808,626
योग		**158,448,449,191**	**151,943,097,411**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक

श्रीमती हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

श्रीमती रूपा दत्ता

श्री सुचीन्द्र मिश्र

श्री आर. सुब्रमणियन

श्री एम. सेंथिलनाथन

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री राजकिरन राय जी.

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 मई, 2022

लाभ और हानि लेखा

सामान्य निधि

		इस वर्ष (2021-22) ₹	गत वर्ष (2020-21) ₹
व्यय	**अनुसूचियां**		
1. ब्याज		48,891,292,969	54,181,896,186
2. ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		683,294,538	736,601,198
3. स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		875,750,434	946,231,917
4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		239,800	-
5. लेखा परीक्षा की फीस		1,198,100	1,198,100
6. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमिया		277,875,453	233,717,376
7. संचार विषयक व्यय		42,983,915	50,891,039
8. विधि विषयक व्यय		42,755,953	50,210,455
9. अन्य व्यय	XII	1,123,453,662	926,601,821
10. मूल्यह्रास		391,207,376	401,966,573
11. ऋण हानियों/आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		9,806,678,917	24,671,675,118
12. नीचे ले जाया गया लाभ/(हानि)		21,497,517,260	3,563,241,717
योग		**83,634,248,377**	**85,764,231,500**
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर राशि का निवल) [₹ 13,915,030,279 सहित (गत वर्ष आस्थगित कर राशि ₹ 776,148,307 सहित)]		14,120,992,702	1,023,357,227
तुलन–पत्र में अंतरित शेष लाभ		7,376,524,558	2,539,884,490
		21,497,517,260	**3,563,241,717**
आय			
1. ब्याज और बट्टा	XIII	79,763,834,132	79,798,063,740
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस		3,715,617,529	2,501,882,725
3. अन्य आय	XIV	154,796,716	3,464,285,035
योग		**83,634,248,377**	**85,764,231,500**
नीचे लाया गया लाभ/(हानि)		21,497,517,260	3,563,241,717
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज–कर प्रावधान का प्रतिलेखन		-	-
		21,497,517,260	**3,563,241,717**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक

श्रीमती हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

श्रीमती रूपा दत्ता

श्री सुचीन्द्र मिश्र

श्री आर. सुब्रमणियन

श्री एम. सेंथिलनाथन

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री राजकिरन राय जी.

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 मई, 2022

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2022 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2021 को) ₹
अनुसूची I: पूँजी:		
1. प्राधिकृत	200,000,000,000	200,000,000,000
2. निर्गमित एवं प्रदत्तः (केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	159,093,663,881	151,593,663,881
अनुसूची II: आरक्षित निधियां:		
1. आरक्षित निधि	15,647,552,765	9,008,628,207
2. सामान्य आरक्षित राशियां	-	-
3. अन्य आरक्षित राशियां:		
निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि	1,939,296,400	1,939,296,400
ऋण शोधन निधि (ऋण–व्यवस्थाएं)	1,955,319,064	1,955,319,064
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	13,640,000,000	13,640,000,000
	33,182,168,229	**26,543,243,671**
अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा:		
1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखों के अनुसार शेष	7,376,524,558	2,539,884,490
2. घटाएं: विनियोजनः		
– आरक्षित निधि को अंतरित	6,638,924,558	537,684,490
– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	-	1,748,300,000
– ऋण शोधन निधि को अंतरित	-	-
– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	-	-
3. निवल लाभ का शेष (एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)		
	737,600,000	**253,900,000**
अनुसूची IV: जमा राशियां:		
(क) भारत में	1,774,864,091	2,051,739,943
(ख) भारत के बाहर	-	-
	1,774,864,091	**2,051,739,943**
अनुसूची V: उधार राशियां:		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से:		
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	-	-
(ख) विनिमय बिलों पर	-	-
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	-	-
2. भारत सरकार से	-	-
3. अन्य स्रोतों सेः		
(क) भारत में	22,840,442,293	-
(ख) भारत के बाहर	138,713,557,181	128,772,977,903
	161,553,999,474	**128,772,977,903**

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2022 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2021 को) ₹
अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक में शेष:		
1. हाथ में नकदी	202,366	1,482,382
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	1,301,482,828	191,813,444
3. अन्य बैंकों में शेष:		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	1,670,137,227	6,743,703,578
ii) अन्य जमा खातों में	1,750,000,000	21,000,000,000
(ख) भारत के बाहर	28,011,960,589	111,088,386,576
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ ट्रेप के अंतर्गत ऋण	-	5,897,279,338
	32,733,783,010	**144,922,665,318**
अनुसूची VII: निवेश: (मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	92,764,120,000	93,573,740,000
2. इक्विटी शेयर और स्टॉक	1,787,631,245	1,734,555,661
3. अधिमानी शेयर एवं स्टॉक	-	-
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड	3,308,400,010	4,863,947,156
5. अन्य	11,165,110,500	-
	109,025,261,755	**100,172,242,817**
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम:		
1. विदेशी सरकारें	533,183,676,763	478,222,803,060
2. बैंक:		
(क) भारत में	139,158,500,000	93,159,800,000
(ख) भारत के बाहर	2,349,567,500	1,090,304,683
3. वित्तीय संस्थाएं:		
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	90,190,094,780	50,921,812,932
4. अन्य	380,733,973,482	401,018,734,414
	1,145,615,812,525	**1,024,413,455,089**
अनुसूची IX: भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
(क) भारत में	30,575,800,000	14,100,000,000
(ख) भारत के बाहर	-	-
	30,575,800,000	**14,100,000,000**
अनुसूची X: अचल आस्तियां: (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
1. परिसर		
सकल राशि (आगे लाई गई)	5,120,083,818	4,767,405,894
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	15,329,824	352,677,924
वर्ष के दौरान निपटान	-	-
वर्ष के अंत में सकल राशि	5,135,413,642	5,120,083,818
संचित ह्रास	1,702,085,519	1,477,013,450
निवल राशि (ब्लॉक)	3,433,328,123	3,643,070,368

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2022 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2021 को) ₹
2. अन्य		
सकल राशि (आगे लाई गई)	1,432,461,033	1,185,896,824
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	113,879,687	281,394,653
वर्ष के दौरान निपटान	54,396,420	34,830,444
वर्ष के अंत में सकल राशि	1,491,944,300	1,432,461,033
संचित ह्रास	1,235,932,729	1,116,381,801
निवल राशि (ब्लॉक)	256,011,571	316,079,232
	3,689,339,694	**3,959,149,600**
अनुसूची XI: अन्य आस्तियां:		
1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज:		
(क) निवेशों/बैंक जमाओं पर	11,017,809,688	11,377,940,070
(ख) ऋण एवं अग्रिम	6,432,399,561	6,026,583,840
2. विविध पक्षों के पास जमा राशियां	57,293,416	57,572,733
3. प्रदत्त अग्रिम आयकर (निवल)	3,456,521,868	4,588,507,286
4. अन्य [आस्थगित कर आस्तियों सहित ₹ 16,642,969,567 (गत वर्ष ₹ 30,557,999,846)]	24,811,269,103	38,398,037,059
	45,775,293,636	**60,448,640,988**

	इस वर्ष (2021-22) ₹	गत वर्ष (2020-21) ₹
अनुसूची XII: अन्य व्यय:		
1. निर्यात संवर्धन व्यय	7,030,733	4,885,349
2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	1,250,341	4,967,419
3. मरम्मत और रखरखाव	347,563,495	300,311,862
4. मुद्रण और लेखन सामग्री	9,544,157	6,612,095
5. अन्य	758,064,936	609,825,096
	1,123,453,662	**926,601,821**
अनुसूची XIII: ब्याज एवं बट्टा:		
1. ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	43,392,577,052	43,788,660,137
2. निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय	36,371,257,080	36,009,403,603
	79,763,834,132	**79,798,063,740**
अनुसूची XIV: अन्य आय:		
1. निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	(283,996,746)	2,715,922,640
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	2,257,350	(81,867)
3. अन्य	436,536,112	748,444,262
	154,796,716	**3,464,285,035**

टिप्पणी:

'देयताओं' [अनुसूची IV (क) देखिए] के अंतर्गत 12.63 मिलियन यूएस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमा राशियां (गत वर्ष 18.76 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बॉन्डों के पेटे रखी गई हैं। 'आस्तियों' के अंतर्गत निवेश में [अनुसूची VII 4. देखिए] कुल ₹ 0.59 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.86 बिलियन) की बॉन्ड राशि शामिल है, जो स्वॉप्स के चलते है।

नकदी प्रवाह विवरणी

राशि (₹ मिलियन में)

विवरण	इस वर्ष (2021-22)	गत वर्ष (2020-21)
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) और असाधारण मदें	21,497.52	3,563.24
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(2.26)	0.08
– निवेशों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	284.00	(2,715.92)
– मूल्यह्रास	391.21	401.97
– बट्टे में डाले गए बॉन्ड निर्गमों पर छूट/व्यय	166.57	224.01
– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	-	-
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना	9,806.68	24,671.68
– अन्य उल्लेख करें	-	-
	32,143.72	**26,145.05**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– अन्य आस्तियां	(540.24)	(41,656.52)
– चालू देयताएं	16,159.32	(45,233.82)
परिचालनों से नकदी निर्माण	**47,762.80**	**(60,745.29)**
आय कर/ब्याज कर का भुगतान	(1,131.99)	53,991.65
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	**48,894.78**	**(6,753.64)**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(119.14)	(632.07)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	(9,137.02)	10,914.34
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से अर्जित निवल नकदी (ख)	**(9,256.16)**	**10,282.27**
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– प्राप्त इक्विटी पूँजी	7,500.00	13,000.00
– लिए गए ऋण (चुकौती घटाकर)	(21,395.45)	43,775.83
– दिए गए ऋण, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकौती घटाकर)	(137,678.16)	(44,048.44)
– इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केन्द्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(253.90)	(123.90)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से अर्जित निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(151,827.51)**	**12,603.49**
नकदी और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(गिरावट) (क+ख+ग)	**(112,188.88)**	**16,132.12**
प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य	**144,922.67**	**128,790.54**
अंतिम नकदी एवं समतुल्य	**32,733.78**	**144,922.67**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक

श्रीमती हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

श्रीमती रूपा दत्ता

श्री सुचीन्द्र मिश्र

श्री आर. सुब्रमणियन

श्री एम. सेंथिलनाथन

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री राजकिरन राय जी.

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 मई, 2022

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

I. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां

(i) वित्तीय विवरण

(क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात विकास कोष), भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां गत वर्ष प्रयोग की गई लेखा नीतियों के अनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 में दिए गए अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16, दिनांकित 23 जून, 2016 में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े, "लेखों पर टिप्पणियां" के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

(ख) आकलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को स्वीकृत मानक लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और इन्हें तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की जाने वाली अवधि तक के लिए आय एवं व्यय की तारीख को आस्तियों, देयताओं और प्रावधानों (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में कुछ आकलन और पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए ये आकलन प्रबंधन की राय में विवेकसम्मत और तार्किक हैं।

(ii) राजस्व की गणना

अनर्जक आस्तियों/अनर्जक निवेशों और "तनावग्रस्त आस्तियों", रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा गारंटित ऋणों, जिनमें 90 दिन से अधिक का अतिदेय है, शुल्क आय, कमीशन, वचनबद्धता प्रभार और लाभांश जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। अनर्जक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बॉन्डों पर दिया जाने वाला बट्टा/मोचन प्रीमियम बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन–पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियां शामिल हैं। प्राप्य ब्याज को "अन्य आस्तियों" में समूहित किया गया है।

ऋण चुकौती और वसूली हेतु कोलैटरल सिक्योरिटी पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश–पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) "परिपक्वता तक धारित"(परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियां),

(ख) "क्रय–विक्रय के लिए धारित" (प्रतिभूतियां इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार–चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय–विक्रय किया जाए) और

(ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है:

i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
iii) शेयरों में निवेश
iv) डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश
v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश
vi) अन्य (वाणिज्यिक-पत्र, म्युचुअल फंड इकाइयों आदि में) निवेश

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन, मूल्य निर्धारण और निवेशों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है।

(v) अचल आस्तियां तथा मूल्यह्रास

(क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत अर्जन के समय मूल लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है:

आस्ति	मूल्यह्रास दर
स्वामित्व वाले भवन	5%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	25%
कार्यालय उपकरण	25%
अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	25%
कम्प्यूटर व कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25%
मोटर वाहन	25%
मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मूल्यह्रास प्रौद्योगिकी के पुराने होने के आधार पर लिया गया है	33.33%

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहां किसी अवक्षयी आस्ति को बेच दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढहा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) ह्रास

आस्तियों के रख-रखाव की राशि को हर तुलन-पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए ह्रास के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई ह्रास हानियों यथा लागू प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। ह्रास हानि तब होती है जब किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

(vii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अंतरित किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

(viii) गारंटियां

ईसीजीसी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी आस्तियों और देयताओं की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संविदाएं जैसे ब्याज दर स्वाप, करंसी स्वाप, अंतर करंसी ब्याज दर स्वाप तथा वायदा दर करार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ये संव्यवहार हेजिंग के उद्देश्य से किए जाते हैं तथा उपचित आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। तुलन–पत्र की तारीख को बकाया डेरिवेटिव संविदाओं के बारे में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रकटन, आरबीआई के मास्टर निदेश– 'अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण – प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग' के अनुसार रिपोर्ट किए जाते हैं।

(x) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

(क) बैंक में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं हैं। इन निधियों में बैंक के अंशदान को संबंधित वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है।

(ख) ग्रेच्युटी, पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण परिभाषित कर्मचारी लाभ देयताएं हैं। इन देयताओं के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है।

(xi) आय पर करों का लेखांकन

(क) संबंधित संविधि के अधीन भुगतान योग्य कर के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन–पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

(xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 29 – 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार, बैंक प्रावधानों को केवल तभी हिसाब में लेता है, जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक भार संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए।

आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं, जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की कुछ न कुछ संभावना अवश्य हो।

आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

(xiii) भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के क्रियान्वयन का स्थगन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र दिनांकित 04 अगस्त, 2016 के अनुसार, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सभी बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर 01 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए और 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ लागू थे। आरबीआई ने एक्ज़िम बैंक को संबोधित 15 मई, 2019 के अपने पत्र के जरिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए इन मानकों का क्रियान्वयन अगली सूचना तक स्थगित करने के संबंध में सूचित किया है।

II. लेखों पर टिप्पणियां – सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक इराक में भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अतएव भारत सरकार को समनुदेशित ₹ 47.07 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 45.40 बिलियन) की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित ₹ 52.09 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 50.25 बिलियन) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियां उपर्युक्त तुलन–पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. भारत सरकार को अंतरणीय लाभ शेष पर कर

बैंक की पूँजी संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा धारित है तथा बैंक में कोई अन्य शेयर पूँजी नहीं है। अतः भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केन्द्र सरकार को अंतरणीय लाभ अधिशेष को लाभांश नहीं कहा जा सकता। परिणामस्वरूप, वाद सं. आईटीए सं. 7720/मुम्बई/2014 में 14 फ़रवरी, 2020 को आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के आलोक में, लाभांश वितरण पर कोई कर देय नहीं है, अतः इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. (क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में ₹ 1.17 बिलियन की समाप्त हो चुकी गारंटियां (गत वर्ष ₹ 0.67 बिलियन) शामिल हैं, जिन्हें बहियों में निरस्त करना शेष है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत "बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है" के रूप में दिखाई गई ₹ 5.08 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 7.75 बिलियन) की राशि अधिकांशत: बैंक के चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंक द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के जवाब में उन उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर किए गए दावों/प्रतिदावों से संबंधित है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा अभिमत में रखने योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अतः विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) आयकर के चलते आकस्मिक देयता

विभिन्न निर्णयन प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित आयकर मामलों के चलते ₹ 0.50 बिलियन की राशि को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिनके बैंक के मूल्यांकन में देयता में फलीभूत होने की संभावना कम है और इनके एवज में ₹ 0.90 बिलियन की प्राप्य राशि का रिफंड है।

बैंक ने सांविधिक लेखा परीक्षकों से चर्चा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 से बैंक ने सकल आधार पर आकस्मिक देयता को रिकॉर्ड करना शुरू किया है।

(घ) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा/ब्याज दर स्वाप

(i) यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूर्ण हेजिंग की गई है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति–देयता प्रबंधन के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर स्वाप, वायदा दर करार तथा मुद्रा–सह–ब्याज दर स्वाप) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदे करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका निपटान भी करता है। ऐसे बकाया डेरिवेटिव संव्यवहारों को हिसाब में लिया जाता है, जिन पर ब्याज दर में उतार–चढ़ाव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा इस स्थिति की निगरानी की जाती है और निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'वर्तमान एक्सपोज़र' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पीवी 01) के फेयर वैल्यू तथा प्राइस वैल्यू को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को एफएक्स स्वाप, मुद्रा स्वाप और विदेशी मुद्रा ब्याज स्वाप में बिना किसी परिपक्वता समय या मुद्रा प्रतिबंधों के 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

(ङ) मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित एवं धारित आय के अंतरणों पर सांकेतिक लाभ ₹ 0.07 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.08 बिलियन का सांकेतिक हानि) है।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों संबंधित प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त सूचना

5.1 पूँजी

(क)

(₹ बिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022 को	यथा 31 मार्च, 2021 को
(i) सामान्य इक्विटी	168.40	139.58
(ii) अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	-	5.00
(iii) कुल टियर 1 पूँजी (i+ii)	168.40	144.58
(vi) टियर 2 पूँजी	11.26	11.42
(v) कुल पूँजी (टियर 1+ टियर 2)	179.66	156.00
(vi) कुल जोखिम भारित आस्तियां	589.28	602.47
(vii) सामान्य इक्विटी अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कॉमन इक्विटी)	28.58%	23.17%
(viii) टियर 1 अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी)	28.58%	24.00%
(ix) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	30.49%	25.89%
(x) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100%	100%
(xi) भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई इक्विटी पूँजी राशि	7.50	13.00
(xii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी, जिसमें से		
क) बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
ख) बेमियादी ऋण लिखत	शून्य	शून्य
(xiii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें से		
क) ऋण पूँजी लिखतें	शून्य	शून्य
ख) बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
ग) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
घ) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य

(ख) यथा 31 मार्च, 2022 को टियर-II पूँजी के रूप में जुटाए गए और बकाया गौण ऋण की राशि: ₹ शून्य (गत वर्ष: ₹ शून्य)

(ग) जोखिम भारित आस्तियां

(₹ बिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022 को	यथा 31 मार्च, 2021 को
(i) तुलन-पत्र में 'शामिल' मदें	448.46	461.85
(ii) तुलन-पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	140.82	140.62

(घ) तुलन–पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूप: भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त पूँजी।

- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- बासेल III मानकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित संशोधित रूपरेखा अभी मसौदा चरण में है। बैंक सीआरएआर के निर्धारण हेतु बासेल III मानकों को इनके प्रभावी होने की तारीख से लागू करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतिम अधिसूचना प्रतीक्षित है।

5.2 निर्बंध आरक्षित निधियां एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	8.11	0.87

(ख) कोविड-19 विनियामकीय पैकेज पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार लेखों में किए गए प्रावधानों के संबंध में प्रकटीकरण

कोविड-19 विनियामकीय पैकेज – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी आरबीआई के परिपत्रों डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 47/21.04.048/2019-20 दिनांकित 27 मार्च, 2020 ('विनियामकीय पैकेज'), डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 63/21.04.048/2019-20 दिनांकित 17 अप्रैल, 2020 और डीओआर. एफआईडी. सं. 8140/01.02.000/2019-20 दिनांकित 08 मई, 2020 के अनुसार, ऋणदाता संस्थाओं को ऐसे खातों के संबंध में किए गए प्रावधानों का प्रकटीकरण करना आवश्यक है, जिन्हें मॉरेटोरिअम प्रदान किया गया था और आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्रदान किया गया था। ऐसे प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
उधारकर्ताओं की संख्या	-	3
यथा 31 मार्च, 2021 को ऋण बकाया	-	0.5
अतिदेय राशि	-	0.001
राशि, जिसके लिए आस्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया	-	0.5
किया गया प्रावधान	-	0.05

(ग) अस्थायी प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
(क) अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	-	-
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि	-	-
(घ) अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	-	-

5.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक अग्रिम

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	-	0.51%
(ii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	74.13	93.62
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	5.09	14.92
(ग) वर्ष के दौरान कमी	35.75	34.41
(घ) अंतिम शेष	43.47	74.13
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़		
(क) प्रारंभिक शेष	5.33	17.57
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-	5.33
(ग) वर्ष के दौरान कमी	5.33	17.57
(घ) अंतिम शेष	-	5.33
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	68.80	76.05
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.86	24.71
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	26.19	31.96
(घ) अंतिम शेष	43.47	68.80

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
(i) निवल निवेशों की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.54%	0.31%
(ii) अनर्जक निवेशों में घट-बढ़ (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	7.05	6.02
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	8.82	1.69
(ग) वर्ष के दौरान कमी	2.12	0.66
(घ) अंतिम शेष	13.75	7.05
(iii) निवल अनर्जक निवेशों में घट-बढ़		
(क) प्रारंभिक शेष	0.31	0.17
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.34	0.19
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.06	0.05
(घ) अंतिम शेष	0.59	0.31
(iv) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	6.74	5.86
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	8.54	0.99
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	2.12	0.11
(घ) अंतिम शेष	13.16	6.74

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.05%	0.50%
(ii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) प्रारंभिक शेष	81.18	99.64
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	13.91	16.61
(ग) वर्ष के दौरान कमी	37.87	35.07
(घ) अंतिम शेष	57.22	81.18
(iii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़		
(क) प्रारंभिक शेष	5.64	17.74
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.34	5.52
(ग) वर्ष के दौरान कमी	5.39	17.62
(घ) अंतिम शेष	0.59	5.64
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	75.54	81.91
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	9.40	25.70
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	28.31	32.07
(घ) अंतिम शेष	56.63	75.54

5.4 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण वर्तमान वर्ष

(₹ बिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार		कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत					अन्य					कुल
	आस्ति वर्गीकरण	विवरण	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	2	-	5	-	7	-	-	1	-	1	1	-	10	-	11	19
		बकाया राशि	0.07	-	1.02	-	1.09	-	-	0.01	-	0.01	0.24	-	8.45	-	8.69	9.79
		उस पर प्रावधान	0.04	-	1.02	-	1.06	-	-	0.01	-	0.01	0.03	-	8.45	-	8.48	9.55
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	5	5
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.91	-	6.40	-	13.31	13.31
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	-	6.40	-	8.20	8.20
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन / घटत	उधारकर्ताओं की संख्या	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		बकाया राशि	0.07	-	0.03	-	0.10	-	-	-	-	-	0.09	-	0.82	-	0.91	1.01
		उस पर प्रावधान	0.04	-	0.03	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.82	-	0.82	0.89
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
		बकाया राशि	-	-	0.07	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.66	-	0.66	0.73
		उस पर प्रावधान	-	-	0.07	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.66	-	0.66	0.73
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	4	-	4	-	-	1	-	1	4	-	11	-	15	20
		बकाया राशि	-	-	0.92	-	0.92	-	-	0.01	-	0.01	7.06	-	13.37	-	20.43	21.36
		उस पर प्रावधान	-	-	0.92	-	0.92	-	-	0.01	-	0.01	1.83	-	13.37	-	15.20	16.13

गत वर्ष :

(₹ बिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत					अन्य					कुल
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	3	-	8	-	11	-	-	2	-	2	3	-	9	-	12	25
		बकाया राशि	0.14	-	2.48	-	2.62	-	-	0.01	-	0.01	2.45	-	8.60	-	11.05	13.68
		उस पर प्रावधान	0.07	-	2.48	-	2.55	-	-	0.01	-	0.01	2.18	-	7.77	-	9.95	12.51
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4
		बकाया राशि	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	2.13	-	2.13	2.19
		उस पर प्रावधान	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	2.13	-	2.13	2.19
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन / घटत	उधारकर्ताओं की संख्या	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4
		बकाया राशि	0.07	-	1.20	-	1.27	-	-	-	-	-	2.22	-	1.52	-	3.74	5.01
		उस पर प्रावधान	0.03	-	1.20	-	1.23	-	-	-	-	-	2.15	-	0.69	-	2.84	4.08
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	3	-	3	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	6
		बकाया राशि	-	-	0.31	-	0.31	-	-	-	-	-	-	-	0.75	-	0.75	1.06
		उस पर प्रावधान	-	-	0.31	-	0.31	-	-	-	-	-	-	-	0.75	-	0.75	1.06
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	2	-	5	-	7	-	-	1	-	1	1	-	10	-	11	19
		बकाया राशि	0.08	-	1.02	-	1.10	-	-	0.01	-	0.01	0.24	-	8.45	-	8.69	9.79
		उस पर प्रावधान	0.04	-	1.02	-	1.06	-	-	0.01	-	0.01	0.03	-	8.45	-	8.49	9.55

5.5 अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
यथा 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष)	74.13	93.62
वर्ष के दौरान बढ़त (नई अनर्जक आस्तियां)	2.47	14.88
ब्याज निधीयन	1.18	0.04
विनिमय दर घट-बढ़	1.44	-
उपखंड योग (क)	**79.22**	**108.54**
घटाएं:		
(i) उन्नयन	6.91	-
(ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोड़कर)	10.10	4.03
(iii) तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते	18.02	28.13
(iv) बट्टे खाते, उपर्युक्त (iii) के अलावा	0.72	0.91
(v) विनिमय दर घट-बढ़	-	1.34
उपखंड योग (ख)	**35.75**	**34.41**
यथा आगामी वर्ष की 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (क-ख)	**43.47**	**74.13**

आरबीआई के मास्टर परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 2/21.04.048/2015-16 दिनांकित 1 जुलाई, 2015 के परिशिष्ट भाग सी-2 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

5.6 बट्टे खाते और वसूली

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
बट्टे खाते डाले गए खातों का यथा 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते	89.19	62.68
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते	18.02	28.13
जोड़ें: विनिमय में उतार-चढ़ाव	0.97	(0.71)
उपखंड योग (क)	**108.18**	**90.10**
घटाएं: वर्ष के दौरान पुराने तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते डाले गए खातों से की गई वसूली (ख)	0.56	0.91
यथा 31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	**107.62**	**89.19**

5.7 विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
कुल आस्तियां	49.58	42.74
कुल अनर्जक आस्तियां	-	2.62
कुल राजस्व	**1.47**	**2.08**

(उपरोक्त आंकड़े लंदन शाखा से संबंधित हैं जिसका अपना परिचालन अक्टूबर 2010 से प्रारंभ हुआ था।)

5.8 निवेशों पर मूल्यह्रास और प्रावधान

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	132.74	122.61
क) भारत में	131.64	121.66
ख) भारत से बाहर	1.10	0.95
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	23.72	22.43
क) भारत में	22.72	21.80
ख) भारत से बाहर	1.00	0.63
(iii) निवल निवेश	109.02	100.18
क) भारत में	108.92	99.86
ख) भारत से बाहर	0.10	0.32
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों में घट-बढ़		
(i) प्रारंभिक शेष	22.43	20.77
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3.47	2.94
(iii) वर्ष के दौरान निवेश अस्थिर आरक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई है	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों पर बट्टा खाता/प्रतिलेखन	2.18	1.28
(v) घटाएं: अस्थिर आरक्षित निधि खाते में हस्तांतरण, यदि कोई है	-	-
(vi) अंतिम शेष	23.72	22.43

5.9 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

(₹ बिलियन)

लाभ एवं हानि लेखा शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए प्रावधानों और आकस्मिक व्यय का विवरण	2021-22	2020-21
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(0.05)	0.24
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	(25.36)	(7.46)
आयकर के लिए किए गए प्रावधान	14.12	1.02
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय*	7.33	2.31

*इसमें बैंक गारंटियों के लिए ₹ 7.41 बिलियन (गत वर्ष ₹ 2.03 बिलियन) और देशगत जोखिम प्रावधानीकरण के लिए ₹ 0.14 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.01 बिलियन) और हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली संस्थाओं को एक्सपोज़र के चलते ₹ 0.06 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.26 बिलियन) का प्रावधानीकरण शामिल है।

5.10 प्रावधान कवरेज अनुपात

विवरण	2021-22	2020-21
प्रावधान कवरेज अनुपात	100%	96.74%

5.11 वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामले और उनके लिए किए गए प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान धोखाधड़ी के रूप में घोषित किए गए 6 मामलों में ₹ 4.01 बिलियन (गत वर्ष 13 मामलों में ₹ 14.08 बिलियन) की राशि अग्रिमों को दर्शाती है। वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों के संबंध में यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया शेष के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यथा वर्ष की समाप्ति को अपरिशोधित प्रावधान की कोई भी राशि 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट नहीं की गई है।

6. निवेश पोर्टफोलियो: संघटक एवं परिचालन

6.1 रेपो लेन-देन

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	--	--	--	--
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	--	--	--	--
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	--	--	--	--
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	--	--	--	--
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	--	--	--	--

6.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निवेशकर्ता की जमाराशियों का प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	"निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां	धारित "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	धारित "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	1.00	1.00	-	0.06	1.00
3	बैंक	0.002	0.002	-	-	-
4	निजी कॉर्पोरेट	38.27*	38.27	-	6.97	35.63
5	अनुषंगी संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम	0.003	0.003	-	0.003	0.003
6	अन्य	0.02	0.02	-	-	0.02
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	23.72	-	-	-	-
	कुल	**39.30**	**39.30**	**-**	**7.03**	**36.65**

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने वाले प्रावधान की केवल कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 19.34 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 6.91 बिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में है।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	"निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां	धारित "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	धारित "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	1.27	1.27	-	0.06	1.27
3	बैंक	0.002	0.002	-	-	-
4	निजी कॉर्पोरेट	27.45*	27.39	0.44	5.38	24.28
5	अनुषंगी संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम	0.003	0.003	-	0.003	0.003
6	अन्य	0.02	0.02	-	-	0.02
7	मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान#	22.43	-	-	-	-
	कुल	**28.74**	**28.69**	**0.44**	**5.44**	**25.57**

कॉलम 3 में प्रकट किए गए प्रावधान की कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 20.20 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश और ₹ 6.79 बिलियन ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में निवेश को दर्शाती हैं।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

6.3 हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में / से बिक्री और अंतरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, हेल्ड–टू–मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में से निवेशों का कोई विक्रय और अंतरण नहीं किया गया। (गत वर्ष ₹ 9.78 बिलियन के बही मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में शिफ्ट किया गया था)।

7. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

7.1 आस्ति पुनर्संचरना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. बिक्री का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
(i)	खातों की संख्या	2	-
(ii)	आस्ति प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों (प्रावधानों को घटाकर) का कुल मूल्य	-	-
(iii)	कुल प्राप्ति	0.10	-
(iv)	गत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राशि	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल प्राप्ति/(हानि)	0.10	-

- "आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई आस्तियों" को आरबीआई के मास्टर परिपत्र डीबीओडी संख्या एफआईडी.एफआईसी. 2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 01 जुलाई, 2006 और उसके बाद परिभाषित अनुसार माना गया है।

ख. प्रतिभूति जमाओं में निवेशों के बही मूल्य का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य	
		2021-22	2020-21
(i)	बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	1.38	2.72
(ii)	बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित	--	--
	कुल	1.38	2.72

7.2 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	--	--
	(ख) कुल बकाया	--	--
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	--	--
	(ख) कुल बकाया	--	--

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1.	बेचे गए खातों की संख्या	--	--
2.	कुल बकाया	--	--
3.	कुल प्राप्त राशि	--	--

8. परिचालन परिणाम

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.13	6.35
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.30	0.47
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.41	2.25
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.54	0.19
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ/(हानि) (₹ बिलियन में)	0.02	0.007

- परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत तथा रिपोर्ट के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है ("कार्यशील निधियों" का संदर्भ निवल अर्जक आस्तियों से है)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना के लिए सभी कैडरों के स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को लिया गया है।

9. ऋण संकेंद्रण जोखिम

9.1 पूँजी बाजार एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका निवेश केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही नहीं है;	0.09	--
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स में निवेश के लिए शेयरों / बॉन्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के एवज में अग्रिम अथवा गैर प्रतिभूति आधार पर व्यक्तियों को अग्रिम;	--	--
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	--	--
(iv)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों/डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की कोलैटरल सिक्योरिटी, अर्थात ऐसे उद्देश्य जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती;	--	--
(v)	शेयर दलालों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों और मार्केटमेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;	--	--
(vi)	संसाधन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स को नई कंपनियों में प्रवर्तक इक्विटी लेने के लिए शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बेजमानती ऋणों की मंजूरी;	--	--
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के बदले पूरक ऋण;	--	--
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की प्राथमिक निर्गम की खरीद के संबंध में बैंक द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	--	--
(ix)	शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण;	--	--
(x)	उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए सभी एक्सपोज़र	--	--
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**0.09**	**--**

9.2 देशगत जोखिम एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

जोखिम श्रेणी	यथा 31 मार्च, 2022 को एक्सपोज़र (निवल)	यथा 31 मार्च, 2022 को रखे गए प्रावधान	यथा 31 मार्च, 2021 को एक्सपोज़र (निवल)	यथा 31 मार्च, 2021 को प्रावधान
नगण्य	39.69	0.23	66.75	0.26
न्यून	385.37	-	334.72	-
मध्यम	381.76	-	510.83	-
उच्च	263.32	-	40.45	-
बहुत ज्यादा	69.53	-	65.57	-
प्रतिबंधित	-	-	-	-
ऑफ क्रेडिट	-	-	-	-
कुल	**1,139.67**	**0.23**	**1,018.32**	**0.26**

9.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
खातों की संख्या	1	1
कुल बकाया राशि	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि	0.08	0.08

9.4 वर्ष के दौरान क्रियान्वित की गई समाधान योजना

(₹ बिलियन)

उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया राशि
2	8.15	8.96	0.85	5.63

- अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी.55/21.04.048/2021-22 दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 के अनुसार।

9.5 तनावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना (एस4ए) के अंतर्गत एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

विवरण		2021-22	2020-21
मानक खातों के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या, जिन पर एस4ए लागू होता है		2	2
कुल बकाया राशि		--	0.01
बकाया राशि	भाग क में	2.94	2.94
	भाग ख में	2.59	2.59
किया गया प्रावधान		1.11	1.11

9.6 यथा 31 मार्च, 2022 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत ₹ 26.35 बिलियन (गत वर्षः ₹ 35.14 बिलियन) के बकाया ऋण के साथ 66 खातों (गत वर्षः 68 खाते) को एनसीएलटी में दाखिल किया गया या संदर्भित किया गया, जिनके एवज में बैंक ने 100% प्रावधान किया है (गत वर्षः 99.88%)।

9.7 बैंक द्वारा विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण देने संबंधी मामले–एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा

क. वर्ष के दौरान विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामलों की संख्या और राशि

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर–निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
1.		अफ्रीकी निर्यात–आयात बैंक	65102	वित्तीय सेवाएं	वित्तीय सेवाएं	24.16	0.00	15.49

गत वर्ष

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर–निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
1.		अफ्रीकी निर्यात–आयात बैंक	65102	वित्तीय सेवाएं	वित्तीय सेवाएं	25.13	0.00	17.70

ख. पूँजीगत निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण

वर्तमान वर्ष

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	15.49	1.23	1.77
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	23.07	1.84	2.63
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	149.97	11.94	17.11
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	154.85	12.33	17.67

* यथा 31 मार्च, 2021 को पूँजीगत निधियां

@ टीसीई: ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2022 को एक एकल उधारकर्ता रहा, जिसे ऋण एक्सपोज़र कुल पूँजीगत निधियों के 15% की सीमा से अधिक रहा, जिसके लिए निदेशक मंडल से पूर्व में अनुमोदन ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त, कोई समूह उधारकर्ता नहीं रहा, जिसे ऋण एक्सपोज़र पूँजीगत निधियों के 40% की सीमा से अधिक रहा हो। विवरण उपर्युक्त पैरा 9.7.क में दिया गया है।

गत वर्ष:

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	17.70	1.44	1.86
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	25.25	2.05	2.66
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	158.33	12.86	16.67
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	180.01	14.62	18.96

* यथा 31 मार्च, 2020 को पूँजीगत निधियां।

@ टीसीई: ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च, 2021 को एक एकल उधारकर्ता था, जिसे ऋण एक्सपोज़र कुल पंजीगत पूँजी निधियों के 15% से अधिक रहा, जिसके लिए निदेशक मंडल से पूर्व में अनुमोदन ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त, कोई समूह उधारकर्ता नहीं रहा, जिसे ऋण एक्सपोज़र पूँजीगत निधियों के 40% की सीमा से अधिक रहा हो। विवरण उपर्युक्त पैरा 9.7.क में दिया गया है।

ग. पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र

वर्तमान वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण सेवाएं	4.28	6.88
ii) वित्तीय सेवाएं	3.75	6.02
iii) रसायन और रंजक (डाई)	3.10	4.98
iv) निर्माण	2.96	4.76
v) पेट्रोरसायन	2.07	3.33

गत वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण सेवाएं	5.50	8.68
ii) निर्माण	3.29	5.20
iii) रसायन एवं डाई	3.15	4.97
iv) वित्तीय सेवाएं	2.22	3.51
v) पेट्रोरसायन	2.13	3.36

- "ऋण एक्सपोज़र" की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
- उद्योग एक्सपोज़र की गणना के लिए बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिया गया वह ऋण जिसके लिए भारत सरकार द्वारा/भारत सरकार की ओर से गारंटी दी गई है को, भारत सरकार की ओर से दिया गया ऋण माना गया है और उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है।

घ. अप्रतिभूतित अग्रिम

(₹ बिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022 को	यथा 31 मार्च, 2021 को
बैंक के कुल अप्रतिभूतित अग्रिम	77.95	48.49
i) जिसमें से कॉर्पोरेट / व्यक्तिगत गारंटियों, वचन पत्रों, ट्रस्ट रसीदों आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के एवज में बकाया अग्रिम की राशि	7.95	5.61
ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अनुसार अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	0.46	0.01

ङ. फैक्टरिंग एक्सपोज़र

फैक्टरिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक का कोई एक्सपोज़र नहीं है (गत वर्ष ₹ शून्य)।

च. वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा पार की गई विवेकसम्मत ऋण सीमा वाले एक्सपोज़र

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
1.	-	अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक	65102	वित्तीय सेवाएं	वित्तीय सेवाएं	24.16	0.00	15.49

गत वर्ष

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
1.	-	अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक	65102	वित्तीय सेवाएं	वित्तीय सेवाएं	25.13	0.00	17.70

यथा 31 मार्च, 2022 को एक एकल उधारकर्ता रहा, जिसे ऋण एक्सपोजर कुल पूँजीगत निधियों के 15% की सीमा से अधिक रहा, जिसके लिए निदेशक मंडल से पूर्व में अनुमोदन ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त, कोई समूह उधारकर्ता नहीं रहा, जिसे ऋण एक्सपोजर पूँजीगत निधियों के 40% की सीमा से अधिक रहा हो। विवरण उपर्युक्त पैरा 9.7.क में दिया गया है

10. उधारियों/ऋण–व्यवस्थाओं, ऋण एक्सपोज़रों और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(क) उधारियों और ऋण–व्यवस्थाओं का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	138.71	128.77
बैंक की कुल उधारियों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का प्रतिशत	12.91%	11.75%

(ख) ऋण एक्सपोज़रों का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोज़र	233.95	224.76
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	19.18%	20.30%
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	233.95	224.76
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोज़र का प्रतिशत	11.94%	12.86%
एक्ज़िम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोज़र की तुलना में शीर्ष 10 देशों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	38.59%	35.97%

ऋण और निवेश एक्सपोज़र पर आधारित एक्सपोज़र की गणना वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या डीबीआर.एफआईडी.एफआईसी.संख्या 4/01.02.00/2015-16 दिनांकित 01 जुलाई, 2015 के अनुसार की गई है।

(ग) ऋणों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2021-22			2020-21		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
क	**घरेलू क्षेत्र**	**374.03**	**28.52**	**8%**	**355.91**	**39.48**	**11%**
1	**कुल निर्यात वित्त**	**330.93**	**25.20**	**8%**	**323.68**	**32.73**	**10%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	151.99	17.59	12%	186.28	25.02	13%
	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	-	-	-	13.35	2.56	19%
	रसायन और रंजक	9.96	-	0%	10.67	-	0%
	पेट्रोलियम उत्पाद	25.44	-	0%	-	-	-
	टेक्सटाइल और गारमेंट	22.62	5.16	23%	27.03	5.28	20%
	पेट्रोरसायन	-	-	-	30.69	4.89	16%
	अन्य	93.97	12.43	13%	104.54	12.29	12%
	सेवा क्षेत्र	178.94	7.61	4%	137.40	7.71	6%
	वित्तीय सेवाएं	139.16	-	0%	103.47	-	0%
	अन्य	39.78	7.61	19%	33.93	7.71	23%
2	**कुल आयात वित्त**	**43.10**	**3.33**	**8%**	**32.23**	**6.75**	**21%**

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2021-22			2020-21		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	25.50	2.66	10%	28.50	5.36	19%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	-	-	-	0.15	0.15	100%
	रसायन और रंजक	16.48	-	0%	18.26	2.11	12%
	अन्य	9.03	2.66	29%	10.09	3.10	31%
	सेवा क्षेत्र	17.60	0.66	4%	3.73	1.39	37%
	वित्तीय सेवाएं	15.16	-	0%	-	-	-
	अन्य	2.44	0.66	27%	3.73	1.39	37%
3	**(क) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र**	-	-	-	-	-	-
ख	**बाह्य क्षेत्र**	**105.00**	**14.95**	**14%**	**104.50**	**34.65**	**33%**
1	कुल निर्यात वित्त	**105.00**	**14.95**	**14%**	**104.50**	**34.65**	**33%**
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	62.94	12.47	20%	79.65	31.69	40%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	-	-	-	18.89	1.06	6%
	रसायन और रंजक	5.92	3.90	66%	5.89	5.08	86%
	टेक्सटाइल और गारमेंट	3.44	-	0%	2.60	1.20	46%
	अन्य	53.59	8.57	16%	52.27	24.36	47%
	सेवा क्षेत्र	42.06	2.48	6%	24.85	2.96	12%
	वित्तीय सेवाएं	37.42	-	0%	15.48	-	0%
	अन्य	4.65	2.48	53%	9.37	2.96	32%
2	कुल आयात वित्त	-	-	-	-	-	-
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	सेवा क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3	**(ख) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र**	-	-	-	-	-	-
ग	**अन्य एक्सपोज़र#**	**740.63**	-	**0%**	**646.90**	-	**0%**
घ	कुल एक्सपोज़र (क+ख+ग)	**1,219.66**	**43.47**	**3.56%**	**1,107.31**	**74.13**	**6.69%**

#इसमें ऋण–व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण, रियायती वित्त योजना, वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त और बैंकों द्वारा प्रति–गारंटित अग्रिम शामिल हैं।

घ. हेज न किया गया विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने आरबीआई के मास्टर निदेश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16 दिनांकित 23 जून, 2016 के अनुसार, पूँजी के प्रावधान की आवश्यकताओं के संबंध में एक आंतरिक नोट के अनुसार अरक्षित (हेज न किया गया) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली कंपनियों को एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील रूप से प्रावधान करने के नियम को लागू किया है। यथा 31 मार्च, 2022 को मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए ₹ 0.33 बिलियन (गत वर्षः ₹ 0.26 बिलियन) की राशि रखी गई और मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए आवंटित पूँजी ₹ 8.26 बिलियन (गत वर्षः ₹ 7.29 बिलियन) रही।

11. डेरिवेटिव

11.1 वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वाप

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2021-22		2020-21	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वाप करारों का मूल कल्पित मूल्य	446.01	-	490.16	-
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	1.48	-	1.40	-
3.	स्वाप करारों के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित कोलैटरल	-	-	-	-
4.	स्वाप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	–	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	-
5.	स्वाप बही का सही मूल्य	(13.70)	-	9.91	-

*सभी ब्याज दर स्वाप बैंकों के साथ किए गए हैं।

स्वाप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्तियों/देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति–देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

(₹ बिलियन)

लिखत	प्रकृति	संख्या	अनुमानित मूलधन	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	25	401.67	लाइबोर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	1.26	लाइबोर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	2	41.68	लाइबोर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	1.40	टोना	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
	कुल	29	446.01		

11.2 एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की सांकेतिक मूल राशि	-
2.	यथा 31 मार्च, 2021 को एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि	-
3.	एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं	-
4.	एक्सचेंजों में खरीदे–बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव का बकाया मार्क–टू–मार्केट मूल्य किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं	-

11.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटन

क. क्वालिटेटिव प्रकटन

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यतः अपने तुलन-पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स का ही उपयोग करता है।

2. डेरिवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि तथा (ii) ऋण जोखिम अर्थात प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जिसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से समग्र आस्ति देयता स्थिति को संव्यवहार स्तर पर ही प्रबंधित कर लेना है। यह नीति बैंक के व्यवसाय लक्ष्यों के अनुरूप अनुमत डेरिवेटिव उत्पादों के प्रयोग को परिभाषित करती है, नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली निर्धारित करती है और नियामकीय, प्रलेखन तथा लेखा संबंधी विषयों के बारे में बताती है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्री-सेटलमेंट लिमिट, पीवी01 लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।

3. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो डेरिवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देखरेख करती है।

4. यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है तथा आस्ति-देयता बहियों में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर स्वाप/करंसी स्वाप्स शामिल नहीं हैं जो डेरिवेटिव नीति के अनुपालन में है।

ख. क्वालिटेटिव प्रकटन

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2021-22		2020-21	
		करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
1	डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	361.01	446.01	355.21	490.16
	ख) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
2	मार्क्ड-टू-मार्केट स्थितियां				
	क) आस्ति (+)	-	-	-	9.91
	ख) देयता (-)	(40.54)	(13.70)	(24.95)	-
3	ऋण एक्सपोजर	14.40	3.43	17.45	16.84
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	8.73	20.61	10.05	18.65
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	(i) अधिकतम	10.90	25.28	11.75	20.58
	(ii) न्यूनतम	8.73	20.61	11.12	18.66
	ख) ट्रेडिंग पर				
	(i) अधिकतम	-	-	-	-
	(ii) न्यूनतम	-	-	-	-

12. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया (गत वर्षः शून्य) और बकाया प्रतिबद्धताओं के लिए कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं रहा। यथा 31 मार्च, 2022 को साख पत्र के अंतर्गत ₹ 2.44 बिलियन का बैंक का एक बकाया एक्सपोज़र रहा, जिसके एवज में बैंक ने ₹ 3.30 बिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र लिया है। (गत वर्षः शून्य)।

13. आस्ति–देयता प्रबंधन

वर्तमान वर्षः

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	25.21	11.87	28.80	19.32	94.34	28.61	35.36	0.12*	243.62
रुपया निवेश	7.75	0.50	1.09	10.63	0.05	5.40	27.94	54.88	108.24
रुपया अन्य आस्तियां	41.91	2.11	74.35	73.93	42.65	280.13	131.86	266.48	913.41
रुपया जमा राशियां	0.02	0.00	0.15	27.02	33.44	8.84	0.20	0.00	69.67
रुपया उधारियां	70.38	0.55	46.44	41.91	19.94	93.51	52.35	56.50	381.58
रुपया अन्य देयताएं	8.86	11.82	70.09	53.82	64.11	92.72	13.82	255.45	570.70
विदेशी मुद्रा आस्तियां	32.42	2.98	66.38	66.75	107.82	286.42	255.80	493.87	1,312.44
विदेशी मुद्रा देयताएं	34.64	2.88	82.06	82.14	132.97	371.99	177.36	300.45	1,184.48

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

गत वर्षः

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	15.42	0.60	2.73	26.11	76.94	29.87	21.58	(1.81)*	171.44
रुपया निवेश	0.00	0.00	0.09	0.05	0.14	0.57	17.82	81.52	100.17
रुपया अन्य आस्तियां	35.57	24.44	125.17	32.19	64.02	173.04	131.52	274.43	860.39
रुपया जमा राशियां	0.02	9.47	9.75	0.03	18.54	8.78	0.14	0.00	46.74
रुपया उधारियां	0.00	14.87	114.44	37.39	13.00	93.74	59.73	70.25	403.43
रुपया अन्य देयताएं	5.43	4.69	29.85	26.72	32.71	114.98	18.11	229.03	461.54
विदेशी मुद्रा आस्तियां	42.17	25.74	64.65	57.65	82.77	270.45	230.30	498.63	1,272.36
विदेशी मुद्रा देयताएं	24.53	22.55	79.22	61.08	93.92	355.19	120.41	383.38	1,140.27

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

14. आरक्षित निधियों से आहरण

बैंक द्वारा आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली गई है।

15. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2021-22	2020-21
इक्विटी पर रिटर्न	4.75%	1.70%
आस्तियों पर रिटर्न	0.54%	0.19%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ बिलियन)	0.02	0.007

16. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिनियम, आदेश, नियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपेक्षित शर्त के उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया।

17. शिकायतों का प्रकटीकरण

ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान मिली शिकायतें	3	2
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	3	2
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	-	-

18. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
-	-

विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

19. अचल आस्तियों का विवरण

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण		परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक				
यथा 31 मार्च, 2021 को लागत		5.12	1.44	6.56
परिवर्द्धन		0.01	0.11	0.12
निपटान		-	0.05	0.05
यथा 31 मार्च, 2022 को लागत	**(क)**	**5.13**	**1.50**	**6.63**
मूल्यह्रास				
यथा 31 मार्च, 2021 को संचित		1.48	1.12	2.60
वर्ष के दौरान प्रावधान		0.22	0.17	0.39
निपटान पर हटाया गया		-	0.05	0.05
यथा 31 मार्च, 2022 को संचित	**(ख)**	**1.70**	**1.24**	**2.94**
निवल ब्लॉक (क–ख)		**3.43**	**0.26**	**3.69**

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण		परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक				
यथा 31 मार्च, 2020 को लागत		4.76	1.19	5.95
परिवर्द्धन		0.36	0.28	0.64
निपटान		-	0.03	0.03
यथा 31 मार्च, 2021 को लागत	**(क)**	**5.12**	**1.44**	**6.56**
मूल्यह्रास				
यथा 31 मार्च, 2020 को संचित		1.25	0.97	2.22
वर्ष के दौरान प्रावधान		0.23	0.17	0.40
निपटान पर हटाया गया		-	0.02	0.02
यथा 31 मार्च, 2021 को संचित	**(ख)**	**1.48**	**1.12**	**2.60**
निवल ब्लॉक (क-ख)		**3.64**	**0.32**	**3.96**

20. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय (अक्रुअल) आधार पर हिसाब में लिया गया है।

21. खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों में केवल एक व्यवसाय खंड शामिल है अर्थात वित्तीय गतिविधियां, अतएव इसे एकल व्यवसाय खंड वाली संस्था के रूप में माना गया है।

बैंक के भौगोलिक परिचालन खंडों को घरेलू परिचालनों एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है। इन परिचालनों का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकरण मुख्यतः संव्यवहार के जोखिम तथा प्रतिफल पर आधारित है।

(₹ बिलियन)

विवरण	घरेलू परिचालन		अंतरराष्ट्रीय परिचालन		कुल	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
राजस्व	82.16	83.69	1.47	2.08	83.63	85.76
आस्तियां	1,317.80	1,305.24	49.61	42.78	1,367.41	1,348.02

22. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्षकारों का प्रकटन निम्नलिखित अनुसार है:

- **संबंध**

  (i) संयुक्त उपक्रम:

  - जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड
  - कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी

  (ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अधिकारी:

  - सुश्री हर्षा बंगारी (8 सितंबर, 2021 से प्रबंध निदेशक)
  - श्री एन. रमेश (उप प्रबंध निदेशक)
  - श्री डेविड रस्कीना (31 मई, 2021 तक प्रबंध निदेशक)

- **बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियों तथा लेन–देनों का सारांश नीचे दिया गया है:**

(₹ मिलियन)

विवरण	संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
प्रदत्त ऋण	-	-	-	-
जारी गारंटियां	-	-		-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-
प्राप्त गारंटी कमीशन	-	0.20	-	-
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	-	-	-	-
स्वीकार की गई सावधि जमा राशियां	-	-	3.54	3.00
सावधि जमा राशियों पर ब्याज	-	-	0.77	0.66
बट्टाकृत / अपलेखीकृत की गई राशियां	-	-	-	-
बकाया सावधि जमा राशियां	-	-	9.56	9.24
वर्ष के अंत में बकाया ऋण	-	-	0.36	-
वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया निवेश	144.04	144.04	-	-
प्राप्त लाभांश	0.42	0.42	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया ऋण	-	-	0.56	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया गारंटियां	-	3.94	-	-
परिलब्धियों सहित वेतन	-	-	16.24	13.68
भुगतान किया गया किराया	-	-	0.59	0.48
व्ययों की प्रतिपूर्ति	4.77	4.49	-	-
निदेशक की प्राप्त फीस	0.04	0.03	-	-
परामर्श के लिए भुगतान की गई फीस	9.91	11.66	-	-

23. आय पर कर के संबंध में लेखांकन

(क) कर के लिए प्रावधान संबंधी विवरण:

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
आय पर कर	0.21	0.24
जोड़ें: निवल आस्थगित कर देयता	13.91	0.78
कुल	**14.12**	**1.02**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अंतर्गत अनुमत विकल्प का चयन किया और तदनुसार, उपरोक्त विकल्प के अनुरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर के लिए प्रावधान किया। अतः उपरोक्त धारा में निर्धारित दर के आधार पर 1 अप्रैल, 2021 को आस्थगित कर आस्तियों के प्रारंभिक शेष के पुनर्विवरण की आवश्यकता हुई। तदनुसार, बैंक ने आयकर के लिए प्रावधान किया और उपरोक्त धारा में निर्धारित दर के अनुसार, 1 अप्रैल, 2021 को संचयी आस्थगित कर आस्तियों की पुनर्गणना की तथा यथा 31 मार्च, 2022 को ₹ 1,391 करोड़ (यथा 1 अप्रैल, 2021 को संचयी डीटीए की पुनर्गणना के चलते ₹ 933 करोड़ सहित) के परिणामी प्रभाव को लाभ और हानि लेखा में पूर्णतः डाला गया है।

(ख) आस्थगित कर आस्ति:

प्रमुख करों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का संयोजन नीचे दिया गया है:

(₹ बिलियन)

विवरण	2021-22	2020-21
आस्थगित कर आस्तियां		
1. अस्वीकृत प्रावधान (निवल)	20.08	35.73
घटाएं: आस्थगित कर देयता		
1. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.0007	0.02
2. बॉन्ड निर्गम व्ययों का परिशोधन	0.32	0.57
3. धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3.12	4.58
निवल आस्थगित कर आस्तियां तुलन-पत्र के 'आस्तियां' पक्ष में 'अन्य आस्तियां' में शामिल	**16.64**	**30.56**

24. संयुक्त उपक्रमों में हित की रिपोर्टिंग

I.

	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं	देश	धारिता का प्रतिशत	
			वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क	जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड	भारत	28.00%	28.00%
ख	कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी	मॉरीशस	36.36%	40.00%

II. लेखा मानक 27 संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति का प्रयोग करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ मिलियन)

देयताएं	2021-22	2020-21	आस्तियां	2021-22	2020-21
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	21.89	43.41	अचल आस्तियां	0.12	0.05
ऋण	-	-	निवेश	10.39	17.31
अन्य देयताएं	26.24	7.82	अन्य आस्तियां	37.62	33.88
कुल	**48.13**	**51.23**	**कुल**	**48.13**	**51.23**

आकस्मिक देयताएं: ₹ शून्य (गत वर्ष: ₹ शून्य)

(₹ मिलियन)

व्यय	2021-22	2020-21	आय	2021-22	2020-21
	1.05	-	परामर्शी आय	13.28	15.42
अन्य व्यय	50.66	98.22	ब्याज आय तथा निवेश से आय	0.72	1.53
प्रावधान	1.51	0.81	अन्य आस्तियां	0.65	0.15
			हानि	38.57	81.93
कुल	**53.22**	**99.03**	**कुल**	**53.22**	**99.03**

नोट: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी और जीपीसीएल से संबंधित आंकड़े लेखा परीक्षित नहीं हैं और अनंतिम हैं।

25. आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में अधिकांश आस्तियां "वित्तीय आस्तियां" हैं, जिन पर "आस्तियों का ह्रास" संबंधी लेखा मानक 28 लागू नहीं होता है। बैंक की राय में, जिन आस्तियों पर ये मानक लागू होते हैं, उनमें उक्त लेखा मानकों के संबंध में हिसाब में लेने के लिए यथा 31 मार्च, 2022 को कोई ह्रास नहीं हुआ है।

26. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी लाभों पर यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखा मानक–15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है, जिसमें तुलन–पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) तुलन–पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
अवधि के अंत में आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	1.44	0.31
अवधि के अंत में हित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	(1.55)	(0.31)
निधीयन स्थिति	(0.11)	0.001
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई परिवर्ती देयता	-	-
अवधि के अंत में तुलन पत्र में हिसाब में ली गई निवल देयता	(0.11)	0.001

ख) लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
वर्तमान सेवा लागत	0.038	0.018
ब्याज मूल्य	0.097	0.020
बीमांकिक हानि/(लाभ)	0.094	0.014
विगत सेवा लागत – गैर निहित लाभ	0.025	(0.025)
विगत सेवा लागत – निहित लाभ	-	-
परिवर्ती दायित्व	0.069	-
लाभ एवं हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	0.134	(0.000)
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(0.054)	(0.086)

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.41%	7.29%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	7.41%	7.29%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ दायित्व की राशि ₹ 0.0138 बिलियन रही (गत वर्षः ₹ 0.0333 बिलियन), जिसका पूर्णतः प्रावधान किया जा चुका है।

27. सेबी के दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 के परिपत्र के अनुपालन में भारतीय निर्यात–आयात बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

प्राधिकृत व्यक्ति: श्री अनिल ग्रोवर, ऑपरेशंस हेड
श्री संजय सिन्हा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पता:

पंजीकृत कार्यालय:

एक्सिस हाउस,
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड,
पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुंबई – 400 025

कॉर्पोरेट कार्यालय:

द रूबी, दूसरी मंज़िल, एसडब्ल्यू
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई – 400 028

फोन: (022) 62300451
ईमेल: sbteam@axistrustee.in
वेबसाइट: www.axistrustee.com

28. वित्तीय वर्ष 2020 से शुरू हुई कोविड–19 महामारी के चलते वित्तीय बाजारों में उल्लेखनीय रूप से अस्थिरता रही और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ी। तथापि, बैंक अपनी व्यवसाय निरंतरता को बनाए रखने को लेकर आश्वस्त है और इस महामारी पर बारीकी से निगाह बनाए रखेगा तथा बैंक की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाधान करेगा।

उधारकर्ताओं के ऋण चुकौती संबंधी भार को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड–19 महामारी के कारण आई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विनियामकीय उपायों की घोषणा की। इनमें मुख्य रूप से मूलधन और ब्याज की किस्तों का स्थगन, एकबारगी निपटान (ओटीआर) समाधान फ्रेमवर्क आदि शामिल रहे।

तदनुसार, ₹ 764.81 करोड़ के बकाया के साथ कुल 10 उधारकर्ताओं (3 अर्जक और 7 अनर्जक) ने बैंक को ओटीआर फ्रेमवर्क के अंतर्गत समाधान के लिए अनुरोध किया। ₹ 738.83 करोड़ के बकाया के साथ 9 उधारकर्ता खातों के संबंध में ओटीआर को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। इसके अलावा, बैंक में कोई मामले नहीं रहे, जिनके लिए 'समाधान फ्रेमवर्क 2.0: व्यक्तियों और लघु व्यवसायों के कोविड–19 संबंधी तनाव का समाधान' के अंतर्गत समाधान क्रियान्वित किया गया।

इसके अतिरिक्त, कोविड–19 महामारी के चलते आई आर्थिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज के क्रम में, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बैंक ने अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की।

(₹ बिलियन)

योजना	2021-22				2020-21			
	मंजूरी	संवितरित*	बकाया		मंजूरी	संवितरित	बकाया	
			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि
ईसीएलजीएस 1.0	0.03	0.11	5	0.20	0.19	0.10	3	0.10
ईसीएलजीएस 2.0	0.48	1.11	13	1.22	1.04	0.11	3	0.11
ईसीएलजीएस 3.0	0.22	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	**0.73**	**1.22**	**18**	**1.42**	**1.23**	**0.21**	**6**	**0.21**

(*) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मंजूर ऋणों के लिए किए गए संवितरण शामिल हैं।

29. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक

श्रीमती हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

श्रीमती रूपा दत्ता

श्री सुचीन्द्र मिश्र

श्री आर. सुब्रमणियन

श्री एम. सेंथिलनाथन

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री राजकिरन राय जी.

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 मई, 2022

निदेशकों की रिपोर्ट

निर्यात विकास कोष

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने भारत से ईरान को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों के वित्तपोषण के लिए चुनिंदा ईरानी बैंकों को ₹ 9 बिलियन की क्रेता ऋण सुविधा के रूप में निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) से राशि प्रदान करने के लिए एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार का अनुमोदन सूचित किया। सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भारत से ईरान को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए ईडीएफ के अंतर्गत सात ईरानी बैंकों को ₹ 9 बिलियन की क्रेता-ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए 23 दिसंबर, 2014 को अम्ब्रेला फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए गए। ईरानी बैंकों को प्रदान की जाने वाली इस क्रेता ऋण सुविधा को ईरान सरकार की संप्रभु गारंटी प्राप्त है। तत्पश्चात, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, भारत से स्टील रेलों के आयात के वित्तपोषण और ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए इस क्रेता ऋण सुविधा की राशि ₹ 30 बिलियन तक बढ़ाई गई।

इस फ्रेमवर्क करार के अंतर्गत, भारत से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रेलवे को 150,000 टन स्टील रेलों की आपूर्ति के लिए ₹ 8.19 बिलियन मूल्य के प्रथम कॉन्ट्रैक्ट को क्रेता ऋण सुविधा के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट ने उक्त ऋण सुविधा के लिए क्रेता ऋण (व्यापक जोखिम) कवर प्रदान किया है।

इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ₹ 8.11 बिलियन की राशि का संवितरण किया जा चुका है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय निष्पादन पूरे किए जा चुके हैं। यथा 31 मार्च, 2022 को इस ऋण सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि ₹ 3.53 बिलियन रही।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति
लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारतीय निर्यात–आयात बैंक ('बैंक') के निर्यात विकास कोष वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2022 को तुलन–पत्र एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त लेखा विवरण भारतीय निर्यात–आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14 (ii) तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं और यथा 31 मार्च, 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसकी वित्तीय निष्पादन स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में आगे 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) के अनुरूप बैंक से स्वतंत्र हैं। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय परिचालन, प्रबंधन और कॉर्पोरेट अभिशासन (गवर्नेंस) शामिल हैं, किन्तु इनमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में कोई आश्वासन / निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर चिह्नित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना है कि यह अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है, या लेखा परीक्षा में ली गई हमारी जानकारी या अन्यथा कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व में हमें मिली अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कहीं कुछ गलत बयानी है तो हम उन मामलों को गवर्नेंस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

अन्य मामले

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा समीक्षा बैंक के गत स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई थी, जिन्होंने इस संबंध में 18 मई, 2021 की अपनी रिपोर्ट में भिन्न अभिमत व्यक्त नहीं किया है।

इस मामले के संबध में हमारी राय इससे भिन्न नहीं है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन विरचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने तथा प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन से रहित वित्तीय विवरणों को तैयार के लिए आवश्यक ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन, बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है। गवर्नेंस से जुड़ा प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना है कि ये वित्तीय विवरण, पूर्ण रूप में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन से रहित हैं और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा, यदि कोई महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन है तो सदैव उसका पता लगा लेगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और उन्हें तब महत्त्वपूर्ण माना जाता है, जब अलग-अलग या सकल रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना रखते हों।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान प्रोफेशनल संशयात्मकता रखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, वित्तीय विवरणों के महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी के चलते बनने वाले महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि के चलते होने वाले मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करना।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- परिचालन जारी रखने के लेखांकन आधार और हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के परिचालन जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं या स्थितियां हो सकती हैं, जो बैंक के लिए अपना परिचालन बंद करने का कारण बनें।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढांचे और सामग्री का मूल्यांकन करना, और देखना कि वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं और घटनाएं इस रूप में हैं कि उचित प्रस्तुति प्रदर्शित करती हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी महत्त्वपूर्ण विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना जा सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि खाता, भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली 2020 की अनुसूचियों ख क और खख क के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

i. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।

ii. हमारी राय, इस रिपोर्ट में लिए गए तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा विवरण, लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।

iii. कोष के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं।

iv. हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त वित्तीय विवरण, लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

कृते **जीएमजे एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 103429W

सीए अतुल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097
यूडीआईएन: 22037097AITVBN9694

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 मई, 2022

यथा 31 मार्च, 2022 को तुलन-पत्र

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (यथा 31.03.2022 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2021 को) ₹
देयताएं		
1. ऋण:		
क) सरकार से	-	-
ख) अन्य स्रोतों से	3,526,698,130	5,094,360,835
2. अनुदान:		
क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
3. उपहार, दान, उपकृतियां:		
क) सरकार से	-	-
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
4. अन्य देयताएं	401,235,335	417,953,894
5. लाभ और हानि लेखा	919,153,610	795,697,548
योग	**4,975,394,862**	**6,436,320,064**
आस्तियां		
1. बैंक की शेष राशियां		
क) चालू खातों में	1,500,000	1,500,000
ख) अन्य जमा खातों में	-	-
2. निवेश	-	-
3. ऋण एवं अग्रिम:		
क) भारत में	-	-
ख) भारत के बाहर	4,570,530,758	5,731,575,847
4. भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
क) भारत में	-	-
ख) भारत के बाहर	-	-
5. अन्य आस्तियां		
क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
i) ऋण एवं अग्रिम	160,948,401	174,728,992
ii) निवेश/बैंक शेष	-	-
ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	242,415,703	2,42,415,703
ग) अन्य	-	286,099,522
योग	**4,975,394,862**	**6,436,320,064**

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (यथा 31.03.2022 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2021 को) ₹
आकस्मिक देयताएं		
i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व	-	-
ii) वायदा विनियम संविदाओं की बकाया राशियों पर	-	-
iii) हामीदारी एवं वचनबद्धताओं पर	-	-
iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं	-	-
v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	-	-
vi) संग्रहण के लिए बिल	-	-
vii) सहभागिता प्रमाण–पत्रों पर	-	-
viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल	-	-
ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	-	-

टिप्पणी:

भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्यात विकास निधि की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात–आयात बैंक को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक

श्रीमती हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

श्रीमती रूपा दत्ता

श्री सुचीन्द्र मिश्र

श्री आर. सुब्रमणियन

श्री एम. सेंथिलनाथन

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री राजकिरन राय जी.

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 मई, 2022

लाभ और हानि लेखा

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष ₹	गत वर्ष ₹
व्यय		
1. ब्याज	413,766,067	456,095,562
2. अन्य व्यय	524,169	26,110
3. आगे ले जाया गया लाभ	123,456,062	93,654,717
योग	**537,746,298**	**549,776,389**
आयकर के लिए प्रावधान	-	-
तुलन–पत्र में अंतरित शेष लाभ	123,456,062	93,654,717
	123,456,062	**93,654,717**
आय		
1. ब्याज और बट्टा		
क) ऋण एवं अग्रिम	537,746,298	549,776,389
ख) निवेश/बैंक शेष	-	-
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस	-	-
3. अन्य आय	-	-
4. तुलन–पत्र को ले जायी गयी हानि	-	-
योग	**537,746,298**	**549,776,389**
लाभ नीचे लाया गया	123,456,062	93,654,717
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
	123,456,062	**93,654,717**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक

श्रीमती हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

श्री दम्मू रवि

श्रीमती रूपा दत्ता

श्री सुचीन्द्र मिश्र

श्री आर. सुब्रमणियन

श्री एम. सेंथिलनाथन

श्री दिनेश कुमार खारा

श्री राजकिरन राय जी.

श्री अशोक कुमार गुप्ता

कृते जीएमजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W

(सीए अतुल जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 मई, 2022

हमारा

प्रबंधन

बाएं से दाएं बैठे हुए

उत्पल गोखले, दीपाली अग्रवाल, डेविड सिनाटे,
रीमा मारफतिया, एन. रमेश, हर्षा बंगारी,
मुकुल सरकार, मंजिरी भालेराव, प्रहलादन अय्यर,
तरुण शर्मा, गौरव भंडारी

बाएं से दाएं खड़े हुए

उदय शिंदे, सरोज खुंटिया, मनीष जोशी, धर्मेन्द्र सचान, सुजीत भाले,
विक्रमादित्य उगरा, मेघना जोगलेकर, शिल्पा वाघमारे, मीना वर्मा,
प्रीति थॉमस, टी. डी. सिवाकुमार, रिकेश चंद, दयानंद शेट्टी,
लोकेश कुमार, निर्मित वेद

40 वर्षों से बढ़ता फ़लक

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई - 400 005

+91-22-22172600 +91-22-22182572 ccg@eximbankindia.in www.eximbankindia.in | www.eximmitra.in

हमें फॉलो करें